(१)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

वृहस्पतिवार

दिनांक 1 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन, । श्रीमती नारंगी देवी ।

राज्य सरकार पर भारत का कर्जा एवं उसका ब्याज

48. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार का राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा किन-किन मदों में किस प्रकार है और उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है ? मदवार आइटम वाइज सूचना देने की कृपा करें।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन-किन का कितना ऋण राज्य सरकार पर है ?

(3) वर्तमान में ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

(4) राज्य सरकार उक्त कर्जे की अदायगी करने एवं उनके अधिकांश हिस्से को माफ कराने के लिये क्या कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हां, तो उसके बारे में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) :

(1) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार का राज्य सरकार पर कुल 881.29 करोड़ रुपयों का कर्जा था जिस पर वर्ष 1978-79 में देय ब्याज 43.17 करोड़ रुपये है। मदवार सूचना संलग्न तालिका में अंकित कर दी गई है।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का राज्य सरकार पर 193.49 करोड़ रुपये का ऋण है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) वर्तमान में कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है।

(4) भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्जे की अदायगी इनकी शर्तों के अनुसार समय-समय पर की जा रही है।

7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का राज्य सरकार पर दिनांक 31-3-79 को जो केन्द्रीय ऋणों का बकाया रहेगा, उसमें 5 प्रतिशत माफ कर उसके भुगतान की लम्बी अवधि तय कर रुपये 137.98 करोड़ की राहत दी है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, 7वें वित्त आयोग के बारे में जिक्र किया कि 31-3-79 को कुल पांच प्रतिशत की राहत दी है। जो कर्जा रहेगा उसके लिये कितना समय निर्धारित किया जायेगा कि इतने अर्से में कर्जा चुका दिया जाय? आपने कर्ज की राशि बतलाई है 881.29 करोड़ रुपये। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 1977–78 या यों कहें कि जब जनता पार्टी ने शासन संभाला तब जिस प्रकार की पोजीशन थी उसके बाद कर्जा कितना बढ़ा है? क्या इसी प्रकार अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्जा भी बढ़ा है? इस पर भी प्रकाश डालें।

श्रीमती नारंगी देवी : वर्ल्ड बैंक से राजस्थान सरकार ने कितना कर्ज लिया है? सभी ऋणों की अदायगी की प्रक्रिया क्या है? दूसरा प्रश्न, क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को नशाबन्दी रोकने के लिये 27 करोड़ रुपये देने का वायदा किया है, उन रुपयों का उपयोग किस प्रकार होगा?

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि 7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितनी अवधि बढ़ा दी गई है। पहले अवधि 15 वर्ष थी वह 30 वर्ष कर दी गई है और 5 प्रतिशत कर्जा माफ कर दिया गया है। जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में उस समय जो कर्जा था, वह 77.68 करोड़ था। इस साल 78–79 में ऐसी उम्मीद है कि वह 92.53 करोड़ होगा। इस 92.53 करोड़ में से अब तक लगभग 75 करोड़ रुपये प्राप्त हो गये हैं . . .

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कितने करोड़ रुपये जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारत सरकार से लिये हैं, यह बता दीजिये?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : यह बता तो दिया।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर का माइन्ड बहुत तेज है, आप कृपया बता दीजिये।

श्री आदित्येन्द्र : मैंने आपको बताया 77–78 में करीब 77 करोड़ और 78–79 में 92 करोड़ के लगभग आने का अन्दाजा है। 75 करोड़ के लगभग आ चुका है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : आपने भारत सरकार से लिया है वह बता दिया। बाकी और कौन–कौन सी एजेंसियों से लिया है चाहे वह फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स से लिया हो, चाहे वर्ल्ड बैंक या आम जनता से लिया हो? वह भी बता दीजिये।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

क–आयोजना भिन्न ऋण

1.	अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	2645.00
2.	अल्पकालिक कृषि ऋण	200.00
3.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	59.60
4.	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण	11.43
5.	पुलिस फोर्स का आधुनीकरण	87.82
6.	कारागारों का आधुनीकरण	11.25
7.	ग्रे एरियाज में उपयोग के लिये ऋण	50.00
	योग (क) लाख रुपये	3065.10

(श्री आदित्येन्द्र)

इन कर्जों पर 183.74 लाख रुपयों का ब्याज देय है। दूसरे राज्य आयोजना समूह ऋण 15927.02 लाख रुपये हैं...

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पढ़ा जा रहा है...

(व्यवधान)

आपने जो छठी योजना में धनराशि इस साल के खर्च के लिए रखी है और जो राज्य सरकार ने योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजी है उसमें कितनी धनराशि की मांग की गई थी और उस धनराशि की पूर्ति हो गई या नहीं ?

कई माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न ।

श्री मूलचन्द डागा ; अलग से प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री समरथ लाल !

श्री मूलचन्द डागा : कितना पैसा आप केन्द्रीय सरकार से लेंगे ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान की प्रस्तावित वार्षिक योजना में जो 194 करोड़ रुपयों की कटौती केन्द्र ने की हैं क्या उसका कारण यह नहीं है कि जितना ऋण हमने लिया है उसका हम समय पर भुगतान नहीं कर पाये ?

श्री आदित्येन्द्र : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि ऋणों का भुगतान शर्तों के अनुसार किया जा रहा है और ब्याज भी दिया जा रहा है। जो कुछ भी एग्रीमेंट है उसके मुताबिक भुगतान किया जा रहा है। उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 275 करोड़ की योजना स्वीकृति के लिए केन्द्र को गई तो उसमें से 194 करोड़ रुपयों की कटौती क्यों की गई ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपकी सरकार...

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आप मंत्री थे पहले कभी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन !
श्री समरथ लाल !

राजगढ़ तथा रेणी की आर.ई.सी. योजना

49. श्री समरथलाल (राजगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति राजगढ़ तथा पंचायत समिति रेणी (अलवर) की आर. ई. सी. की योजना विद्युत् मण्डल के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

राज्य मंत्री, विद्युत् (श्रीमती विद्या पाठक) : जी हां। पंचायत समिति राजगढ़ तथा पंचायत समिति रेणी (अलवर) की आर. ई. सी. की दो योजनाएं विद्युत् मण्डल के विचाराधीन हैं। क्रियान्विति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री समरथलाल : यह दोनों योजनाएं कब से विचाराधीन हैं पंचायत समिति राजगढ़ और पंचायत समिति रेणी की ?

श्रीमती विद्या पाठक : पंचायत समिति राजगढ़ की योजना एम. एन. पी. की योजना के अन्तर्गत थी परन्तु उसके बाद अक्टूबर, 78 में जब यह निर्णय लिया गया कि 25 पर्सेन्ट जिन जिलों में बिजली है उन को ओ.बी. श्रेणी में लिया जायगा। अक्टूबर, 1978 से यह योजना विचाराधीन है। 28 दिसम्बर, 1978 को कोआर्डिनेशन सब-कमेटी द्वारा यह पास कर दी गई है और आर. ई. सी. को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना अभी विचाराधीन है, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री समरथ लाल : जो योजना पास कर दी है उसकी क्रियान्विति कब तक हो जायगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : आर. ई. सी. के पास भिजवाई है। वहां से स्वीकृति आने के बाद क्रियान्वित कर दी जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में कितनी बिजली की आवश्यकता है और कितनी बिजली आज मौजूद है ?

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हूं कि आर. ई. सी. में इन दोनों योजनाओं का ही सवाल नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की कितनी योजनाएं आर. ई. सी. में विचाराधीन हैं जिन पर अभी तक विचार ही हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। क्या यह सही है कि जितनी आर. ई. सी. से राजस्थान की योजनाएं मन्जूर होनी चाहिए उतनी मंजूर नहीं हो रही हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पेसिफिक प्रश्न है–राजगढ़ और रेणी की आर. ई. सी. की योजना।

श्री हरजीराम बुरडक ! I am sorry. श्री हजारीमल सारण !

सरदारशहर के दुग्ध अवशीतलन केन्द्र से दुग्ध उत्पादकों में व्याप्त असन्तोष

50. **श्री हजारीमल सारण** (सरदार-शहर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरदार-शहर दुग्ध अवशीतलन केन्द्र की व्यवस्था के प्रति वहां की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में असन्तोष है और उसके फलस्वरूप अनेक शिकायतें, राज्य सरकार, कलेक्टर चूरू व उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ को की गई है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या-क्या हैं और राज्य सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि अवशीतलन केन्द्र में अव्यवस्था के कारण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से केन्द्र को अपेक्षाकृत कम दुग्ध प्राप्त हो रहा है जब कि दूसरी ओर अवशीतलन केन्द्र को क्षमता बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो दुग्ध कम प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री कल्याणसिंह कालवी): (1) यह सही नहीं है कि सरदारशहर दुग्ध अवशीतलन केन्द्र की व्यवस्था के संबंध में वहां की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में असन्तोष है क्योंकि इस क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से लिखित में कोई शिकायत उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बीकानेर को न तो सीधी ही और न ही राज्य सरकार या जिलाधीश, चूरू के माध्यम से प्राप्त हुई है।

(2) यह सही नहीं है कि अवशीतलन केन्द्र की अव्यवस्था के कारण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से केन्द्र को अपेक्षाकृत कम दूध प्राप्त हो रहा है क्योंकि वर्तमान में इस क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से 14,000 लीटर दूध संकलित किया जा रहा है जब कि अवशीतलन केन्द्र की क्षमता 10,000 लीटर दूध की है। दूध की मात्रा अधिक प्राप्त होने के कारण ही अवशीतलन केन्द्र की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह उत्तर सही नहीं है। 14,000 लीटर दूध इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे आधा भी इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। 7 हजार लीटर दूध भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि अवशीतलन केन्द्र के बारे में अनेकों शिकायतें राज्य सरकार, कलेक्टर चूरू, संघ और मंत्री जी को की गई हैं लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य शिकायत यह है कि सहकारी समितियों से जब दूध लिया जाता है तो दूध उत्पादन केन्द्र पर उसके फेट का टैस्ट किया जाता है लेकिन जब वह अवशीतलन केन्द्र पर जाता है तो उसका फेट कम हो जाता है। दूसरी शिकायत यह है कि बढ़ी हुई महंगाई के अनुपात में दूध की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। इससे दूध उत्पादकों में काफी असन्तोष है। क्या सरकार महगाई के अनुपात में दूध की कीमत बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री कल्याणसिंह कालवी : जिन शिकायतों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है वह शिकायतें हमारे पास में नहीं हैं। बस एक बार भसीन साहब, जो हमारे प्रबन्धक है, उनके नाम खुला पत्र आया है। उसमें वर्णित शिकायतों में से अधिकांश का समाधान कर दिया गया है।

श्री हजारीमल सारण : आपने यह कहा कि किसी ने शिकायत नहीं की, यह गलत है। एक बार नहीं हजारों बार शिकायतें की गई हैं कलेक्टर को और आपको। आप गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक बार तो यह कहा कि कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद आपने कहा कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है और तीसरी बार कहा कि भसीन साहब के नाम खुला पत्र है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में पूरी तहकीकात करें। विभाग से जब जवाब मांगा गया था तो कलेक्टर के नाम से, मंत्री के नाम से और अधिकारियों के नाम से जितने भी शिकायती पत्र हैं उनकी रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए थी। क्या आप उनको पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश देंगे? जिन अधिकारियों ने आपके पास अधूरी

(श्री नवरंगसिंह)
या गलत रिपोर्ट भेजी है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि अधिकांश शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। आप यह बतायें कि कौन-कौन सी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है और कौन-कौन सी शेष रह गई हैं ?

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : आपके जो अवशीतलन केन्द्र हैं उनकी 10 हजार लीटर दूध की क्षमता है और आपने कहा कि 14,000 लीटर दूध लिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो वहां पर दूध आ रहा है वह केवल 6,000 लीटर ही है। इतना अन्तर होने का क्या कारण है 6 हजार लीटर आ रहा है उसका कारण यह है कि अभी आप जो दूध की रेट उनको दे रहे हैं, वह पुरानी रेट है। आप रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरा कारण यह कि जो मैनेजमेन्ट आपका वहां पर है वह दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ में सहयोग नहीं करता है और उनको परेशान करता है। यह सारे कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको आपको अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए, ताकि दूध ज्यादा आये। इसके बारे में आपका क्या उत्तर है, यह हाउस को बतायें।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न भेजा था उसमें यह वर्णित था कि क्या राज्य सरकार के पास, कलेक्टर चूरू व संघ के पास कोई शिकायतें आई हैं। मैंने उत्तर दिया कि इन दोनों के पास शिकायतें नहीं आई हैं। जब आपने पूरक प्रश्न पूछा तो मैंने कहा कि मसीन साहब के नाम एक खुला पत्र आया था जिसके ऊपर विचार कर जो शिकायतें थीं उनमें से अधिकांश का निराकरण कर चुके हैं और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि महीने में 5 दिन समितियों के प्रतिनिधियों के साथ में चिलिंग प्लान्ट के अधिकारी बैठ कर उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि क्षमता के बारे में कहा गया है, मैंने उत्तर दिया है कि आज भी 14 हजार लीटर दूध संकलित हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कब की रिपोर्ट है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक दूध के प्रचलित मूल्य का प्रश्न है, 1-11 से 5 पैसा लीटर बढ़ा दिया है और आज से 5 पैसा प्रति लीटर बढ़ा दिया है।

श्री हजारीमल सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि 14 हजार लीटर एकत्रित करते हैं। 10 हजार की क्षमता है तो 4 हजार लीटर कहां चला जाता है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : आपने देखा होगा, 14 हजार लीटर इकट्ठा होता है। उसको हम और उपयोग में लेते हैं।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देता हूं। 6 हजार लीटर से ज्यादा इकट्ठा नहीं होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, उनके वर्णन में और मन्त्री महोदय के उत्तर में बड़ा अन्तर है। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री नवरंगसिंह : मंत्री महोदय के पास शिकायतें आई हैं। माननीय सदस्य चेलेंज देते हैं कि 6 हजार लीटर से ज्यादा इकट्ठा नहीं होता है। चैलेंज देते हैं तो जांच क्यों नहीं कराते हैं ? जांच के लिए क्यों नहीं तैयार हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : या तो प्रतिनिधि झूठ बोलते हैं या मन्त्री महोदय की रिपोर्ट झूठी है।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी लोग मन्त्री महोदय को गलत सूचना देते हैं। जोधपुर में भी इसी प्रकार की स्थिति हो रही है। मैंनेजमेण्ट आपको भ्रामक रूप से सूचना दे रहा है।

श्री हजारीमल सारण : 6 हजार लीटर और 14 हजार लीटर में बहुत बड़ा फर्क है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं मानता हूं कि 6 हजार और 14 हजार लीटर में बहुत अन्तर है।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : हमें अगर 14 हजार लीटर की सूचना देते हैं तो वह गलत है।

एक माननीय सदस्य : सदन को गुमराह किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय सभी साधनों से युक्त हैं। माननीय विधायक महोदय ने आरोप लगाया है। माननीय मन्त्री महोदय क्यों नहीं सभी सदस्यों के सामने खड़े होकर कहें कि मैं स्वयं जाकर जांच करूंगा ? अगर नहीं कहते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इनको हटाओ। ये कर्तव्य का पालन करते ही नहीं हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जैसा कि सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह छानबीन कर लें।

श्री हजारीमल सारण: आपकी सूचना गलत साबित हुई है।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के पास विभाग है...

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय स्थानीय विधायक को साथ लेकर जांच और छानबीन करने को तैयार क्यों नहीं हैं ? नौकरशाही पर आधारित नहीं रहा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कल्याणसिंह सांखला !

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : जिनको विश्वास नहीं हो, वह मन्त्री महोदय

(श्री मदनसिंह दांता)
को गलत साबित करें। ये तो कह रहे हैं, हम देख आये हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : यह नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 हजार लीटर की रिपोर्ट आई है। वह स्वयं जाकर नहीं आये हैं। मेरा निवेदन है, वह स्वयं जाकर देख कर आयें। गलत है तो कार्यवाही करें।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत समझ गये हैं। आपका स्थानीय आधार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 51।

(व्यवधान)

6 और 14 में बहुत अन्तर है। आप मिलकर बात कर लें। इसके बाद आपको सन्तोष नहीं हो और इस नतीजे पर पहुंचे कि गलत इनफार्मेशन मन्त्री महोदय ने दी है तो यह इन्सल्ट आफ दी हाउस है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जो कुछ चर्चा हो गई है, वह पर्याप्त है। अब क्षमा करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 51।

राज्य में ताम्बे व जस्ते का वार्षिक उत्पादन

51. श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में ताम्बे व जस्ते का कुल वार्षिक उत्पादन कितना होता है? इसमें से राज्य की उक्त धातुओं पर चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल के रूप में कितना तांबा व जस्ता आवंटित किया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि ताम्बा व जस्ते का वितरण प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है? यदि हां, तो अन्य प्रदेशों में जैसे पंजाब, बिहार, बंगाल, यू. पी. आदि में कच्चे माल की स्थानीय इकाइयों में वितरण की क्या नीति है?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) राजस्थान में ताम्बे के उत्पादन का केवल एक ही उद्योग मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड है जिसका वित्तीय वर्ष 1977–78 में 11,157 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ। वर्ष 1978–79 में अप्रेल, 1978 से जनवरी, 1979 तक 7,147 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ। राज्य की 21 इकाइयों को दिसम्बर, 1978 तक 1,009 मैट्रिक टन वितरित किया गया।

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1977–78 में 33,501 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ। वर्ष 1978–79 में अप्रेल, 1978 से जनवरी, 1979 तक 22,622 मैट्रिक टन जस्ता उत्पादित किया गया और राज्य की 27

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
इकाइयों को दिसम्बर, 1978 तक 1,795 मैट्रिक टन जस्ता के स्वीकृति पत्र जारी किये गये।

वर्तमान में सिर्फ दो वर्ष के उत्पादन आंकड़े ही उपलब्ध हो सके हैं। ये भारत सरकार के संस्थान हैं। इनसे पूर्व उत्पादन के आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए कोई अलग से प्राथमिकता नहीं है। देश के सभी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समान वितरण प्रणाली ही लागू है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि राजस्थान के बाहर दूसरे प्रान्तों में वितरण प्रणाली क्या है, यह सूचना मंत्री महोदय ने नहीं दी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह इनको मालूम नहीं है। इससे इनको क्या करना है?

श्री कल्याणसिंह सांखला : श्योपतसिंहजी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आप शांत रहिए।

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं·····

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी स्केअर्स मेटीरियल हैं और जिन पर भारत सरकार का नियन्त्रण है वे आवश्यकता और उपलब्धि के अनुसार सभी राज्यों को वितरित किये जाते रहे हैं। इसका मापदण्ड उन्होंने निर्धारित कर रखा है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : राजस्थान में धातु उद्योग को पनपाने के लिये क्या प्रयत्न सरकार द्वारा किये जा रहे हैं? यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जस्ते की कमी नहीं है, तांबे की कमी है इसलिए हम इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जितना जो कुछ किया जा सकता है वह किया जा रहा है।

(व्यवधान)

तांबा, कोयला, गैस, सीमेन्ट जितने भी स्केअर्स मेटीरियल हैं उनको अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी केन्द्रीय मन्त्रीगण से मिल चुका हूं और स्वयं मुख्य मन्त्रीजी भी बात कर चुके हैं। जितना प्रयत्न हम कर सकते हैं, वह किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : केन्द्र ने आश्वासन क्या दिया, यह आपने नहीं बताया।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि भीलवाड़ा के पास दरीबा में 12 मील की पट्टी में तांबे का सर्वे हो चुका है और·····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इर्रेलेवेन्ट क्वेश्चन है।

श्री माधोसिंह कछवाह : आपने किस प्रकार की मांग की है, यह डिटेल्स दे दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री जी ने बताया कि वे भारत सरकार के अधिकारियों से मिले हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वे कितनी बार मिले ? उनके क्या प्रस्ताव थे और भारत सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि किसी प्रान्त को अलग से प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से उनकी क्या बातचीत हुई ? राजस्थान में जो खनिज निकलता है उससे सम्बन्धित उद्योग के लिए क्या बातचीत हुई।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं मैं अभी तो पूरा विवरण देने में असमर्थ हूं। अगर वे चाहें तो सारे पत्र, जो लिखे गए हैं, और उनके उत्तर देने के लिए तैयार हूं। जार्ज फर्नाण्डिस से भी 15 बार मिल चुका हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले इन्होंने दस दफा कहा, अब 15 बार कह रहे हैं, यह किस आधार पर कह रहे हैं ? अब की बार 15 से 50 बतलायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : बीस पर आ जायेंगे।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : नतीजा क्या रहा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने दस भी अन्दाज से कहा और 15 भी अन्दाज से कहा, क्योंकि यह अलग से प्रश्न है। इसकी इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सब विषय विचाराधीन है। इन सब में प्रोसेसिंग हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो कहा है उसका कौन सी तारीख तक जवाब आ जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यह अण्डर कन्सीडरेशन है। प्रोसेसिंग चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : 15 बार में मन्त्री महोदय ने कितना टी.ए., डी.ए. लिया ? उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : घूमने दीजिये दिल्ली। उनको मौका मिला है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : I want to draw attention to a particular issue. मन्त्री महोदय ने कहा, मैंने यह बात अन्दाज

(श्री रामनारायण चौधरी)
से कही है। मान्यवर, आप व्यवस्था दीजिये कि क्या सरकारी पक्ष के मन्त्रीगण हाउस में अन्दाज से कह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री महोदय, अन्दाज की बात भविष्य में नहीं करेंगे। यह हाउस की इन्सल्ट है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था के लिए निवेदन किया था, अगर आपने माफ कर दिया है तो मुझे एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : इस सदन में अन्दाज ही कहा जाता है···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : मंत्री महोदय को अन्दाज बताने के लिए सदन ही मिला क्या?

श्री कल्याणसिंह सांखला : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि राजस्थान में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको दूर करने के लिए धातु उद्योग में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय एक सप्लीमेण्ट्री और पूछ सकते हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार राजस्थान के लिए तांबे की मात्रा बढ़ाने के लिए तैयार है, यह आश्वासन भी मिला है या नहीं? बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अन्दाज मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अन्दाज से बता सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर···

श्री गुल मोहम्मद : यह अन्दाज मंत्री नहीं हैं, माननीय सदस्य, अपने आपको ठीक कर लें।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : श्रीमान ने अभी फर्माया कि मंत्री महोदय अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे और आयन्दा अन्दाज से नहीं कहेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय को अन्दाज मंत्री भी कहना शुरू कर दिया, यह ट्रेडीशन पड़े यह मैं नहीं मानता।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो 15 बार जार्ज फर्नाण्डिस से मिले, वह क्या ताम्बे के मामले को लेकर मिले? अगर इस प्रश्न का आपके पास उत्तर आज नहीं है, तो आप बाद में बता दें कि ताम्बे के बारे में क्या बातचीत हुई और क्या नतीजा रहा?

श्री अध्यक्ष : जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मंत्री महोदय 15 बार मिले, तो पूरी तैयारी करके यह बताने की कृपा करें कि क्या बातचीत हुई और क्या नतीजा रहा?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय प्रद्युम्न सिंह और माननीय रामनारायण जी के अन्दाज का उन्हें काफी फर्क है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रश्न के स्कोप में नहीं था। याददाश्त के आधार पर मैंने कहा।

माननीय कल्याणसिंहजी सांखला के प्रश्न के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है कि हमें अधिक से अधिक रा मैटीरियल उपलब्ध हो ताकि राजस्थान की जिन इकाइयों में उत्पादन में विघ्न आ गया है, उनमें विघ्न दूर हो सके और उनको राहत मिले। जब कभी भी हमारा औपचारिक तथा अनौपचारिक ढंग से मिलना होता है तो हम हमेशा मंत्री महोदय से निवेदन करते रहते हैं और वह भी सहानुभूतिपूर्वक हमेशा विचार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनाथ विश्नोई !

तहसील सांचोर की गोचर भूमि के आवंटन का मामला

52. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भूतेल तहसील सांचोर की गोचर भूमि मवेशियों की संख्या के अनुपात में कम होते हुए भी पाक शरणार्थियों के तीन कुटुम्बों को प्रति परिवार 50 बीघा आवंटन कर दी गई ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटन मालशुमारी के गलत आंकड़े के आधार पर कर दिया गया था ? अगर हां, तो मालशुमारी के गलत आंकड़े भेजने वाले राजस्व अधिकारी के विरुद्ध अब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम भूतेल की सही मालशुमारी 875 है और गांवाई गोचर सिर्फ 390।।) बीघा ही गांव के पास है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण लोगों को मालूम होते ही, स्थानीय ग्राम पंचायत एवं ग्राम लोगों ने उक्त गोचर के आवंटन के विरोध स्वरूप आन्दोलन एवं सत्याग्रह शुरू किया था, जो अभी तक चालू है ?

(5) क्या यह भी सही है कि स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से उक्त आवंटन के विरुद्ध लिखित एतराजात एवं दरख्वास्तें परगना अधिकारी भीनमाल, कलेक्टर जालौर एवं सरकार को पेश की हैं ? अगर हां, तो उन पर अब तक सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की है ? अब सरकार जायज मांग को मंजूर कर कब तक उक्त गोचर का आवंटन रद्द करके उक्त ग्राम एवं अन्य आस-पास के गांवों में शांति स्थापित करवा सकेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के अन्दर जो सामग्री चाही गई है, वह अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये मैं निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थगित हुआ।

नक्स्ट ! श्री हरजी राम बुरड़क !

अकालग्रस्त क्षेत्र नागौर में पीने के पानी की समस्या

53. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है या पानी जहरीला है ? यदि हां, तो किस किस गांव में तथा उसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश नागौर ने उक्त ग्रामों में से किन्हीं गांवों में टैंकरों से पानी सप्लाई करने की मांग की है ? यदि हां, तो किस किस गांव के लिये कब कब मांग की गई है तथा कब पानी की सप्लाई चालू की ?

(3) जहां पर टैंकरों से पानी की सप्लाई चालू नहीं की है वहां पर कब तक चालू करा दी जायगी ?

अकाल राहत मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) नागौर जिले के कुछ क्षेत्रों में खारा व पीने योग्य पानी न होने के कारण पेयजल समस्या है।

(2) जिलाधीश नागौर ने जनवरी, 1979 में जिले के 15 गांवों में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने का सहायता विभाग से अनुरोध किया था। सामान्यतया सहायता विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था उन्हीं गांवों में की जाती है जहां पेयजल के सामान्य स्रोत सूख गये हों अतः जिलाधीश को पुनः जांच कर प्रस्ताव भेजने हेतु कहा गया है।

(3) अभी तक पैरा 2 में उल्लिखित जिलाधीश रिपोर्ट अपेक्षित है फिर भी विभाग ने जिलाधीश को पेयजल व्यवस्था हेतु 2 वाटर टैंकर आवंटित किये हैं, मगर फिलहाल पेयजल की जिले में समस्या नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय ने बताया कि जिलाधीश की रिपोर्ट का इन्तजार है। जिलाधीश महोदय ने जनवरी में 15 गांवों के लिये व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार को लिखा था और आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई।

श्री जयनारायण पूनिया : जिन गांवों में सूखा पड़ता है, वहां के लिये तो सहायता की व्यवस्था की जाती है, जिन गांवों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां तो पानी औसत से भी दुगुना बरसा है।

श्री हरजीराम बुरडक : वहां का पानी जहरीला है, बरसात होने से जहरीला पानी मीठा नहीं हो जाता। आपको निश्चित आश्वासन देना चाहिए कि आप वहां पर व्यवस्था कर देंगे। जिन गांवों में पिछले साल भी पानी सप्लाई किया है कम से कम उन गांवों में तो इस वर्ष भी व्यवस्था करें।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि नागौर जिले के जिलाधीश की रिपोर्ट नहीं आई। हम लोगों ने मीटिंग में शिकायत की थी कि पानी की गम्भीर समस्या है, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है, आप तत्काल व्यवस्था करें।

श्री जयनारायण पूनिया : 15 गांवों के बारे में रिपोर्ट आई थी जिनके लिए पानी की व्यवस्था की मांग की गई थी। बाकी के इलाके में तो काफी बरसात हुई है।

श्री अब्दुल अजीज : बरसात के पानी से पीने के पानी की समस्या हल नहीं होती। गांवों के अन्दर कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया है। जिलाधीश ने खुद ने देख लिया है। हमारी मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि सरकार से निवेदन किया जायगा कि पानी की व्यवस्था की जाय।

श्री हरजीराम बुरडक : अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है, तो यह बिल्कुल गलत है। लाडनूं क्षेत्र के गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : बारिश से पीने के पानी का सम्बन्ध नहीं है। कुओं में जल स्तर ऊंचा नहीं उठा है। 1968 में स्तर ऊंचा उठा था, उसके बाद नहीं उठा। इसके अलावा कुओं का पानी जहरीला है। इसलिये पेयजल की व्यवस्था करने का आप पूरा प्रयास करें।

श्री रावतराम : जिन गांवों का पानी जहरीला है और जो गांव अकालग्रस्त हैं वहां पर आप टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था करते हैं? यह प्रश्न केवल नागौर का ही नहीं है, सारे राजस्थान का है। अकालग्रस्त गांव हैं, खारे पानी के गांव हैं, उनमें मीठा पानी उपलब्ध कराने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वहां पर बरसात हुई है। तो बरसात पड़ने से कुओं का पानी मीठा नहीं हो जाता। क्या वहां पर ऐसे तालाब हैं जो भर गये हैं? क्या उन तालाबों से पीने का पानी उपलब्ध है? बरसात की जो आप बात करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन गांवों में तालाबों में पानी नहीं है, उन गांवों को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। यह प्रश्न चूरू और बीकानेर का भी है, केवल नागौर का नहीं है।

श्री जयनारायण पूनिया : नागौर जिले के लिये कुछ टैंकर तो दिये हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो और भी दिये जायेंगे। हमने जिलाधीश से पूछा था। उन्होंने बताया कि फिलहाल टैंकर्स की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : यह कैसे हो सकता है? हम लोग मीटिंग में मौजूद थे। कलेक्टर ने आप से मांग की है।

श्री हरजीलाल बुरडक : जहां पर अकाल है, वहां के लिये तो व्यवस्था करें।

श्री अब्दुल अजीज : जिलाधीश महोदय ने हमारी मौजूदगी में, माननीय सदस्य श्री हरजीराम बुरड़क भी मौजूद थे, कहा था कि सरकार को लिखेंगे, फिर यह समझ में नहीं आता कि कैसे कलेक्टर ने कहा है कि वहां पर टैंकरों की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी जांच करें।

श्री जयनारायण पूनिया : मैं जल्दी ही और रिपोर्ट मांग लेता हूं, व्यवस्था कर देंगे।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : जिन गांवों को अकालग्रस्त माना है, उनमें तो आपको व्यवस्था करनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा कल्याणकारी राज है। जहां भी पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है वहां व्यवस्था होना परम आवश्यक है। इसको प्राथमिकता देनी चाहिए।

(श्री अध्यक्ष)
नेक्स्ट।

श्री सुरेश कुमार !

वित्त आयोगों की सिफारिश के तहत राज्य सरकार को आवंटित धनराशि

54. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने प्रत्येक वित्त आयोग की अवधि में राज्यों को कितनी कितनी धनराशि आवंटित की और उसमें से राजस्थान को कितनी कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह सही है कि पांचवें और छठे वित्त आयोग के मुकाबले में सातवें वित्त आयोग की रिफारिशें सिद्धान्ततः राज्य के हित में नहीं हैं और सातवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को आवंटित धनराशि में पांचवें और छठे वित्त आयोग की अपेक्षा राज्य का प्रतिशत गिरा है ?

(3) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि राजस्थान अपना मामला वित्त आयोग के सम्मुख ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाया ?

(4) क्या राजस्थान सरकार का अब भी भारत सरकार के सामने वित्त आयोग द्वारा उत्पन्न की गई असंगतियों को दूर करने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का विचार है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मेमोरेन्डम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने प्रत्येक वित्त आयोग की अवधि में राज्यों को आवंटित धनराशि में से जो राजस्थान को प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार है। प्रथम वित्त आयोग में समस्त राज्यों में आवंटित राशि 429.65 करोड़ में से राजस्थान को 14.45 करोड़ आवंटित हुई। द्वितीय वित्त आयोग में समस्त राज्यों को आवंटित 771.20 करोड़ में से राजस्थान को 38.75 करोड़ रुपये आवंटित हुए। तृतीय वित्त आयोग द्वारा राशि निर्धारित न करके केवल प्रतिशत बताया गया जो 5.80 प्रतिशत है। चतुर्थ वित्त आयोग में समस्त राज्यों को 2885.96 करोड़ आवंटित हुए जिसमें से राजस्थान को 130.41 करोड़ आवंटित हुए। पांचवें वित्त आयोग में समस्त राज्यों को आवंटित राशि 4266.30 करोड़ है जिसमें से राजस्थान को 221.65 करोड़ आवंटित हुए हैं। छठे वित्त आयोग में समस्त राज्यों को आवंटित राशि 9608.85 करोड़ है जिसमें से राजस्थान को 563.92 करोड़ आवंटित हुए। इसी प्रकार सातवें वित्त आयोग द्वारा समस्त राज्यों को 20842.97 करोड़ रुपये आवंटित हुए जिसमें से राजस्थान को 902.81 करोड़ आवंटित हुए। यह राशि केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के भाग और संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत अनुदान की है।

(2) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान राज्य को

(श्री आदित्येन्द्र)
आवंटित धनराशि 902.81 करोड़ तथा ऋणों के भुगतान में छूट 137.98 करोड़ रुपये की होती है जो पांचवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि की तुलना में 369.56 प्रतिशत अधिक तथा छठे वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि व ऋणों की छूट के मुकाबले में 27.81 प्रतिशत अधिक है। पांचवें व छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समस्त राज्यों को कुल आवंटित राशि का प्रतिशत क्रमशः 5.20 व 5.87 था जबकि सातवें वित्त आयोग में यह प्रतिशत ऋणों में छूट को छोड़कर 4.33 प्रतिशत रह गया है।

(3) राजस्थान ने अपना पक्ष वित्त आयोग के समक्ष ठोस आधारों पर रखा था परन्तु सातवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को केन्द्रीय राजस्व से होने वाले अन्तरण की जो योजना प्रस्तावित की गई है उसमें क्षेत्रफल को आधार न मान कर केवल पिछड़ेपन को ही महत्व दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्यों के पिछड़ेपन को आंकने के लिए जो मापदण्ड सुझाये थे उनको न मानकर राज्य में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाली आबादी को राज्य के पिछड़ेपन का आधार माना गया है। इस सम्बन्ध में सातवें वित्त आयोग ने गरीबी की सीमा रेखा के संबंध में जिन आंकड़ों का प्रयोग किया है वे हमारे द्वारा दिए गए आधार व आंकड़ों से भिन्न हैं।

(4) राज्य सरकार ने इस आधार पर भारत सरकार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है। वित्त आयोग को दिये गये ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है।

(ज्ञापन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सुरेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1979 और 1984 के सप्तम वित्त आयोग के सामने जो आपने अनुमान प्रस्तुत किये उनका आकार बेडोल था यानि हाईली इनफ्लेटेड था, क्या यह बात सही है ?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपग्रेडेशन आफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी राशि दी गयी है ?

श्री सुरेश कुमार : मेरा उत्तर आ जाये उसके बाद कोई माननीय सदस्य प्रश्न करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा तो छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का उत्तर प्रथम आये तब तो कार्यवाही सार्थक रूपेण चल सकती है फिर आप सप्लीमेण्ट्री पूछें। यह आप परम्परा समझ कर सुचारु रूप से कार्यवाही चलाइये।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में निवेदन यह है, मैंने अभी बताया कि जो कुछ भी राजस्थान को धनराशि दी गयी है उसका प्रतिशत क्या है ? हमने आधार क्षेत्रफल का बनाया था। क्षेत्रफल राजस्थान का और राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। उस हिसाब से हमें ज्यादा धनराशि दी जानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने अब की जो नार्म्स तय किये उनमें कुछ बदलाव कर दिया। जो इकानामिस्ट हैं उनके नार्म्स के आधार पर यह धनराशि आवंटित की गयी, वह कुछ

(श्री आदित्येन्द्र)
पापुलेशन की बेसिस पर की और कुछ एरिया के बेसिस पर की।

जो खास तौर से आधार बनाया था वह पिछड़ेपन का बनाया था। पिछड़ेपन के जो हमने आंकड़े दिये थे राजस्थान की ओर से वह उन्होंने स्वीकार नहीं किये। उन्होंने केवल उनके आंकड़ों को लिया जो कि गरीबी की रेखा से नीचे थे। उन आंकड़ों के अनुसार जो राशि हमें दी गयी वह राशि हमारे हिसाब से कम थी।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने राजस्थान की अन्त्योदय योजना का भी विचार नहीं किया क्या ?

श्री सुरेशकुमार : क्या यह सही है कि राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिशत वित्त आयोग ने स्वीकार किया है वह जनसंख्या के आधार पर भी बहुत कम है। मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं कि सारे राज्यों को दी जाने वाली सहायता का 4.33 प्रतिशत सातवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकार किया गया जबकि 4.75 प्रतिशत आबादी है। क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार और वित्त आयोग का इस ओर ध्यान आकर्षित किया ? साथ ही क्या राजस्थान सरकार ने सिवाय पिछड़ेपन के और किसी मापदण्ड पर जोर दिया जिससे कि जो हिस्सा हमारा पाकिस्तान की सीमा पर है उसकी देखभाल पर ज्यादा खर्च कर पाते ? क्या राज्य सरकार ने इसके ऊपर भी जोर दिया था कि डेजर्ट राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा है जिसके कारण अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है इसलिये उसके आधार पर राशि दी जानी चाहिये थी ? क्या इन बातों के ऊपर राजस्थान सरकार ने जोर दिया ? और दिया, तो क्या इन बातों का उल्लेख इसके अन्दर है ?

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें···

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गवर्नमेंट ने यह वली वित्त आयोग के सामने दी है कि विकास का आधार क्षेत्रफल को मानकर पैसा दो। राजस्थान के स्वयं के जिलों में क्या राजस्थान सरकार क्षेत्रफल के आधार को मानती है या आबादी के आधार को मानती है ? दूसरे वित्त आयोग ने जिस आधार पर आपको आर्थिक सहायता दी उसे आप उचित मानते हैं या जिस आधार को आपने माना है उसको उचित मानते हैं ? इसका उत्तर दें। Do you yourself believe in the principle which you are putting before the Centre ? इसका उत्तर आ जाये।

श्री सुरेशकुमार : क्या सरकार इस स्थिति में है कि इसका उत्तर दे या मैं अपने स्थान पर बैठा रहूं।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरे प्रश्न का उत्तर छोटा सा है। हां या ना में ही उत्तर है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा इम्पार्टेन्ट है। मेरा निवेदन है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा हो जाय।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्या राज्य सरकार ने और बातों पर भी जोर दिया। क्या उन्होंने डेजर्ट क्षेत्र और बोर्डर एरिया, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, आबादी की तरफ भी ध्यान दिलाया है। मेरा निवेदन है सभी चीजों पर जोर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : जोर चला नहीं।

श्री आदित्यन्द्र : यह बात नहीं है, इसमें सभी राज्यों का सवाल है। हर एक राज्य ने अपने-अपने तर्क दिये लेकिन उनको किस आधार पर धनराशि दी जाय, यह एक अलग पाइन्ट है। कुछ पर्सेन्ट उन्होंने पापुलेशन के बेसिस पर, कुछ पर्सेन्टेज एरिया के आधार पर दिया लेकिन एरिया का आधार कम से कम माना है। इसके अलावा ट्राइबल एरिया भी है उसके पिछड़ेपन के लिये भी हमने कहा। राजस्थान सरकार ने इनकम टैक्स में जो हिस्सा आता है, वह मांगा था। राजस्थान ने 70% on the basis of population, 10% on the basis of economic backwardness, 10% on the basis of Scheduled Cast and Scheduled Tribe population मांगा था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बोर्डर एरिया का आपने नहीं दिया है।

श्री आदित्येन्द्र : जो खास–खास पाइन्ट हैं वे ही दिये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपसे बैटर सोच समझ कर दिया गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने।

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने किस आधार पर आर्थिक सहायता दी ? यह मेरा क्वेश्चन था। क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा पैसा मांगा तो क्या केन्द्र की कथनी और करनी में अन्तर है या क्या है ? इसका थोड़ा सा उत्तर आ जाना चाहिये।

श्री आदित्येन्द्र : जो प्रश्न किया है, मैं मानता हूं, राजस्थान ने क्षेत्रफल के आधार पर पैसा मांगा था। उसी तरह से जो डेजर्ट एरिया अभी तक उपेक्षित रहा है और जिसके लिये डेजर्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन का निर्माण हुआ उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाय। फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है हम बैठकर विचार कर सकते हैं कि कहां पर कौन सा क्षेत्र उपेक्षित है और कहां पर ज्यादा मदद दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान)

No more question. प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से मेरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

आप निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में विशेष तौर पर गंगानगर जिले में ओलावृष्टि से हुई फसल की बरबादी के विषय में ।

(2) सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, सूरज पाल सिंह व श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेगिस्तानी जिलों में उत्पन्न अकाल की स्थिति के विषय में ।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(3) श्री राम करण सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील बैराठ के ग्राम गोना का सरग्राम व आसपास की ढाणियों में काश्त की जमीन के जलमग्न होने के विषय में ।

माननीय सदस्य ने पूर्व में तहसील कोट-पूतली के ग्राम नांगल पंडितपुरा की भूमि जलमग्न होने के विषय में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । माननीय सदस्य इन दोनों प्रस्तावों पर संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं । राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर इनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा ।

(4) श्री रामकृष्णदास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर में राजकीय वूलन मिल को प्राइवेट व्यक्ति को किराये पर देने के पश्चात् 100 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस न लेने के विषय में ।

(5) सर्वश्री नूरा, मूल चन्द डागा, दूला राम, रामनारायण चौधरी व गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को जिला जालौर के पुलिस थाना सरवाणा, ग्राम गलीफा के एक निवासी द्वारा एक हरिजन परिवार पर हमला करने की घटना के विषय में ।

इन प्रस्तावों पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान चर्चा उठाई जा सकती है अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्न, जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो, के लिखित उत्तर

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर। व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं बोल रहा हूँ उस पर पाइन्ट आफ ऑर्डर है क्या ? मैंने यह कहा है कल की सूचना के अनुसार आज राजस्थान पत्रिका में और राष्ट्रदूत में····

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ ऑर्डर है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम 35 के अनुसार जो भी प्रश्न छप जाते हैं उनका लिखित उत्तर हमें मिलना चाहिये, किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल 27 तारीख के प्रश्न का उत्तर मिला है 28 का नहीं मिला है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर नहीं है। हम तो समझ रहे थे कोई ग्रौर बात कहेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : सब प्रश्न का उत्तर मिल जायगा।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। बारां में तीन छात्रों को गोली द्वारा मार दिया गया। ग्रभी उनका खून सूखा भी नहीं था कि उदयपुर में····

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह मेहता, 10 महिलाओं को तथा कुल मिलाकर 100 व्यक्ति·····

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचना मिली है उदयपुर के माननीय विधायक के द्वारा।

श्री रामनारायण चौधरी : राष्ट्रदूत में छपा है····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या बिना स्थगन प्रस्ताव के किसी भी ग्रादमी को कुछ कहने का ग्रधिकार नहीं है ? माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह हो क्या रहा है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, क्या किसी भी सदस्य को बिना किसी प्रकार के स्थगन प्रस्ताव के···

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्यों को बोलने के पश्चात् ग्रापको समय दूंगा। पहले स्थगन प्रस्ताव वाले माननीय सदस्य बोल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, सरकार से वक्तव्य दिलाया जावे। राजस्थान सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री भयंकर रूप से घायल हुए हैं, वे ग्रस्पताल में पड़े हुए हैं, ग्रचेतावस्था में हैं। दस महिलायें भी घायल हुई हैं, बच्चे घायल हुए हैं। झुग्गी झौंपड़ी वालों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है···

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : ग्रॉन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर, सर···

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार से तथ्यों पर वक्तव्य दिलाया जावे। ग्राज सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले सरकार ग्रपना वक्तव्य दे। यह मामूली बात नहीं है। राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मन्त्री संसद सदस्य ग्रौर सर्वोदय के नेता ग्रस्पताल में पड़े हुए हैं। उनको मार-मार कर उनकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं···

(व्यवधान)

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने कह दिया कि स्थगन प्रस्तावों पर बोलने वालों के बाद अनुमति दी जायगी। उसके बाद भी यह बोल रहे हैं। इनको

(श्री एच. एन. शर्मा)
बिठाया जावे। आपने व्यवस्था दे दी कि स्थगन प्रस्तावों पर बोलने वालों के बाद इनको बोलने का टाइम दिया जाएगा उसके बाद भी यह बोले चले जा रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न। माननीय रतनलाल वर्मा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय आपके आदेश के बाद भी ये बोले जा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, राजस्थान के एक भूतपूर्व मन्त्री अस्पताल में पड़े हुए हैं। बुरी तरह से महिलाओं को पीटा गया है · · ·

श्री माधोसिंह कछवाह : इनको बाहर निकाल कर सदन में व्यवस्था कायम की जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार राजस्थान सरकार के एक मन्त्री भी वहां पर मौजूद थे · · ·

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : इनको सदन से बाहर निकाल दिया जावे।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि शून्यकाल 2 बजे से अधिक नहीं चलना चाहिए। 2 बजे के अन्दर अन्दर जो भी इनको बात कहनी हो वह कह दें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखना हो तो वह रख दें। और सरकार उत्तर दे दे। जो भी बात हो वह कह दें लेकिन इस तरह से सदन का समय बरबाद नहीं करने दिया जावे। जिस तरह से ये सदन का समय बरबाद करते हैं वह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य के पास कोई कार्य नहीं है · · ·

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है। हम अध्यक्ष महोदय से मांग करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से उदयपुर में · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने · · ·

श्री अध्यक्ष : अब हो जाने दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल पर आज सुबह मैंने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपने कहा था कि इसके बारे में इन्फार्मेशन मंगा लेंगे, कल तक आ जायगी उसके बाद चर्चा कर लेंगे। इसलिए मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को प्रैस नहीं किया · · ·

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो आप भी कह लें। जो माननीय विधायक उदयपुर से आये हैं उनको पहले बोलने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : इनके बोलने से पहले सरकार वस्तु स्थिति पर प्रकाश डाले। सरकार के स्टेटमेंट पर बहस हो · · ·

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई · ·

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उदयपुर के विधायक भी बोलने का हक रखते हैं · ·

श्री रामनारायण चौधरी : आपने बारां में बीस छात्रों को गोली से उड़ा दिया · ·

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई है · · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, माननीय रामनारायण चौधरी ने जिस तरह से यह प्रश्न उठाया है उससे मुझे आपत्ति है। सरकार से उत्तर दिलाया जाएगा और अवश्य दिलाया जाएगा लेकिन कम से कम जो उदयपुर के माननीय विधायक हैं उनको भी दो बात कहने का अधिकार है, उसके बाद श्योपतसिंह जी को भी कुछ कहने का अधिकार है। तत्पश्चात् माननीय गृह मंत्री महोदय उत्तर देंगे। यों हांका पाड़ना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अब बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे सुनने की कृपा करेंगे। मान्यवर · · · ·

श्री रतनलाल वर्मा : इनको बाहर निकाला जावे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन है · · ·

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिस प्रकार का लाठीचार्ज उदयपुर में किया गया है, मुझे भारी दुःख है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं · · ·

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कोई एक माननीय सदस्य को सारे हाउस की कार्यवाही रोक देने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन सुन लें · · · ·

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं · · · · ·

(व्यवधान)

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : इनको बाहर निकाला जावे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले सभी स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री डागा का पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री रामनारायण चौधरी : My point of order was first, Sir.

श्री अध्यक्ष : आपका भी पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री रामनारायण चौधरी : Yes, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : दस दस सदस्य साथ साथ बोलें तो किस तरह से सुनूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : When there is something like that what can I do, Sir, also ?

श्री अध्यक्ष : When you are saying like that then how can I hear all of you at a time !

श्री ईश्वरचन्द्र : He has no point of Order, Sir. ये पाइन्ट ऑफ डिसआर्डर उठायेंगे।

श्री शंकरलाल : On a point of Order, Sir.

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री डागा !

श्री रामनारायण चौधरी : I raised point of Order, first.

श्री अध्यक्ष : He caught my eyes first and he will speak first.

श्री रामनारायण चौधरी : I caught your eyes first, Sir, and I will speak, Sir, first.

श्री टीकमचंद कान्त (जालौर) : ये तो जान-बूझकर झगड़ा करने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : Please sit down. आप स्थान ग्रहण करें। श्री डागा।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव द्वारा ही अभिभाषण पर चर्चा में अन्तरण

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 17 सब रूल (3) की ओर दिलाना चाहता हूं :

(श्री मूलचन्द डागा)

"Governor's address and messages to the House : 17(3) The discussion on the address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 55."

श्रीमन्, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोलने लगे किन्तु उनका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं था।

एक माननीय सदस्य : माननीय राम नारायणजी का भी कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्या करूं ? आप बीच में क्यों बोल गये ?

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जो रूल 17 है उसमें साफ मना है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिस्कशन के दिनों में कोई भी माननीय सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन के सिवाय कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। मैंने भी एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया था किन्तु माननीय गुलाबसिंह कटारिया बोलने लगे, वे उदयपुर से आते हैं, उनका स्वागत है लेकिन उनको अधिकार नहीं है इस पाइन्ट को उठाने का।

एक माननीय सदस्य : नियम 55 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गई है आपको।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय से अनुमति नहीं मांगी गई है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एडजोर्नमेन्ट मोशन के सिवाय किसी पाइन्ट पर डिस्कशन नहीं हो सकता। अगर आपके सामने माननीय सदस्य ने कोई स्थगन प्रस्ताव पेश किया है तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है तो वे कैसे बोल सकते हैं नियमों के अन्तर्गत ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

नियमों का निलम्बन

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। निवेदन यह है कि माननीय डागा जी ने जो रूल कोट किया है, वह यहां पर लागू नहीं होता है। माननीय रामनारायणजी ने खुद ने कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है लेकिन रामनारायणजी को बोलने की अनुमति आपने दी है। उसके बाद आपने उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया को बोलने की अनुमति दी। मैं आपका ध्यान नियम 306 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायगा।

निवेदन यह है कि माननीय रामनारायण जी जब तक बोले अध्यक्ष महोदय ने मना नहीं किया। उसके बाद आपने माननीय कटारिया, जो उदयपुर से आते हैं, को बोलने की अनुमति दी। इसका तात्पर्य यह है कि आपके जो स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के नियम हैं, जो माननीय डागा जी ने कोट किए हैं उनके अनुसार स्थगन प्रस्ताव न होते हुए भी आपने महत्वपूर्ण समझ कर उनको

(श्री शंकर लाल)
बोलने की अनुमति दी है। उसके बाद में बोलने की जो भी कार्यवाही चल रही है, वह आपकी अनुमति से चल रही है। इस प्रकार आपने साधारणत: नियमों का निलम्बन करके अनुमति दी है। यह स्थिति है।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 306 के अन्तर्गत स्पीकर को अधिकार नहीं है। स्पीकर महोदय को सदन की परमिशन लेनी होगी। 306 में स्पीकर को अधिकार नहीं है। उसमें यह बार बार कहा गया है Rule 307 says :

"Residuary Powers : All matters not specifically provided for these rules and all questions relating to detailed working of these rules shall be regulated in such a manner as the speaker may, from time to time, direct."

(व्यवधान)

So, the Speaker has no right under Rule 306 unless the Speaker takes the consent of the House.

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, आप नियम 306 के साथ साथ नियम 307 और 308 भी पढ़ लीजिए। उनमें स्पष्ट है, "अध्यक्ष महोदय को ऐसे सब विषय, जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश दे।" इसके साथ आगे नियम में यह भी कहा गया है कि किसी की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो तो उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

इसलिए अध्यक्ष महोदय उचित समझें तो बाद में अनुमति दी जा सकती है। यह सदन की परम्परा है। इसलिए आपने जो बोलने की अनुमति दी है, वह आपके अधिकारों के अन्तर्गत ही दी है और वह सदन की परम्परा के अनुकूल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात को सुन लें ...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुन कर आप व्यवस्था दें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुनता हूं। मैं आशा करता हूं कि उसके बाद मेरी बात को भी सुनने की आप क्षमता रखेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा है और यह व्यवस्था रही है। उन परम्पराओं और व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मेरा सहयोग है ...

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय रामनारायण जी को तो चीन और वियतनाम पर स्थगन प्रस्ताव रखना चाहिये था ...

(व्यवधान)

यह उनकी आदत रही है।

एक माननीय सदस्य : वह कल आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी ने जो पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाया है उस पर व्यवस्था देने का ग्रापको ग्रधिकार है लेकिन मैं ग्रापका ध्यान नियम 307 की ओर ग्राकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है · · ·

"Residuary Powers to the Speaker. Inherent powers to the Chair."

यह जो इनहेरेन्ट पावर हैं उनकी ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करूंगा, मान्यवर···

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : With all due respect, माननीय डागा जी ने रूल 306, 307 को मिस कोट किया है। स्पीकर पर ऐसी कोई बाइन्डिग नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बराबर है। Speaker has no right, to allow unless he takes the consent of the House.

श्री ग्रध्यक्ष : I have allowed him. माननीय रामनारायणजी को मैंने इजाजत दी है। उनके कुछ भी विचार हों वे प्रस्तुत करें उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। दूसरे एक एक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलें ग्रन्यथा इस सदन के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग हो रहा है। ग्राप कृपया कुछ ग्रासन को भी सहयोग दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रध्यक्ष महोदय, हम ग्रापका प्रोटेक्शन चाहते हैं। कोई भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव रखे, यह ग्रधिकार सब को है· · ·

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट यह नहीं है, सर · · · ·

श्री अध्यक्ष : 307 में मेरे भी कुछ अधिकार हैं। नियमों की ग्रवहेलना हो ग्रौर ग्राप ग्रपनी बात कहते रहें वह तो मैं सुनने को उदारतापूर्वक तैयार हूं लेकिन सदन की परम्परा ग्रौर ग्रासन के प्रति भी ग्रापको कुछ उदार भावना रखनी चाहिये। बार बार ग्रवहेलना हो 307 जैसे नान एग्जिस्टेन्ट है, ग्रापको सबसे पहले मैं समय दूंगा ग्रौर समय देने के कारणों को भी सदन के समक्ष रखूंगा। वह समय ग्राने दीजिये। जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे पहले उनको अधिकार है · · ·

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय डागा साहब का पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ग्रराइज नहीं होता। 307 बहुत स्पष्ट है ग्रौर उसकी व्याख्या का ग्रधिकार 308 में ग्रापको है, मान्यवर। मैं तो ग्रापको एक सूचना दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि ग्रापको· · ·

(व्यवधान)

जीरो ग्रावर में नियम लागू नहीं होता। परम्परा रही है लोकसभा में भी ग्रौर विधान सभा में भी। ग्रापके चैम्बर में बताया या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा था। मैं तो एक सूचना दे रहा था।

श्री किशनसिंह भाटी : रोज रोज सूचना ही सूचना दिया करेंगे कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आपस में कृपया बात न करें।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 307 का हवाला दिया गया है, उसमें यह प्रोविजन है, चाहे रूल में प्रोविजन न हो तो भी अधिकार आपको है। रूल में स्पष्ट व्यवस्था है कि पहले स्थगन प्रस्ताव दिये जायेंगे उसके बाद अगर जीरो आवर में टाइम बचता है और कोई अर्जेंसी की बात है तो इजाजत दी जा सकती है। 10 बजे से पहले ही जो स्थगन प्रस्ताव दे दिये गये उन्हीं पर पहले चर्चा होनी चाहिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : सबसे पहले सूचना दी। Will you please ask the Home Minister to give the statement before 5 P. M. ?

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, जब आपने पहले एक बार आदेश दे दिया तो उसकी पालना करनी चाहिये। आपने इजाजत दे दी है। आयन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री शंकर लाल : यह तो मैटर आफ अर्जेंसी है।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों को समान अधिकार है या कोई डिस्टिंक्शन हैं ताकि हम को भी मालूम हो जाय और हम भी हाउस में ऐसा सोच कर चलें। हम सभी को अपनी बात कहने का समान अधिकार है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़े से माननीय सदस्य किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर यही बात है तो हम लोग भी कुछ कदम उठाने को मजबूर हो जायेंगे। चेयर को विशेष तौर से देखना है कि कितने लोग कार्यवाही में बाधक हैं, कितने लोग बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट बोलते हैं और कितने नहीं बोलते हैं।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चेयर पर आरोप नहीं लगायें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष की गरिमा को बढ़ाने वाली बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप आपस में बात न करें।

श्री शीशराम ओला : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है हम इस व्यवस्था से दुखी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनको तो बोलने दीजिये। मैं सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यहां बैठने वाले माननीय सदस्य हाउस के संचालन में बाधा डालते हैं, ठीक तरह से हाउस संचालन नहीं होने दिया जा रहा है इनकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। इसकी व्यवस्था आप करें। आज एक आदमी सारे हाउस पर छाया रहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया। विद्युत् कनेक्शन बराबर काटे जा रहे हैं...

(व्यवधान)

(श्री शीशराम ग्रोला)

मैं दो दिन से कह रहा हूं । ग्राप कहें तो बैठ जाऊं । मेरा आपसे निवेदन है· · ·

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रासन ने उदारता का व्यवहार किया है इसका परिणाम यह हुग्रा है कि दो दिनों तक सरकारी कार्यवाही बिल्कुल ठप्प हो गई । इसके उपरान्त ग्रगर सब का सब समय विपक्ष को दे दिया जाय तो मेरे ख्याल से यह सदन की परम्परा ग्रौर जनतन्त्र की परम्परा के बिल्कुल प्रतिकूल है । जिस प्रकार माननीय सदस्य रामनारायण चौधरी ने उठ कर ग्रौर समाचार पत्र को ऊंचा उठाकर ग्रासन को संकेत किया, बिना ग्रासन की ग्रनुमति के मनमाने तौर पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया उससे मैं समझता हूं कि यह परम्परा ग्रौर सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत है। यह दुर्घटना जो हुई है यह उदयपुर में हुई है। सबसे पहले मेरे कक्ष में ग्राकर माननीय सदस्य, जो उदयपुर से ग्राये हैं, ने इस संबंध में मेरा ध्यान ग्राकर्षित किया । मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि उनको तो मैं प्राथमिकता दूं । लेकिन वह भी नहीं । ग्रासन की ग्रवहेलना करके माननीय रामनारायण चौधरी ने जो मनमानी बात रखी वह भी ठीक है लेकिन · · ·

श्री रामनारायण चौधरी : यह ठीक नहीं है, ग्रध्यक्ष महोदय · · ·

(व्यवधान)

यह उदयपुर वालों का ही ठेका नहीं है · · ·

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : ग्राप बैठ जाइये ।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको निकाल दिया जाय · · ·

(व्यवधान)

श्री कौशल किशौर जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्राज्ञा की अवज्ञा करने के कारण रामनारायण जी को तुरन्त हाउस से बाहर निकाला जाय । यह बार बार ग्रासन की ग्रवज्ञा कर रहे हैं ग्रौर सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह सांखला : ग्रध्यक्ष महोदय, रामनारायण चौधरी को ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशों की ग्रवेहलना करने के कारण सदन के बाहर निकाला जाय ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा यह निर्णय है कि जो ग्रभी उदयपुर में घटना हुई है उस सम्बन्ध में उदयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य सबसे पहले बोलेंगे । उन्होंने मेरे कक्ष में ग्राते ही मेरा ध्यान इस ग्रोर खींचा था । उनके बाद दूसरे माननीय सदस्य, जिन्होंने मेरा ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित किया है, बोलेंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैंने ग्रापकी ग्राज्ञा का पालन किया है ।

श्री ग्रध्यक्ष : आपकी बात न मानूं तो मुझे कसूरवार समझें । इतनी उदारता के पश्चात् भी इतना उद्वेग हो ग्रौर चेयर पर ग्रटेक ही ग्रटेक हों तो मेरे ख्याल से यह ग्रावश्यक है, माननीय सदस्यगण ।

माननीय श्री कटारिया !

श्री रामनारायण चौधरी : जो आपके कक्ष में आकर मिल लें वह तो पहले बोल लें और जो यहां हाउस में आकर बोलना चाहे वह नहीं बोल सकता है। माननीय सदस्य क्यों सोये रहे। मैंने राष्ट्रदूत के समाचार की बात बताई है। मुझे आपकी इस व्यवस्था पर घोर आपत्ति है। मैं आपकी व्यवस्था का घोर विरोध करता हूं और इस सरकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करता हूं और एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय रामनारायणजी को सदन से सत्र की अवधि तक के लिए निलम्बित किया जाय। यह निरन्तर अध्यक्ष की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं· ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से इस सदन में चीफ व्हिप कायम किया गया है। इतने दिन से हम देख रहे हैं कि सदन में अशान्ति रहती है और वह बैठे रहते हैं। चीफ व्हिप का यह काम है कि वह हाउस के अन्दर शान्ति-व्यवस्था बनाये रखें · · ·

श्री रामनारायण चौधरी : आपने इन्दिरा गांधी को हटा दिया, मुझे भी हटा दें· · ·

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 291 के अन्दर· · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : माननीय रामनारायणजी ने अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद जो शब्द फर्माये हैं उनको निकाल दिया जाय कार्यवाही से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि हाउस में व्यवस्था कायम करने के लिए आसन ने बार-बार काफी कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय सबको अकामोडेट करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ अध्यक्ष महोदय का ही काम नहीं है कि हाउस के अन्दर व्यवस्था कायम करें। व्यवस्था कायम रखने के लिए मुख्य सचेतक कायम किया हुआ है। यह काम मुख्यतः उनका है। हमने देखा है कि इतनी बार अव्यवस्था होती है सत्ता पक्ष की ओर से भी तो मुख्य सचेतक का काम है कि सत्ता पक्ष की ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के पास जाकर उनको रिक्वेस्ट करें और किसी तरह से शान्त करने की कोशिश करें यह उनकी ड्यूटी है। आप यह न भूलें कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं और राजस्थान की जनता देख रही है कहीं ओर। आप के पास सत्ता है। आप आर्डर पास करके कुछ भी कर सकते हैं। हमको भी बोलने का हक है। आप चाहें हमारी बात को मानें या न मानें, यह आपकी मर्जी है, अध्यक्ष महोदय, हाउस में व्यवस्था कायम रखने के लिए हजारों रुपये सरकार मुख्य सचेतक पर खर्च करती है। यह केवल पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर का ही काम नहीं परन्तु चीफ व्हिप का काम भी है। सदन में अशांति-अव्यवस्था होती है तो शांति व्यवस्था बनाने की उनकी ड्यूटी है, वे सदस्य को रिक्वेस्ट करें और उनको शान्त करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
इससे पहले भी इस तरह के कई आकेजन आये हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि मुख्य सचेतक महोदय को बुलाया जाय और वह अगर काम नहीं करते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाय। इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह आपका सुझाव है मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपने, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी सदस्य बोलना चाहेंगे तो मैं एक एक मिनट दूंगा। मैं आपके प्रति और आसन के प्रति आदर रखते हुए ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 5–5 मिनट में पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, रघुनाथजी को अधिकार है कि वह सचेतक के बारे में कहें, यह मैं नहीं समझा। लेकिन माननीय रामनारायणजी विरोधी दल के नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। वह बोलें या न बोलें वह उनका डिस्क्रिशन है। वह यह कहें कि सदस्य सोये रहते हैं तो वह इस तरह का एस्पर्शन किसी मैम्बर पर पास नहीं कर सकते हैं। He should withdraw his allegation.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में जो कल घटना हुई है उसका मुझे दुःख है और सबको उसका दुःख है। श्रीमन्, जिन लोगों का कसूर नहीं था उन लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है इसका हमें दुःख है। श्रीमन्, हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, जिनके पास अपना सिर ढकने को जगह नहीं है, को जगह मिले। पिछले साल उदयपुर यू. आई. टी. ने 1 हजार प्लाट इन लोगों के लिए लाटरी सिस्टम से अलाट किये लेकिन जितने प्रार्थना पत्रों की जरूरत थी उतने प्रार्थना-पत्र नहीं आने के कारण प्लाट खाली रहे। पिछले वर्ष वहां पर एक कच्ची बस्ती फैडरेशन बना। उस फैडरेशन में कौन-कौन लोग है? उसमें वहां के बड़े-बड़े टाप के लोग हैं। जिनके पास उदयपुर में टाप का होटल है उन्होंने 7 प्लाटों पर कब्जा कर लिया। सरकारी कर्मचारियों ने कब्जा किया और यू. आई. टी. के पैरेलल यू. आई. टी. खड़ी कर पिछले डेढ़ महीने से हमने सब लोगों के हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि आप प्रार्थना-पत्र दे दें। हमने पिछले साल 1 हजार प्लाट काटे हैं तो इस साल दो हजार प्लाट दे देंगे। यह व्यवस्था उनको स्वीकार नहीं थी और पैरेलल यू. आई. टी. खड़ी करके हजारों प्लाटों पर कब्जा कर लिया। हमने अखबारों में निकाला पहले कि 3 दिन में कब्जा छोड़ कर प्रार्थना-पत्र दे दें हम स्थान निश्चित करेंगे, लेकिन जो लोग अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

थे उन लोगों ने बहका कर लाठी और फरसे से लैस होकर 2 हजार लोगों का जुलूस निकाला। हमने उनसे निवेदन किया लेकिन नहीं माने। एक ओर तो आप कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटे और दूसरी ओर विरोधी दल के लोग यह कहते हैं। कल तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में सख्ती से निपटने की बात करते थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था बिगड़ने पर भी अपने राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए····

(व्यवधान)

गरीब लोगों को कटवाया जाता है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाया जा रहा है।

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ। बैठ जाओ।

श्री नूरा : हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आप गुण्डागर्दी करते हैं। जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उन लखपतियों को कहा गया जिनकी हैसियत ऐसी है कि वह टीला नहीं महल बना सकते हैं। मकान बना कर उन पर घास फूस डाल कर प्लाट पर कब्जा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम गरीबों से हमदर्दी रखते हैं। उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों का राजनैतिक स्वार्थ है, वह गरीबों को भड़कायें और उनको कहें फरसे और कुल्हाड़ी लेकर चलो। एक भी मां-बहिन के लाठी नहीं लगी है। जिन्होंने इस आन्दोलन का संचालन किया है, उनको भी लाठी नहीं लगी है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यह सरकार लाठी और गोली की सरकार है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसी कार्यवाहियों के लिए सख्ती से काम करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, हमें टाइम देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपको टाइम नहीं दूंगा।

श्री नूरा : फिर हम क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(व्यवधान)

आपने कोई सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : बाद में समय दूंगा।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले के बारे में···

श्री अध्यक्ष : आपकी समस्या है, आप कक्ष में आकर मिल लें।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं): आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए नियम होते हैं। आप नियमों को अलग रखकर सदस्यों को कक्ष में बुला कर मिलने के आधार पर बोलने का मौका दें तो मैं समझती हूं कि यह गलत है ? हमें यह याद रखना चाहिए, आसन पूर्ण तरह से सक्षम है। जो लोग लेट आने की वजह से अपने स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सके, वह कल रख सकते थे। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करती है ? सरकारी बिजनेस नहीं हो पाता है। पिछले दो दिनों से ऐसा होता रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाये जिससे कि सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के जरिये कटारियाजी ने सरकारी पक्ष को मान्यता देने की बात कही है। सरकार ने क्या यह काम कटारिया जी के सुपुर्द किया है ? मेरा निवेदन है कि यह काम उनका नहीं था। यह गृह मन्त्री जी का काम था। स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकारी पक्ष को मान्यता देना ठीक नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस व्यवस्था के आधार पर बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह क्या हो रहा है ?

श्री कौशल किशोर जैन : आप किस व्यवस्था के आधार पर बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा स्थगन प्रस्ताव था और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इस सदन की कुछ परम्परायें हैं उनकी रक्षा की जाये।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन से नियम के अन्तर्गत ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : नियम 294 है।

अध्यक्ष महोदय, लगातार आसन पर आक्षेप किया है गलत शब्दों का प्रयोग किया है। उन शब्दों को निकाला जाये यही मेरा निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : ऐसी कौन सी बात कह दी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। किसी भी विधान सभा का जीरो आवर क्या इतने समय तक चलता है ? विपक्ष की भावना की कद्र करते

(श्री अध्यक्ष)

हुए दो बजे तक जीरो आवर चला है। सदन के समय का ध्यान न रखते हुए बोगस पाइन्ट आफ आर्डर उठाये। माननीय रामनारायण चौधरी रोज इस प्रकार से· · ·

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। I shall name you.

श्री श्योपतसिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात अधूरी रह गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, दो बजे तक जीरो आवर रखा गया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आपकी मानसिक वेदना स्वाभाविक है। आपने कहा कि जीरो आवर दो बजे तक चला। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव दो दिन तक सदन में पेश नहीं हो सका है। अध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों तक आप भी इस सदन के सदस्य रहे हैं। इस विधान सभा में ऐसा कभी मौका नहीं आया कि 15-20 मिनट के बाद धन्यवाद का प्रस्ताव पेश नहीं हो। इस बार यह पहला मौका है कि आज तक, दो दिन तक, धन्यवाद का प्रस्ताव पेश नहीं हो सका। हमको इसकी वेदना है। अध्यक्ष महोदय, इस वेदना को व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके यह तो फर्मायें कि यह सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने अभी अपोजीशन की बात कही है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजीशन का काम सरकार को उसकी गलतियों से सावधान करने का है।

(व्यवधान)

क्या कारण है कि ट्रेजरी बैंचेज कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सके? आज की राजस्थान विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जो सरकार की प्रोसीडिंग नहीं चलने दे रही है।

एक माननीय सदस्य : कौन नहीं चलने दे रहा है?

श्री हरिदेव जोशी : दो दिन से· · ·

श्री कौशलकिशोर जैन : आप नहीं चलने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे-

(व्यवधान)

यह स्वयं कार्यवाही नहीं चलने देते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : दो दिन हो गए लेकिन लॉ मिनिस्टर ने एक बार भी रूल्स के बारे में नहीं कहा। फिर, अध्यक्ष महोदय, कहां किससे, अपोजीशन के किसी आदमी से या गवर्नमेन्ट बैन्चेज के किसी आदमी से· · ·

एक माननीय सदस्य : यह सजेशन हमें देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यह डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है।

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी में हमको जेल में रखकर ये हरिदेव जोशी डेमोक्रेसी की, पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, दो चार मित्र ऐसे हैं जो सदन को एण्टरटेन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हजारों आदमियों को जेल में डाल दिया, बेगुनाह लोगों के घर बरबाद कर दिये।

श्री रामनारायण चौधरी : बैठिये।

श्री मूलचन्द डागा : इनको अधिकार कैसे है बोलने का ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बैठा था। कुछ मित्र आए, उनमें से एक ने कहा कि क्या डांस हो रहा है ? रतन लाल जो का डांस नहीं हुआ क्या ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकर की स्थिति है।

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हरिदेव जोशी विरोधी दल के नेता हैं या राजस्थान के मुख्य मन्त्री ? वे कैसे बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज चार बजे बुला रहा हूं। इन सब समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप भी चार बजे आयेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अवश्य आऊंगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भूतपूर्व मुख्य मंत्री जोशी जी अकेले की ही परेशानी नहीं, परेशानी हमारी भी बहुत ज्यादा है। आखिरकार यह पैदाइश किसकी है ? यह तो समझ में आता है कि यह आपके गुनाहों की पैदाइश है। मैं माननीय जोशी जी से एक बात कहूंगा, यह एक पार्टी नहीं, दरअसल एक लाटरी का माल हाथ लग गया है, ठीक है। इनको इस बात का पता नहीं था कि कभी एम. एल. ए. बन जायेंगे, कभी मिनिस्टर बन जायेंगे इन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं था, इनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा। सब नेकर पहनकर लाठी चलाने का काम करते रहे, स्कूल की चार दीवारी तक ही इनका काम रहा। इससे पहले कभी राजनीतिक जीवन में आए नहीं····

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी प्रक्रिया है····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस वातावरण से माननीय अध्यक्ष महोदय, और किसी को परेशानी नहीं है, हमको सबसे ज्यादा परेशानी है। हम स्थगन प्रस्ताव रखते हैं तो बोलते हैं, आप इजाजत देते हैं तो बोलते हैं। यह दोनों तरफ से साजिश चल रही है। इधर के हालात ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए और इधर माननीय रामनारायणजी चौधरी इन्दिराजी के बड़े भगत हैं। उनका मानना है इन्दिरा का सबसे बड़ा भगत वह है जो सबसे ज्यादा डिस आर्डर पैदा करे, मैं एक बात पूछता हूं ..

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे परेशानी है इस बात की, हम स्थगन प्रस्ताव रखते हैं, नियम और प्रक्रिया से हम चलना चाहते हैं ....

श्री मूलचंद डागा : रूल 272 की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये किस प्रकार से दोषारोपण कर सकते हैं ? How can he make allegations ? He cannot make allegations.

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आसन पर आक्षेप हो रहा था उस समय डागा साहब नहीं बोल रहे थे। क्या आरोप लगा दिया इन्होंने ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ी परेशानी हमारी है, मैंने आपके आदेश का पालन किया, स्थगन प्रस्ताव रखा। सवाल यह पैदा होता है कि इस सदन की कार्यवाही आखिरकार प्रक्रिया से कैसे चले। सदन की कार्यवाही में दिलचस्पी है हमारी। लेकिन हमारे सदस्य नियम भूल जाते हैं। रामनारायणजी ने अखबार घर पर पढ़ा होता तो स्थगन प्रस्ताव आ जाता लेकिन घर पर नहीं पढ़ा रास्ते में खबर मिल गई तो सोचा बोल लें रेडियो पर नाम आ जायेगा। अखबार में नाम आए इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं ..

(व्यवधान)

रामनारायणजी सबक लेते उनसे जो किसी समय सदन के नेता थे। उनके लक्षण ठीक होते तो बदले नहीं जाते। हम सोच रहे थे कि अब वह ठीक हो जायेंगे लेकिन वही पुरानी गुदगुदी उठती है और शुरू हो जाते हैं। सबको प्रक्रिया के आधार पर बोलना चाहिए। अगर इस तरह रोजाना सूचना देंगे तो कौन नहीं देगा ?

फिर तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको क्या तकलीफ हो गई ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल एक है कि हाउस प्रापर्टी सबकी है, यह किसी को अधिकार नहीं कि सारे सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करे।

खैर ! आपने उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को समय दिया। मैं सोच रहा था कि वे कुछ बात कहेंगे। जिनको

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

लाठियां लगी हैं उनमें बलवंतसिंह मेहता थे, जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं। वह पूंजीपति हो सकते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आया, उन्होंने यह बात क्यों नहीं कही। जिन लोगों को लाठियां लगीं, कटारिया साहब, उन गरीबों की समस्या के समाधान की बात करते तो समझ में आता। उन्होंने नाम बताए कि उनके पास इतने प्लाट्स हैं। तो फिर उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला ? आप तो सरकार में बैठे हैं। दोनों तरह की बात नहीं चलेगी। वह कोई नाबालिग बच्चे थे जो प्रदर्शन में गए ? क्या सिवाय जनता पार्टी व आर. एस. एस. के कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता ? यह कहां लिखा है ? हजारों लोग गए। सैंकडो लोगों की झौंपड़ियां रातों रात मिट गईं, सर्दी में वे लोग बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनको भड़काया गया। तो फिर उनको पकडो। अगर वे दोस्त हैं तो आपको परेशानी क्यों है ? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया ? कटारिया साहब, हजारों लोग गए, वे लोग समझदार हैं। आपकी पुलिस ने बूढ़ी औरतों के सर फोड़े, स्वतन्त्रता सेनानियों को पीटा है आपके मत के हों वे तो सभी अच्छे बाकी सब खराब, यह बात नहीं चलेगी। 50 लोग वहां घायल हुए। कटारिया साहब को हमदर्दी जाहिर करनी चाहिए थी, उनको सरकार को कहना चाहिए था कि यह समस्या क्यों पैदा होती है। आप तो मकान में रहते हैं, कभी उनकी हालत जाकर देखो, कोई अशांति पसंद नहीं करता। आप कहते हैं कि झुग्गी झोंपड़ी वाले बेईमान हैं। तो आप कौन से शरीफ हैं ! तमाम पढ़े लिखे लोग शरीफ, बड़ी-बड़ी हवेलियों वाले शरीफ और सारे गरीब बेईमान, यह मापदंड नहीं चलेगा। यह मखौल है गरीबों का। आप इल्जाम लगाते हैं कि ये बेईमान लोग हैं, उनके पीछे कोई और है, ऐसा मत कहिए···

श्री कौशलकिशोर जैन : आप इल्जाम लगा रहे हैं···

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनके तो ××× की तरह एक्शन्स हैं। बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं। इनको तो रोको।

श्री मदन सिंह दांता : वह आदमी है या क्या है ?

एक माननीय सदस्य : आक्रोश में आकर किसी माननीय सदस्य को ××× कहना ठीक नहीं है।

श्री मंजूर अली : ××× शब्द को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने कहा, उनकी हरकतें ऐसी हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : जो शब्द माननीय श्योपत सिंहजी ने कहे, वे गलत हैं। वह उसके लिए क्षमा मांगें।

कई माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं।

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे व्यक्तिगत कुछ कहना है। अगर श्योपत सिंहजी किसी सदस्य के लिए ××× कहते हैं तो, मैं कहता हूं वह ××× है, वह ××× है। तुम ××× आप ××× बात मत करो।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने इसलिए कहा था। वही शब्द मुंह से निकल रहे हैं, मैंने इनकी हरकतों की बात कही थी।

श्री कौशलकिशोर जैन : आप ठेकेदार नहीं हैं कि आप सब कुछ बोल सकते हैं।

श्री नूरा : ख्वामख्वाह हमारा समय खराब करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यही उम्मीद करता था, आप ठीक बोले। मैं गुलाब चन्द जी से कह रहा था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने ऐसे शब्द कहीं नहीं कहे कि गरीब लोगों के साथ ऐसा किया जाय। माननीय सदस्य ये शब्द बार-बार कहने का प्रयत्न कर रहे हैं ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने किसके बारे में कहा है...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 7 लोगों को पीटा गया, उन लोगों को जबर्दस्ती इस काम के लिए प्रेरित किया गया। जितना उनका कोटा था वे उतनी एप्लीकेशन्स भी नहीं दे सके। हमने जितने स्थान सुरक्षित रखे, उतनी एप्लीकेशन्स भी नहीं आईं। हमने कहा दो हजार प्लाट्स और रखे हैं लेकिन विधिवत कार्यवाही द्वारा हम उनको देना चाहते हैं। वह गलत बात कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे मालूम नहीं था कि आपने उदयपुर में सोने के मकान बना दिए हैं, सोने की लंका बना दी है। एक बात जरूर है, आपने सोने की लंका बनाई है उदयपुर में, अखबारों में पढ़ा है कि वहां पर रातों रात झोंपड़ियां ढह गईं। उसके विरोध में जब प्रदर्शन करने के लिए आए तो यू. आई. टी. के चेयरमैन के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, सर फोड़े। मैं यह बात कहना चाहता हूं, प्रदर्शन करने के लिए कोई डेली वेजेज पर नहीं मिलता। प्रदर्शन में वे लोग जाते हैं जिनके दिल में दर्द होता है, परेशान लोग जाते हैं हमेशा प्रदर्शन करने के लिए। कटारिया साहब, आप मजाक बना रहे हैं गरीबों का। कोई बात नहीं है हम उदयपुर आयेंगे और देखेंगे। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं लेकिन सरकार को मैं मेरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि कटारिया साहब को नहीं कहना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि अब हमारे बेचारे गृह मंत्री जी की चलती नहीं है। घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। असल में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उन उच्च अधिकारियों को हुक्म दूसरी जगह से मिलते हैं। हमने देखा है आपके हुक्म को गंगानगर में चलते हुए, हमने देखा है आपके हुक्म को कोटा में चलते हुए और आपके हुक्म को उदयपुर में भी हमने चलते हुए देखा है। कुछ ठिकाने हैं, जगह हैं जहां से पुलिस को हुक्म जाते हैं। मैंने कहा था कि इसको आप बन्द कर दीजिए। आपकी पुलिस के डंडे को खून का चस्का लग गया है। अब गोली का भी चस्का लग गया है। पहले आदमी के खून का चस्का लगा और अब बूढ़ी बूढ़ी औरतों के खून का चस्का भी लग गया। यह लाठियां आपको भी माफ नहीं करेंगी। जिसको एक बार चस्का लग जाता है वह छोड़ता नहीं है, उसकी भूख शांत नहीं होती है। उसकी भूख तभी शांत होती है जब कि मौत होती है।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कांग्रेस के जमाने में भी लाठियों को खून का चस्का पड़ गया था। उसका नतीजा क्या हुआ। उसका नतीजा मौत हुआ। अगर आपने इसको नहीं रोका तो आपका भी वही हश्र होगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट के लिए कुछ निवेदन करना है। मुझे आपने बोलने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय, हम अपने ढंग से आन्दोलन करके सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाना चाहिये। इसके लिए यह बात सामने आई कि यह सी. पी. एम. और सी. पी. आई. वाले झगड़ा कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। जालौर के कम्युनिस्ट पार्टी के सैक्रेटरी का एक पत्र भी आया है जिसमें लिखा है कि 16–2–79 को जालौर के पुलिस थाना सरवाणा ग्राम गलीफा के निवासी पहाड़सिंह पुत्र शमलसिंह के द्वारा एक हरिजन परिवार पर हमला किया गया है और उनको लाठियों और डंडों से मारा गया है। उनको डरा कर गड़वा दिया और हवा तक नहीं लगने दी। पार्टी सैक्रेटरी ने बाड़मेर में कहा था वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। ऐसी घटनायें तो कटारिया साहब लाते नहीं हैं, आपकी सरकार की पुलिस लाठियां बरसाती हैं। माननीय श्योपतसिंह जी भी सही कहते हैं कि लाठियां बरसाने में पूंजीपतियों का हाथ है। मजदूर और गरीब किसान आन्दोलन करते हैं या झुग्गी झोंपड़ी वाले आन्दोलन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने के लिए पूंजीपति के लोग आ जाते हैं और पुलिस भी उनको शह देती है। मजदूर और किसानों के ऊपर मुकदमे चलाते हैं जमीनों के मामले पर और कटारिया जी इल्जाम लगाते हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप कहते हैं कि यह सी. पी. एम और सी. पी. आई वाले झगड़ा कराते हैं। हमारे कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब भी मुझे डांट रहे थे। मैं कहता हूं कि हम इसकी परवाह नहीं करते। अगर आपने गलत कदम उठाया तो आपके खिलाफ भी हम कदम उठायेंगे। हमको मांग करने का अधिकार है। आपका काम डंडे बरसाने का है तो हम उसका जवाब देंगे। जागीरदारों और पैसे वालों के लिये आपकी जुबान खुलती नहीं और गरीबों के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं। आप सी. पी. एम और सी. पी. आई. के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, यह कतई सही नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसको छुपाने के लिए आपने भाषण दिया है, यही निवेदन करना है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को आदेश दिया है बोलने का। माननीय सदस्य, मैं आपको इजाजत देने में विवश हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष : मेरी आज्ञा नहीं है। गृह मंत्री जी!

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दरअसल में यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे बड़े बड़े शहरों में कई स्थान ऐसे हैं जहां गरीबों को प्लाट नहीं मिल पाये। यह काफी दिनों से मामला चल रहा है जयपुर में और उदयपुर में और दूसरी जगह पर भी। सरकार का यह कर्त्तव्य है और उसको यह कर्त्तव्य निभाना चाहिए कि जो भी गरीब आदमी है उसके लिये जमीन की व्यवस्था करें। इसमें जहां सरकार के द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन का प्रश्न आता है उसके साथ ही साथ उनका भला चाहने वालों, चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल के हों, का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह संवैधानिक तरीके से काम करें। अगर ऐसा होता है तो छोटी मोटी घटनायें गरीबों के साथ नहीं होंगी। इसको बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। मैं यह चाहता हूं स्टेटमेन्ट देने से पहले कि गरीबों के साथ जहां कहीं कोई घटना हो उसमें पुलिस का कम से कम उपयोग करें, जहां तक हो सके नहीं करें लेकिन कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें जिससे मजबूर होकर ऐसा करना पड़े और फिर हम सब को दुख हो। अभी कटारिया जी ने कुछ कहा। लोकल सेल्फ मिनिस्टर से मैं कहूंगा कि वह उदयपुर जायें और देखें, उनके पास जमीन नहीं है तो उनको जमीन दें लेकिन ऐसी हालत पैदा नहीं करें जिससे ऐसा काम करने का मौका आये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो मेनीफेस्टो है, संविधान और कानून की जो व्यवस्था है उसके तहत ही हम चल सकते हैं। समाजवाद अतिक्रमण से नहीं आयेगा। समाजवाद कानून कायदे के व दलने से आयेगा। हम अपने विभाग को बदलें और उसके मुताबिक काम करें, मैं यह चाहता हूं। इस बैकग्राउण्ड के साथ मैं अपने स्टेटमेन्ट को पढ़ूंगा।

उदयपुर नगर की विभिन्न बस्तियों में नगर सुधार न्यास की भूमि पर अतिक्रमण कर अनधिकृत निर्माण कर लेने पर नगर सुधार न्यास के कर्मचारियों ने कल दिनांक 27–2–79 के प्रातः काल माचना, मगरा तथा अम्बा माता बस्तियों में बने करीब 140 अवैध निर्माणों को गिराया··

श्री श्योपतसिंह मकासर : न्यास के कर्मचारियों ने जो कि आर. एस. एस. के हैं।

श्री सम्पतराम : जिसके विरोध में कच्ची बस्ती फैडरेशन द्वारा नगर में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस ने न्यास कार्यालय एवं कलेक्टरेट व टाउन हाल के सामने प्रदर्शन किया एवं कलेक्टरेट से वापस न्यास कार्यालय पर पहुंचे। न्यास कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों, जिनकी संख्या करीब 500–600 थी, ने उग्र प्रदर्शन किया और जबर्दस्ती कार्यालय के अन्दर घुसने का प्रयास किया। मौके पर उपस्थित पुलिस दल ने इन्हें रोका जिस पर प्रदर्शनकारी और भी उत्तेजित हो गये और हिंसा पर उतर आये। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर उपस्थित उप अधीक्षक पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया और मौके से तितर-बितर हो जाने को कहा मगर भीड़ पथराव करती रही। उनमें से एक ने उप अधीक्षक पर लाठी से वार किया। प्रदर्शनकारी न्यास कार्यालय में जबर्दस्ती अन्दर घुसने लगे। पथराव के कारण कई पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई जिस पर

(श्री सम्पतराम)
शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया।

इस घटना में 30 पुलिस कर्मचारियों तथा 11 प्रदर्शनकारियों के साधारण चोटें आई हैं। दो प्रदर्शकारियों, जिन्होंने अन्दरूनी दर्द की शिकायत की थी, को अस्पताल में देख रेख हेतु भर्ती कर लिया गया है। उनकी हालत ठीक है।

पुलिस ने इस घटना से सम्बन्धित अभियोग दर्ज कर लिया है एवं स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष जी एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो उदण्ड थे, जो हावी हो रहे थे और जिन्होंने ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी गृह मंत्री जरा बता दें, वे कितनी उम्र के थे ? बलवन्तसिंह जी 80 साल के बूढ़े और 80 साल की बुढ़िया ने वहां क्या खतरनाक स्थिति पैदा कर दी जिससे पुलिस को खतरा हो गया था। यह मेरी समझ में नहीं आता है। जो लोग वहां गड़बड़ कर रहे थे वे तो भाग गये। और सिर किसका फोड़ा ? बलवन्त सिंह जी का।

श्री मदन सिंह दांता : उम्र तो जय प्रकाश नारायण जी की क्या है जिन्होंने हजारों को मरवा दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लाठी चार्ज दिन में हुआ है, रात में नहीं हुआ है। पुलिस की आंखों पर पट्टियां नहीं बांधी गई थीं। यह सारा वाकिया दिन में हुआ है। पुलिस वालों को मालूम था कि औरत की शक्ल कैसी होती है, उसका पहनावा कैसा होता है और आदमी कैसा होता है। बलवन्त सिंह जी कोई परदेशी नहीं थे। उदयपुर का एक एक बच्चा उनको जानता है। वे स्वतंत्रता सेनानी हैं ऐसे आदमी के लिए यह कहें कि उन्होंने लॉ एण्ड आर्डर को बिगाड़ा और लॉ एण्ड आर्डर के लिए उनका सिर फोड़ दिया तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, श्री बलवन्तसिंह जी मेहता सर्वोदयी, गांधीवादी और पूर्ण अहिंसक हैं। वे इस सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। उनको बुरी तरह से मारा गया, यह बहुत ही गम्भीर मामला है इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाय, यही मेरी पुरजोर मांग है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट आई है वह सही नहीं है। बूढ़े आदमी कोई लाठी लेकर आये होंगे, यह बात समझ में नहीं आती। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस वालों ने ही ऐसा किया है। 80-80 साल के जो लोग थे आन्दोलन में उनके लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होने पत्थर फैंके। अध्यक्ष महोदय, यह सब पैसे वालों और बड़े-बड़े जागीरदारों की मिली भगत है। यह मेरा खुला आरोप है।

श्री राम नारायण चौधरी : जिनको बच्चा-बच्चा उदयपुर में जानता है, राजस्थान में सब जानते हैं, जो राजस्थान प्रदेश के मंत्री रहे हुए हैं और जो 80 साल के हो

(श्री रामनारायण चौधरी)

गये, क्या पुलिस वाले उनको जानते नहीं हैं ? रिपोर्ट में कहा गया है कि डी. एस. पी. को चोट पहुंचाने में वलवन्तसिंह शामिल थे। क्या उन्होंने कच्ची बस्ती में जाकर जबर्दस्ती कब्जा करवाया है जिससे उनको पीटा गया है ? चार महिलाओं को पीटा गया है, निर्दोष बच्चों को पीटा गया है। आज बलवन्तसिंह मेहता हॉस्पिटल में हैं। उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी मासूम बच्चों और स्वतन्त्रता सेनानी, जो 75-80 साल के थे, को लाठियों से मार कर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : भाषण करने का अधिकार है।

श्री सम्पतराम : प्रश्न पूछेंगे तो सरकार उनका जवाब देगी। माननीय सदस्यों को मालूम है स्टेटमेंट होने के बाद रूल्स में यह व्यवस्था है कि भाषण नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य जो सवाल पूछेंगे मैं निश्चित रूप से उनका जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बलवन्तसिंह जी की निर्मम पिटाई की गई है। आज वे हास्पिटलाइज हैं। उनको बच्चा-बच्चा जानता है, पुलिस अधिकारी जानते हैं। फिर जान-बूझकर बलवन्त सिंह जी को क्यों पीटा गया ? इसके पीछे क्या षड़यन्त्र है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं चर्चा समाप्त करना चाहता हूं। माननीय रामकृष्ण दासजी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो दो मिनट में पूछ लें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्रीजी, क्या यह जवाब दे पायेंगे कि जनता सरकार के कई मंत्रियों और मुख्य मन्त्री ने अनेक बार यह घोषणा की थी कि कांग्रेस ने 21 अगस्त, 1971 तक के कब्जों का नियमन करने के आदेश दिये हुये हैं उसके बजाय जनता सरकार 22 जून, 1977 तक के कब्जों का नियमन कर देगी ? जब अनेकों बार मंत्री स्तर पर इस प्रकार की घोषणायें की गई कि जिस दिन राजस्थान में भैरोंसिहजी ने मुख्य मंत्री की शपथ ली उस दिन तक के कब्जों का नियमन कर देंगे तो फिर किसी को अधिकार नहीं है कि इन नये कब्जों को तोड़े। सस्ती पापूलेरिटी ग्रहण करने के लिये और आम आदमी को गुमराह करने के लिये आप सस्ती घोषणायें कर देते हैं लेकिन उन घोषणाओं के अनुसार आप कानून नहीं बना सकते हैं। श्रीमन्, मुझे मालूम है बीकानेर शहर में यू. आई. टी. कोई प्लाट अलाट करती है · · ·

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, फिर भाषण हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सत्तारूढ़ दल बीकानेर में प्लाट आक्शन करता है तो कोई भी गरीब आदमी 70 रु. गज में प्लाट

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

नहीं ले सकता है। गरीबों के लिये अलग स्कीम बनाकर प्लाट अलाट करने चाहिये। हमने उनके लिये कायदे कानून बना रखे हैं लेकिन उनका कोई पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार बड़ी बड़ी कोठी और नहरें बना सकती है तो फिर गरीबों के लिये झोंपड़ी क्यों नहीं बना सकती है ? अगर हमारी सरकार सही कानून नहीं बनायेगी और मंत्रियों की घोषणाओं के अनुसार सही नियमन नहीं करेगी तो कोई वजह नहीं है कि गरीब जहां चाहे वहां कब्जा नहीं करे। मैं समझता हूं बलवन्तसिंहजी मेहता ने जो गरीबों के आंदोलन को लीड किया, वह सही किया है। कानून को तोड़ना होगा। कानून को तोड़ने के लिये इन्दिरा की सरकार ने भी पीटा था उसका नतीजा क्या हुआ यह भी देख लीजिये। आज बलवन्त सिंह जी को भी पीट लीजिये मगर जिस सत्ता के लिये इस प्रकार की मार पड़ रही है वह आपसे भी छिन कर रहेगी। मैं गृह मंत्रीजी से कहूंगा‥

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी हो गया है। माननीय सदस्य, मैं समझता हूं ये इर्रेलेवेन्ट इश्यूज हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में ही मूल मुद्दों को उठाना चाहता हूं मुझे इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, चर्चा समाप्त करें। आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एच. एन. शर्मा : हां, कुछ मूल मुद्दों को मैं उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गरीबों को किस प्रकार प्लाट अलाट हो सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डालें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार हजारों-लाखों लोगों की क्या व्यवस्था कर पायेगी जब आपकी पुलिस ने परसों ही बारां में लाठी, गोलियां छात्रों पर बरसाई हैं. . .

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, आपने आकर्षित कर दिया।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने शब्दों में यह कहा है कि गरीबों को रहने के लिये प्लाट मिलने चाहिये। कुछ मुद्दे उदयपुर की घटना से सामने आते हैं जिन पर बरबस मजबूर होकर हमें सोचना पड़ता है। अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि प्रातःकाल गरीबों की झोंपड़ियां तोड़ीं। जब प्रातःकाल कहते हैं तो प्रातःकाल मैं समझता हूं कि पांच-छः बजे होता है‥‥

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक बजे होता है। एक, दो, तीन, चार पांच बजे भी प्रातःकाल है।

श्री एच. एन. शर्मा : प्रातः काल 1 बजे होता होगा लेकिन पांच बजे जब उन झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ा तो क्या यही समय था इनको तोड़ने का ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रातःकाल कितने बजे तोड़ी गई ? यह स्पष्ट करें।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अवैध कब्जा बताया गया है। यह

(श्री एच.एन.शर्मा)

कब्जे कितने दिनों के हैं, कितने दिन पहले कब्जे किये गये थे ? पांच दिन पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले या पांच साल पहले के थे ? ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं कि कल सुबह ही उनको तोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई ? अगर एक साल पहले के भी थे तो अवैध कब्जे करने क्यों दिए गए ?

माननीय सदस्य कटारियाजी ने कहा कि गलत लोगों द्वारा अवैध कब्जे करवाये गये। अगर लोगों को बहकाया गया तो बहकाने वाले कौन थे ? उन बहकाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? उन बहकाने वाले लोगों के प्रति सरकार सचेष्ट क्यों नहीं है? यू.आई.टी. के पास दुनियां भर के कर्मचारी हैं, सरकार के पास दुनियां भर के कर्मचारी हैं। अगर सरकार सोती रही तो इसकी सजा गरीबों को क्यों ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सबसे मुख्य बात यह है कि कच्ची बस्तियों का फैडरेशन मौजूद था। क्या कच्ची बस्ती फैडरेशन को पूर्व में सूचना दी गई ? झोंपड़ियां तोड़ने से पूर्व क्या कच्ची बस्ती फैडरेशन को सूचना देना आवश्यक नहीं था ? अगर वहां फैडरेशन था और फैडरेशन बना हुआ था तो उसको पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए थी। यह उनका अधिकार है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रातः काल का स्पष्टीकरण करें। उस फैडरेशन की सूचना दी गई या नहीं, यह बतावें। अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी ? अवैध कब्जा कराने वाले घिनौने लोग असली दोषी हैं। गरीब और मजदूर असली दोषी नहीं हैं। असली दोषी वे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए लोगों को बहकाया। उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? चाहे वे लोग सी. पी. एम. के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे बलवन्त सिंहजी उनके साथ हों या कोई भी हो,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है, यह बताया जाय ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों का स्पष्टीकरण करवाया जाय वर्ना जब गरीब के दिल में आग लगेगी तो वह न सरकार को बख्शेगा और न किसी और को। गरीब और मजदूर झोंपड़ियों में रहता है। चाहे सी.पी.आई. और सी.पी.एम. हो, चाहे धन्ना सेठ हो, जो अवैध कब्जे कराने वाले हैं उनके खिलाफ सख्ती से सरकार को निपटना होगा। अगर सरकार सख्ती से नहीं निपट सकती तो जब गरीब का खून खोलेगा तो अपने आप तख्ते ताऊस उल्टे हो जायेंगे। अगर तख्ते ताऊस उल्टे होने से बचना चाहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करो। गरीबों को जमीन दो, गरीब मजदूरों को उनके रहने के लिए जमीन और पट्टे दो…

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री एच.एन. शर्मा : अवैध कब्जे तभी करते हैं जब उन बेचारों के पास रहने को जगह नहीं होती। आज इन्हें कोई बहकायेगा तो वह बहकावे में तभी आयेंगे, चोर तभी चोरी करता है जब उसके पास खाने को दाना नहीं मिलता, दाने दाने के लिए मोहताज होगा। जब उसके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा तो अवैध कब्जा नहीं करेगा तो क्या

(श्री एच.एन. शर्मा)
करेगा। मजबूर होकर वह अवैध कब्जा करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी इन पर पूर्णतया सोच समझ कर विचार करें, इन पर नियंत्रण करें और गरीबों को मुआवजा दें वरना गरीब मजदूर, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, आगे आ जाएगा तो फिर क्या होगा यह आप खुद समझ सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अकाल की स्थिति के बारे में है···

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्थगन प्रस्ताव तो मेरा है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं··

श्री एच. एन. शर्मा : मैंने सारे प्रश्न उठा दिये हैं। अवैध कब्जों की बात उठा दी है, फिर क्या कहना रह गया है। बीच में बोलने की रामनारायणजी की तो आदत है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री एच. एन. शर्मा : गृह मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के बाद कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे। अभी स्वयं माननीय श्योपतसिंहजी कह रहे थे कि वहां हजारों आदमी थे। हजारों आदमी नहीं, जैसी मेरे पास रिपोर्ट है पांच-छः सौ आदमी थे ऐसी हालत में भगदड़ हो जाती है और लाठी चार्ज होता है तो घायल भी हो जाते हैं, धक्का भी लग जाता है और लाठी से भी लग सकती है। ये सब बातें हो सकती हैं। बलवन्तसिंह जी के साथ उस महिला की उम्र 80 साल बताई गई। वह 45 साल की है··

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसीलिये मारा है। वह जवान थी इसलिए मारा।

श्री सम्पतराम : आपने जो फर्माया उसके लिए बता रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह जवान थी इसीलिए मारा है?

श्री सम्पतराम : इसके अलावा अवैध रूप से योजनाबद्ध तरीके से कब्जे किए गए। वे पिछले पांच-छः महीने पहले ही किये गये हैं। जो मगरे होते हैं, मगरे की जमीन को साफ करके वहाँ प्लाट ईयर मार्क कर दिये जाते हैं। कोई कांस्टीट्यूशनली अप्रूव्ड कालोनी हो तो प्लाटों का अलाटमेंट करते हैं। 144 झौंपड़ियां गिराई गई हैं जिनमें कोई व्यक्ति रहता नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सूचना पक्की है। ईंटों की दीवार बनाई गई हैं उन ईंटों की दीवार को गिराया गया है··

श्री श्योपतसिंह मकासर : खूब झूंठ बोलो।

श्री सम्पतराम : प्रातःकाल एक बजे होता है या पांच बजे होता है, यह तो

(श्री सम्पतराम)

मुझे पता नहीं है लेकिन यह घटना सात बजे की है। जो मेरे पास सूचना है वह निश्चित सूचना है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : लाखों की बिल्डिंगें खड़ी हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर): अकाल के बारे में...

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आप दोनों का है। माननीय सदस्य वृद्धिचन्द जी, मैंने आपको कहा था कि आपका प्रस्ताव कल लूंगा। आपको कहा था कि कल लूंगा, फिर आप बोल रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ओलावृष्टि पर...

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले जो कुछ कहा उसको फिर रिपीट करूंगा। अगर आपको संतोष हो मेरी व्यवस्था से तो मेरे कक्ष में आकर मिलिये। अगर आप असंतुष्ट हों तो आपकी मर्जी।

श्री मदन सिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री मदन सिंह दांता : वह यह है कि क्या आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी जो उन्होंने रखा था....

श्री श्योपत सिंह मकासर : वह तो सूचना पर था। मेरा स्थगन प्रस्ताव तो अलग से स्वीकारा है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य को आप दो स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की इजाजत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी आपत्ति को अपहैल्ड करता हूं। माननीय श्योपतसिंह जी स्थान ग्रहण करें। मैं आपको इस बारे में मौका आज नहीं दे सकता।

श्री मदन सिंह दांता : क्या मेरा पाइन्ट आफ आर्डर ठीक था?

श्री अध्यक्ष : मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने जो सुझाव दिया उससे मुझे बहुत मार्गदर्शन हुआ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो आपका ही आदेश मानते हैं। रामनारायण जी नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पहले दिया था और दूसरा जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह ग्राम गोना का सरग्राम नामक गांव के बारे में है। सदन में दो दिन से जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा से कम महत्व का यह भी नहीं है। बारां में कतल हुए, गोली से आदमी मरे, उदयपुर में लाठी चार्ज हुआ उससे कहीं अधिक लोग

46

(श्री रामकरण सिंह)

वहां पर मरे हैं। सरग्राम के सम्बन्ध में मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है वहां भी कम लोग नहीं मरे हैं। आज वहां पर लोग रिस रिस कर मर रहे हैं तरस तरस कर मर रहे हैं, सड़ सड़ कर मर रहे हैं। आदमी ही नहीं मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में सदन के सामने यह पांचवां मेरा स्थगन प्रस्ताव है पांचवें स्थगन प्रस्ताव के बाद में और मुख्य मंत्री के आदेश के बाद में, माननीय निर्माण मंत्री, जो कि अकाल मंत्री भी हैं, के मौके पर जाने के बाद में, उनके द्वारा दो लाख मंजूर करने के बाद में भी सिंचाई विभाग सोया हुआ है। जब मैं दुबारा पर्सनली मुख्य मंत्री जी से मिला, माननीय पूनिया साहब से मिला तो पूनिया साहब ने फोन किया, उन्होंने अधिकारियों से पूछा तो उनको यह जवाब मिला कि वहां का पानी नहीं निकल सकता। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोग सोये हुए हैं, जिन लोगों ने आपको आज कुर्सी पर बिठाया, जिन लोगों ने आप लोगों को यह दिन दिखाया आज उन लोगों की हालत यह है कि पानी के अन्दर डेढ़ वर्ष से बराबर खड़े हुए हैं। लोगों और पशुओं के पैर गल जाते हैं। फोडे-फुंसियों से रिस रिस कर खतम हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, मक्खी और मच्छर उनको रात-दिन काटते रहते हैं, उनके चूल्हे पानी से भरे हुए हैं वे रोटी नहीं खा सकते। इस स्थिति के लिए केवल सिंचाई मन्त्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जिम्मेदार हैं। पिछले सत्र में मैंने डी. के. जैन, जो कि सहायक अभियन्ता हैं, के बारे में निवेदन किया था। उनके तबादले के बारे में कहा था परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मेरी बात उन्होंने नहीं मानी इसलिए मैं यहां पर आरोप लगा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन लोगों की हालत अर्ज करना चाहता हूँ। माननीय पूनिया जी यहां पर विराजमान हैं, आप चाहें तो उनका स्टेटमेन्ट ले सकते हैं। आज वहां पर 35 कुएं जलमग्न हैं। जिस भूमि से लोग कमा कर खाते हैं वह भूमि जलमग्न है। फिर भी यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ललितकिशोर जी इसके कुछ भी कारण दें अपनी पार्टी में, वे शेखावत जी को मुख्य मन्त्री रखना चाहते हैं या नहीं, इस बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है परन्तु यह कोई परम्परा नहीं है। राजस्थान के एक गांव, जिसके लोग मर रहे हैं, पर हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय तरस नहीं कर रहे हैं। अकाल राहत मन्त्री जी ने दो लाख रुपये मन्जूर कर दिये और ये लोग रुपया लेकर बैठ गये। जो वहां का एक्स. ई.एन. सक्सैना है उसने टेन्डर इन्वाइट किए। टेन्डर इन्वाइट होने के बाद उनको वर्क आउट कर लिया परन्तु बाद में ललित जी ने पाबन्द कर दिया कि काम नहीं हो इसलिए वहां पर काम नहीं हुआ। बताइये, अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या कारण हो सकता है? एक्स. ई.एन. द्वारा टेन्डर इन्वाइट कर लिए जाते हैं, वे खुल जाते हैं उसके बाद काम रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह प्रश्न जिला सतर्कता समिति में भी उठाया गया है कि वहां पर इस तरह से अन्याय हो रहा है। हमको यह कहा गया कि एक महीने में हो जाएगा। इस तरह से कह कर टाल दिया गया। आज इस बात को डेढ़ साल हो गया। इससे वहां के किसान तबाह हो रहे हैं। यह हालत है।

इसके अलावा एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव हमारी बैराठ तहसील के गांव के बारे में

(श्री रामकरण सिंह)

और है। एक कानसर गांव है जहां पर कि ललितकिशोर जी गये हैं। जो केन्द्रीय अध्ययन दल आया था बाढ़ अध्ययन के लिये उसने भी इस गांव को देखा है। जैसा अभी मैंने अर्ज किया है, वैसी की वैसी स्थिति इस गांव की है। किसान अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। दस पंपिंग सैट, दस बिजली की मोटरें पानी में डूबी हुई हैं। वहां पर अनाज का एक दाना पैदा नहीं हो रहा है। वहां के लोग परेशान हैं और हमारी सरकार जिला स्तर के अधिकारी इस समस्या पर सोए हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है, लेकिन वे ऊपर वालों को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री महोदय की उन मे सांठ गांठ है। बीच के जो अधिकारी हैं, चाहे वह सिंचाई विभाग के हों, चाहे दूसरे विभाग के हों, उन अधिकारियों की नहीं चलती है। जो ललितकिशोर जी मंत्री महोदय हैं उनसे जिला अधिकारी मिल गये हैं। वे सहायक अभियन्ता से मिल कर काम नहीं होने दे रहे हैं। फिर चाहे वे दो हजार रुपये की गाय मंगवा कर कसरत करें, चाहे कोई भैंस मंगवायें लेकिन यह बहुत बुरी चीज है कि हमारे गांव के अन्दर काम न हो। इस सदन से अधिक बजट लिया जाता है और वह बजट लैप्स हो जाता है। काम में नहीं आता है। टेण्डर खुल जाते हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से जिला अधिकारियों से मिल कर हमारे मंत्री महोदय कार्यवाही करते हैं, जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बारां के बारे में स्टेटमेंन्ट आने वाला था, वह स्टेटमेंट नहीं आया है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसकी व्यवस्था करें। गृह मंत्री महोदय यहां पर बिराजे हुये हैं। यह स्टेटमेन्ट होना चाहिए। आज दिन तक हमें मालूम नहीं है कि वहां पर क्या हुआ। गृह मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट दें ताकि सदन को मालूम हो ...

श्री मूलचन्द डागा : जिस दिन वाद-विवाद हुआ था उस दिन सरकार के पास में फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट की नकल नहीं थी। मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस की रिपोर्ट नहीं थी। मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि डाकूमेन्ट्स मंगवाकर एक पूरा वक्तव्य सदन में दिया जायेगा। यह भी कहा था कि ये सारे के सारे डाकूमेन्ट सदन की मेज पर रखे जाएंगे। आज दो दिन हो चुके हैं फिर भी राज्य सरकार ने बारां के बारे में कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के द्वारा कल तक वक्तव्य दिलाने का मैं प्रयास करूंगा।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के सम्बन्ध में दो मिनट मुझे भी दें। ...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बारां गोली कांड पर सरकार का स्टेटमेन्ट होना अति आवश्यक है।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्रीजी ने परसों सदन में कहा था कि मेरे पास में एस. पी. की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हम समझते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण घटना हो जाये और उसकी रिपोर्ट नहीं आये यह संभव नहीं है। अब इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई होगी। इसलिए सरकार को अपने आप ही सदन के समक्ष सारे फैक्ट्स स्टेटमेन्ट के जरिये रख देने चाहिएं परन्तु अफसोस है कि जब तक विरोधी पक्ष की ओर से मांग न हो, हल्ला न हो तब तक सरकार की नींद नहीं टूटती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर गोली कांड से तीन छात्रों का खून हो गया है, पूरा कोटा डिवीजन बंद रहा आज भी वहां पर असन्तोष है, इसलिए वहां की स्थिति के बारे में सरकार तुरन्त स्टेटमेंट दे। इन तथ्यों को छिपाने से सरकार की ढिलमिल नीति और आपाधापी ही सामने आएगी। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन की प्रतिष्ठा, गौरव और सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए आप इस सरकार को ताड़ना दें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, परसों मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिला प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके हैं। उन्होंने यह बात भी कही थी कि न तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और न एस. पी. से कोई आथोरिटेटिव वर्सन उनको उपलब्ध हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने इस घटना के बारे में स्वयं अखबारों में पढ़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इतने गंभीर मामले में अभी तक अपना वक्तव्य नहीं दे सकी। हमें खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि आप वक्तव्य दीजिये और सदन को पूरी बात से अवगत कराइये इस बारां का काण्ड के तथ्य क्या हैं? एफ.आई.आर. में सी.आर.-पी.सी. के अर्न्तगत पुलिस इन्वाल्व है। पुलिस स्टेशन से 50 गज की दूरी के अन्दर घटना घटी है। मैं समझता हूं 5-7 मिनट में एफ. आई.आर. दर्ज हो गई होगी। 3–3 बच्चों को गोली से उड़ाया गया तो उनके अभिभावकों ने, दूसरे बच्चों ने एफ.आई.आर. जरूर दर्ज कराई होगी। 24 घंटे के अन्दर, विदिन ट्वेन्टी फोर आवर्स, एफ.आई.आर. मजिस्ट्रेट के पास भेजनी पड़ती है। उसकी प्रतिलिपि आपके पास भी आ गई होगी। जिलाधीश को रिपोर्ट भी की गयी होगी। इसके बाद में दो दिन तक स्टेटमेंट नहीं देने का कोई कारण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार को निर्देश दिया जाय कि वह इस सदन में आज ही बारां में तीन विद्यार्थियों की निर्मम हत्या के बारे में वक्तव्य दें। श्री श्योपतसिंह मकासर, वहां के विद्यार्थियों द्वारा मुख्य मंत्री जी से जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग करने के बाद भी न तो उनके नाम रेडियो पर आये और न यहां जो बहस हुई इसमें भी छात्रों के नाम आये। हमने उसी दिन कहा था कि कमेटी नियुक्त कर दीजिये और मुलाजिमान के खिलाफ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज कराइये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत कह रहे हैं। सी. एम. ने तो जांच का स्वागत किया है ...

श्री श्योपत सिंह मकासर : फिर हड़ताल क्यों की? इसका जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हमने की है, विरोध का सवाल है, आप क्या उत्तर देंगे · · ·

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी · · ·

(व्यवधान)

वहां के विधायक ने सारी सूचना दी है मुख्य मंत्री जी को। कल के अखबारों में विधायक के साथ जवानों, आर.एस.एस. के दोनों के स्टेटमेंट हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या करना चाहते हैं? डिफेन्स करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय वहां पर कुछ कहते हैं और यहां पर कुछ और कहते हैं। ये दो तरह की बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : हमने गोलीकाण्ड की निंदा की है। हमने इन्क्वायरी की मांग की है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर हड़ताल क्यों करवाई गई? इसका जवाब दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : हड़ताल सहानुभूति में है।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय श्योपत सिंह जी ने जो कुछ भी कहा है वह तथ्यों के विपरीत है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: Is he speaking on behalf of the Government ?

श्री सूरजपाल सिंह : गवर्नमेंट को रिप्लाई देना चाहिये। Who are you ?

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर समाप्त हुआ। दो बज गये हैं। माननीय मंत्री महोदय यदि स्टेटमेंट देना चाहें तो · · ·

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : स्टेटमेंट इन्हें देना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी को आज स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इससे गम्भीर मसला कोई नहीं हो सकता। बारां गोलीकांड से गम्भीर बात कोई भी नहीं हो सकती।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यदि सरकार स्टेटमेंट न दे सके तो सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : बारां में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दुर्घटना हुई थी उस सारी दुर्घटना के मामले में सदन में बहुत समय तक वाद-विवाद हुआ और माननीय सदस्यों ने विचार भी रखे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन विस्तृत रूप से जवाब दिया था · · ·

(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(श्री टीकम चन्द कान्त)

अध्यक्ष महोदय, इस विरोधी पक्ष ने एक साजिश की है, जिस को मैं बता दूं। वह यह है···

(व्यवधान)

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत न हो सके। यह साजिश हो रही है। इसलिए यह सारा तरीका अपनाया है कि वे बार-बार स्टेटमेंट देंगे तो यह कार्यवाही 5 बजे तक इसी पर ही चलेगी और धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो सकेगा। कल 5 बजे तक तो यह प्रश्न आपने इसलिए नहीं उठाया कि धन्यवाद का प्रस्ताव पेश होने की स्थिति ही नहीं आये, अतः यह साजिश है, अध्यक्ष महोदय और राजस्थान की जनता यह देख रही है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या देख रही है ?

श्री टीकम चन्द कान्त : यह कि इस विधान सभा के अन्दर भाग लेकर जनता के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की बातें कहें वे न कह सके इसलिए यह साजिश है····

(व्यवधान)

कि धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत न हो।

(व्यवधान)

श्री नूरा : यह साजिश आपकी है।

श्री कौशल किशोर जैन : धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करवाएं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह साजिश है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, बारां में पुलिस की गोली से तीन आदमी मर जायें, 3 विद्यार्थी मर जायं उसकी जानकारी प्राप्त करने का हमें अधिकार ही नहीं ?

श्री सम्पतराम : उसकी जानकारी पहले दे दी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नहीं दी, आप झूंठ बोलते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि एस.पी. और जिलाधीश की रिपोर्ट नहीं आई है। उनसे कोई कान्टेक्ट नहीं हो सका क्योंकि टेलीफोन खराब था।

श्री ईश्वरचन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात पूरी होने दें।

श्री ईश्वर चन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : पहले इनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : एक पाइन्ट आफ आर्डर हो चुका है दूसरा बाद में होगा। इन्होंने पहले पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है।

श्री सूरजपाल सिंह : सत्ता पक्ष का पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप उस समय चेयर पर विराज रहे थे तब मैंने और कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया था, वह प्रश्न यह था, गृह मन्त्रीजी मुझे विश्वास है कि आपकी स्मरण शक्ति कम नहीं होगी···

श्री माधोसिंह कछवाह : यह पाइन्ट आफ आर्डर की बात नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : प्रक्रिया के किस नियम के आधार पर पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है। यह सारी बात व्यवधान डालने की है। यह साजिश है।

श्री टीकम चन्द कान्त : धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने देने की साजिश है। विरोधी पक्ष पर मेरा यह सीधा आरोप है।

श्री सूरजपाल सिंह : यह निकम्मी सरकार है।

श्री टीकम चन्द कान्त : विरोधी पक्ष में आने के बाद भी आप विरोधी पक्ष की सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आप विरोधी पक्ष के भी काबिल नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह भी सूचना नहीं दिला सकते हैं कि गोली उनकी पीठ पर लगी या सीने पर लगी ? अध्यक्ष महोदय, आप विरोधी पक्ष को यह भी जानकारी नहीं दिला सकते हैं कि गोली एक कान्स्टेबल ने चलाई या दोनों कान्स्टेबलों ने चलाई ? अध्यक्ष महोदय, आप विरोधी पक्ष को यह भी जानकारी नहीं दिला सकते हैं कि गोली सिवाय विद्यार्थियों के और लोगों को भी लगी या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, आप विरोधी पक्ष को यह भी सूचना नहीं दिला सकते कि घायल कितने लोग हुए हैं और कितने लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है, वहां पर कितने लोगों के बेन्डेजेज की गई हैं और कितने लोग अस्पताल में रहे, कौन सीरियस घायल है, उनमें से कौन लोग वापस छोड़ दिये गये हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी भी आप नहीं दिला सकते हैं 48 घण्टों में ? क्या राजस्थान विधान सभा को यह भी जानने का अधिकार नहीं है कि मरने वालों के नाम क्या हैं ? अध्यक्ष महोदय, 48 घण्टों के बाद भी हमें यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि मरने वालों का दाह संस्कार हो गया या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी जानकारी आप नहीं दिलवा सकते हैं कि मरने वालों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है या नहीं आई ? इस विधान सभा को मालूम नहीं हो सकती यह चीज भी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा को यह सरकार यह भी नहीं बतला सकती है कि जो लोग मर गये हैं या जिन लोगों के गोलियां लगी हैं उनके नाम क्या हैं ? उसके जवाब में यह कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि मजिस्ट्रेट और उन विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा हुआ था रेल के अन्दर ?

श्री सम्पतराम : यह उस दिन कहा गया था।

श्री हरिदेव जोशी : आपने जवाब नहीं दिया था।

श्री रघुनन्दन व्यास : जो प्रश्न सब-जुडिस हो गया है उसको व्यवस्था के रूप में उठाया जा रहा है। इस तरह से जान बूझकर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इस बारे में आज कोई

(श्री रघुनन्दन व्यास)

भी किसी भी हालत में जानकारी नहीं दी जाय।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : यह जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते और अभिभाषण, जिसको सैक्रेटेरियेट में बैठकर क्लर्कों ने तैयार किया है, के ऊपर ....

श्री रघुनन्दन व्यास : निश्चित रूप से हर एक अभिभाषण क्लर्क तैयार करते हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : इस सम्बन्ध में सदन में कैसे चर्चा हो सकती है जबकि यह सबजुडिस हो चुका है ?

श्री नूरा : क्यों नहीं हो सकती है ?

श्री मदनसिंह दांता : यह आपके लिए शोभा देता है ?

श्री टीकम चन्द कान्त : अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहला मौका है कि दो दिन तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो सका। यह हरिदेवजी जोशी ने कहा था। धन्यवाद प्रस्ताव पेश हो उसके लिए अब जोशीजी क्या कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमको फैक्ट्स चाहिए। We want facts.

श्री सूरजपाल सिंह : We want facts.

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम फैक्ट्स पूछना चाहते हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : यह धांधली नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने घोषणा कर दी जुडिशियल इन्क्वायरी की।

श्री मदनसिंह दांता : कहां बैठाई है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार का निर्णय विपक्ष को सन्तोष नहीं दे पाया तो इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह दांता : उपाय है।

(व्यवधान)

किसी के गोली नहीं लगी।

श्री अध्यक्ष : अभी सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी, यह मेरा निर्णय है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था की है वह मेरे ख्याल से पर्याप्त है।

श्री मदनसिंह दांता : जुडिशियल इन्क्वायरी किस चीज पर है ?

श्री सूरजपाल सिंह : किस बेसिस पर है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने रेफरेन्स किस बात का दिया है ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में अब चर्चा होने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इस सदन में हमें यह भी मालूम नहीं हो सका है कि आपने क्या किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं अनुभवी हैं। आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : दुर्भाग्य से।

श्री अध्यक्ष : जब एक सरकार जुडिशियल इन्क्वायरी के बारे में कह चुकी है, तब विशेष और कौन सी बात कहना चाहते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी अनुमति से यह जानना चाहते हैं कि कोटा कलेक्टर ने मुख्य मन्त्री महोदय को क्या रिपोर्ट भेजी है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रयास करने को तैयार हूं। आप कक्ष में मुझ से मिल लें।

एक माननीय सदस्य : कक्ष में क्यों ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम कक्ष में मिलने नहीं आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जब आपने निर्णय कर लिया ...

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में आप प्रोटेक्शन दें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : परसों मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था, टेलीफोन ठीक नहीं है। कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं है। आज दो दिन के बाद कलेक्टर की क्या रिपोर्ट है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा : चर्चा का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार एफ. आई. आर. के बारे में बतायेगी ?

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल इन्क्वायरी होगी। जुडिशियल इन्क्वायरी प्रिजूडिस नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल इन्क्वायरी प्रिजूडिस नहीं हो, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पाइन्ट निकल सकता है, सरकार कोई उत्तर दे या नहीं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने को तैयार हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त: अध्यक्ष महोदय, फिर भी ये नहीं मानेंगे।

ये फिर भी नहीं मानेंगे। इनकी साजिश है।

श्री मूलचन्द डागा : साजिश क्या है ? जब हमने, विरोधी दल ने सवाल उठाया तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वा-

(श्री मूलचंद डागा)
सन दिया । मिनिट्स आपके सामने मौजूद हैं। मुख्य मन्त्री जी ने जो भी कहा वह मौजूद है । उन्होंने यह भी कहा, आज हमारे पास न तो एफ. आई. आर. की नकल है, न रिपोर्ट है, न कलेक्टर की रिपोर्ट है । डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अभी रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह गलत बोल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सही बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : आधा मिनट ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय ने हाउस को एडजोर्न किया। मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि हमारे पास कोई डाकूमेण्ट नहीं है ।

श्री माधोसिंह कछवाह : इस पर चर्चा नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : होगी, होगी ।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने जब निर्णय कर दिया है कि चर्चा नहीं होगी । उसके बाद भी चर्चा कर रहे हैं। यह तो सदन की गरिमा को गिराना है ।

श्री मूलचन्द डागा : अरे, आप क्यों बोल रहे हैं ।

श्री टीकम चन्द कान्त: अध्यक्ष महोदय, बारां गोलीकाण्ड के बारे में · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी व्यवस्था को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा ।

आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है । इस विधान सभा का एक इतिहास है । मैं स्वयं जहां बैठा हूं वहां 20 वर्ष तक आप बैठते रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। जुडिशियल इन्क्वायरी की जाएगी तो फैक्ट्स पर की जाएगी । गवर्नमेण्ट टर्म्स आफ रेफरेंस निर्धारित करती है । यह तो नहीं है कि फाइल लेकर इन्क्वायरी करे। जिन तथ्यों की आप बात करते हैं वह तथ्य भी तो स्पष्ट करने चाहिएं। एफ. आई. आर. टेम्पर विद हो सकती है । कलेक्टर की रिपोर्ट टेम्पर विद हो सकती है । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट टेम्पर विद हो सकती है। गवर्नमेंट सर्विसेज का जो नजरिया है, वह किस को मालूम नहीं है। गवर्नमेन्ट फैक्ट्स देती है। जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये स्टेटमेन्ट देती है। हाउस को कान्फीडेन्स में लेती है । ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य नये आये हैं। विरोधी पक्ष में बैठने वालों में से कुछ उस ओर भी गये हैं। वह भी ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हैं। यह हाउस की परम्परा रही है कि जुडि-

(श्री परसराम मदेरणा)

शियल इन्क्वायरी के लिए फैक्ट्स गवर्नमेन्ट देती है। हां, यह आवश्यक है कि हम अपनी ओर से ओपीनियन नहीं दें क्योंकि ओपीनियन इन्क्वायरी कमीशन देगा। लेकिन फैक्ट्स आपको देने हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास फैक्ट्स नहीं आये हैं। मुख्य मन्त्री ने कहा कि फैक्ट्स नहीं आये हैं। किन-किन के चोट लगी है, यह मालूम नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कह रहे हैं तो वह जुडिशियल सर्विसेज का मैम्बर है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान आपने पहले ही देखा होगा। उसने आर्डर दिया है या नहीं। पांच मिनट में यह स्टेटमेन्ट हो गया कि हमने जुडिशियल इन्क्वायरी का आर्डर दिया है। इसी तरह से पुलिस वाले हैं। इन्सपेक्टर हैं। यह फैक्ट्स की बात है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा की बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नयी परम्परा डाली नहीं है। हमको सबक सिखाते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपने देखा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : परम्परा डालनी है तो परम्परा का पालन कीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

जुडिशियल इन्क्वायरी कायम होती है तो टर्म्स आफ रेफरेन्स कायम होते हैं। वे क्या हैं, माननीय मन्त्री महोदय ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, उस दिन, मुझे भली प्रकार याद है, माननीय जोशी जी और विरोधी दल के नेता महोदय मुख्य मंत्री जी से मिले थे। खास मुद्दा, जिस पर आपस में विरोध हुआ था, यह था कि सदन की कमेटी बनाई जाय या नहीं। आपस में बातचीत करने से यह तय हुआ कि सदन की कमेटी नहीं बनाई जाय। यह सभी जानते हैं। जुडिशियल इन्क्वायरी होगी उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स तैयार नहीं हुए हैं। टर्म्स आफ रेफरेन्स की बात आज की गई है, इसकी जो भी फार्मेलिटीज कानून के अनुसार होनी चाहिये वह सब की जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मेरे पास इत्तला है आज रात को चौपड़ पर तीन आदमियों को गोली से उड़ा दिया···

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था जो कुछ भी तथ्य हैं वे मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन पढ़े हैं।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : यह आवश्यक नहीं है कि आप चाहें जो ही हम कहें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : सब इस बात को जानते हैं कि एफ.आई.आर. लाज होते ही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चली जाती है। अगर विरोधी दल के लोगों का विश्वास जुडिशियरी से उठ गया है तब तो बात अलग है। लेकिन अगर थोड़ा भी विश्वास वे जुडिशियरी में रखते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको विश्वास होना चाहिये पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और एफ.आई.आर. जुडिशियल कस्टडी में हैं और टर्म्स आफ रेफरेन्स जो भी होंगे वे गजट में साया होंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आज रात को चौपड़ पर तीन आदमियों को गोली से उड़ा दिया, जुडिशियल इन्क्वायरी करिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा कर दी है जीरो आवर समाप्त हो गया है। आपने यह भी आदेश दे दिया है कि अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जायं।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई जज अपाइन्ट नहीं किया गया है, टर्म्स आफ रेफरेन्स ड्रा नहीं हुए हैं, इसलिए मैटर सबजुडिस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, टर्म्स आफ रेफरेन्स का नोटिफिकेशन निकलने के बाद और मैटर सीज होने के बाद सबजुडिस होता है। किसके पास मैटर जा रहा है ? केवल एफ. आई. आर. कोर्ट में चली गई, यह बात तो ठीक है लेकिन जिससे आप इन्क्वायरी कराने जा रहे हैं वह कौन सा जज है, उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स दे दिये हैं क्या आपने ? यह सब होने के बाद मैटर सबजुडिस होगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले 27 सालों से इस सदन में ऐसी कोई बात हुई तो स्टेटमेन्ट दिया जाता रहा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस बात को कितनी बार दोहरायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्रिजुडिस क्या हो जायगा, अभी टर्म्स आफ रेफरेन्स ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सरकार इस बारे में कुछ कहना चाहती है ?

मजर श्री फतहसिंह : मैं आधा मिनट लेना चाहता हूं।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार का गोलीकाण्ड हुआ। इस गोलीकाण्ड को मैं 7 मार्च, 1967 को जयपुर में हुए गोलीकाण्ड से भी वीभत्स और घृणित मानता हूं। यह बात सही है कि मामला जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी को, गृह मंत्रीजी को अथवा सरकार को कुछ फैक्ट्स देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है, मैं भी गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कितनी गोलियां चलीं ? सारी गोलियां एक ही व्यक्ति ने चलाई या दोनों ने चलाई ? अगर दोनों ने चलाई तो कितनी कितनी गोलियां चलाई ? इस बात की जानकारी

(मेजर श्री फतहसिंह)
सदन को देने में क्या आपत्ति है। मुझे यह जानकारी मिली है कि यह जानकारी नहीं दी गई।

एक माननीय सदस्य : एक बार दे दी गई है। 21 गोलियां चलीं।

मेजर श्री फतहसिंह : फिर भी उसको रिपीट करें तो क्या आपत्ति है? मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि दो कान्स्टेबलों में से किस-किस ने कितनी कितनी गोलियां चलाईं, या एक ही ने सब गोलियां चलाईं? यह सबजुडिस नहीं हो सकता। यह तो फैक्ट्स की बात है। जो दूसरी बात उधर से आई थी कि गोली सामने से आई या पीछे से आई, इस पर मैं ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन क्या एक ही व्यक्ति ने सारी गोलियां चलाईं या दोनों ने चलाईं? दोनों ने चलाईं तो कितनी-कितनी चलाईं? इसका उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस बारे में चर्चा नहीं होगी। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से बाहर जाता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : श्री मदनसिंह दांता, श्री तूरा : हम वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मूलचन्द डागा : ऐसा नहीं हो सकता या तो डाकूमेंट्स रखवायें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन हमारे पास डाकूमेंट्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के समक्ष टर्म्स आफ रेफरेंस रखें, यह सदन का ड्यू-प्रिविलेज है लेकिन आज तुरन्त मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि··

(व्यवधान)

इस बारे में अब चर्चा नहीं हो सकती।

श्री मूलचन्द डागा : डाकूमेंट्स रखवा दें।

श्री अध्यक्ष : सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इसके आगे कुछ न कुछ सदन के समक्ष बात कह सके।

श्री हरिदेव जोशी : क्या आप हैल्पलेस हैं?

श्री अध्यक्ष : जी हां, मैं हैल्पलेस हूं। मेरी लिमिटेशन्स के सम्बन्ध में आप स्वयं सहानुभूति व्यक्त करेंगे..

श्री प्रद्युम्नसिंह : यदि आप हैल्पलेस हैं तो हम सदन से वाक आउट करते हैं। आसन हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो हम जा रहे हैं।

(प्रगतिशील दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री हरिदेव जोशी : हम स्वयं इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि अध्यक्ष को हैल्पलेस महसूस नहीं होने दें । हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा करे कि अध्यक्ष अपने आपको हैल्पलेस महसूस न करे ।

श्री ईश्वरचन्द्र : जोशीजी, जो संजय गांधी आपका आदर्श था, उसको दो साल की सजा हो चुकी है ।

श्री हरिदेव जोशी : आप जोशी को भी सजा दे दो और गोली चला दो । आपका राज इस तरह नहीं चलने वाला है ।

(व्यवधान)

आप हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : संजय गांधी ने दिल्ली में गोलियां चलवाई, आपने बारां में गोलियां चलवाई····

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर सरकार स्टेटमेंट नहीं देना चाहती···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आप दिलवाइये ।

श्री हरिदेव जोशी : आप दिलवाइये । अगर सत्तारूढ़ दल ···

(व्यवधान)

सरकार के इस एटीट्यूड के खिलाफ हम वाक आउट करते हैं ।

(कांग्रेस–आई के माननीय सदस्यों द्वारा वहिर्गमन)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप सदन की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं । इस निकम्मी, बहरी, गूंगी व नपुंसक सरकार ने आपको ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है··

श्री रतनलाल वर्मा : आप जैसे खोखले व्यक्ति·····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं वाक–आउट करता हूं··

श्री रतनलाल वर्मा : तुम XXX हो ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तुम XXX हो, तुम XXX हो, XXX तुम हो, आदमियों का खून पीते हो···

(व्यवधान)

तुमने अध्यक्ष की पोजीशन खराब की है । तुमने उनको हैल्पलेस बनाया है । People will condemn you. I will go by this gate.

श्री सूरजपाल सिंह : यह सदन है या चौपड़ है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिये वाक आउट करता हूं । I express my regards for you but condemn these fellows.

(वहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि ।

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं––

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (45) राज/उप/77, दिनांक 18 नवम्बर, 1978

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (21) राज/उप/77, दिनांक 6 दिसम्बर, 1978

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (16) राज/उप/77, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (19) राज/उप/78, दिनांक 15 नवम्बर, 1978

श्री मूलचन्द डागा : मेरी आपत्ति है। कैसे रख रहे हैं ? I will show my protest.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरे निर्णय के विपरीत नहीं बोल सकते।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपके निर्णय के विपरीत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने अधिकार के आधार पर बोल रहा हूं। मंत्रीजी ने जो अधिसूचनाएं रखी हैं, वह रखने का उनको अधिकार नहीं है।

श्री केदारनाथ : मैंने कालोनाइजेशन विभाग की अधिसूचनायें रखी हैं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य): मैं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या ए. 8 (8) कार्मिक/क-1/75 दिनांक 24 अगस्त, 1978 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप तो वाक आउट कर गये थे।

श्री मूलचन्द डागा: No question of walk out.

श्री माणकचन्द सुराणा : आपका वाक आउट दो मिनट में समाप्त हो गया ?

श्री मूलचन्द डागा : वाक आउट करके आ गए।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत राज मंत्री) : मैं सामुदायिक विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे./ए. आर./पी. टी. 15/78/330, दिनांक 19 अगस्त, 1978

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. पी. एस./ए. आर./2/75/372, दिनांक 21 सितम्बर, 1978

(3) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल/पी. एस./ए. आर./2/75/333, दिनांक 21 सितम्बर, 1978

(उल्लिखित अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 79(2) के अन्तर्गत 14 दिन की प्रावहित अवधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायेगा।)

(श्री दिग्विजय सिंह)

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे./पी. टी. /ए. आर. /78/362, दिनांक 18 सितम्बर, 1978

(5) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे./पी. टी./ए. आर. / 13/78/329, दिनांक 17 अगस्त, 1978

(6) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे./पी. टी./ए. आर./13/78/387, दिनांक 28 सितम्बर, 1978

(7) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे. /पी. टी./ए. आर./3/ 78/35, दिनांक 24 जनवरी, 1978

(8) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे./पी. टी./ए. आर./3/78/254, दिनांक 12 जून, 1978

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री मूलचंद डागा : आप क्या रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है, क्या मैं अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता ? क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है ? I am in possession of the floor.

श्री रघुनंदन व्यास : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : डागाजी, बिना अध्यक्ष की इजाजत के आप नहीं बोल सकते।

श्री मूलचंद डागा : मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचंद डागा : बोलने तो दीजिए। दिग्विजयसिंह जी से आपने बुलवाया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने समझा, बारां फायरिंग के बारे में बोलना चाहते हैं।

श्री मूलचंद डागा : नहीं नहीं। मेरा सवाल था कि जो पंचायत राज मंत्री अधिसूचनायें रख रहे थे उनके बारे में दो बात बतायें, एक तो सदन में पहले कौन सी तारीख को रखी है। सदन प्रोरोग कब हो गया ? जब सदन प्रोरोग हो गया था तो आज किस प्रकार से रख रहे हैं ? 15 दिन का समय हो चुका था। श्रीमान्, जो यह अधिसूचना रख रहे हैं इसको रखने के दो तरीके हैं। एक तो यह है, जैसा मैंने पहले रखा था, 15 दिन का पीरियड पूरा नहीं हुआ। मैं, श्रीमान्, कह रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी तारीख को पहले रखी थी और 15 दिन पूरे नहीं होते। मेरी जानकारी यह है कि जब पंचायत मंत्री ने पहले अधिसूचना रखी थी उसके बाद हाउस का प्रोरोगेशन 15 दिन के बाद हुआ। इसलिये अब इसको रखने की जरूरत नहीं है। एक तो प्रश्न यह है और दूसरा जो रूल पंचायत एक्ट का है उसमें साफ है। उसका रूल 89 है :

> "All rules made under this Act, after the first April, 1960, shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions......"

जो हमारे सामने इन्होंने रूल बताया है वह 1।। साल का है। इसलिये आपको रीजन बताने चाहिए। 1।। साल का जो रूल कोट

(श्री मूलचंद डागा)
किया है उसके बाद दो बार हाउस हो चुका है। पहला आब्जेक्शन यह है, मैं रूल 169 पढ़ता हूं:

"Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the Constitution of the legislative functions delegated by legislature to a subordinate authority is laid before the House"

श्री रघुनंदन व्यास : 169 (2) पढ़िये, बिल्कुल साफ हो जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : वह रूल यह है। "....the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is abjourned sine die and later prorogued, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act."

गजट में निकालने के 15 दिन में सदन में आ जानी चाहिए। इन्होंने 1।। साल के बाद रखी। न तो रीजन्स बताये···

श्री दिग्विजयसिंह : 1।। साल के बाद कौन सी रखी?

श्री रघुनन्दन व्यास : 169 (2) में कहा गया है विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि अनुवर्ती सूत्र या सूत्रों में पुनः रखे जायेंगे। यह इसमें लागू होता नहीं है इसलिए यह रखा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : आप मुझे सुन लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना मुझे भी है।

श्री मूलचंद डागा : आप नहीं बोल सकते जब कि मैं बोल रहा हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस तरह से आपको धमकाने का अधिकार नहीं है। आप मंत्री को धमकाते हैं। आप समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 169 मैंने रेफर किया है। इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जैसा एक्ट में प्रोविजन है, एक्ट के प्रोविजन के अनुसार 'एज सून एज' रखें। दूसरा प्रोविजन यह है कि 15 दिन की मियाद के अन्दर रखें जो कि हाउस के प्रोरोगेशन का है। मैं चाहता हूं कि आप बता दें कि कौन सी तारीख को पहले रखी। मैं कहता हूं हाउस प्रोरोग हुआ···

श्री ईश्वरचन्द्र : यह कोई इनफार्मेशन सैन्टर नहीं है जो तारीख बताते रहें।

श्री मूलचन्द डागा : बतानी होगी।

श्री टीकमचंद कांत : लम्बा चौड़ा भाषण आधा घंटे का क्यों कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : 4-10 को पहले हाउस बुलाया गया···

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे आधा मिनट दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय बहुमूल्य है।

श्री मूलचन्द डागा : हां, मैं भी जानता हूं बहुमूल्य है।

तारीख 4–10 को पहले हाउस बुलाया गया और हाउस प्रोरोग हुआ 29–11 को. The House was prorogued on the 29th November by the order of the Governor. तो 15 दिन हो गए थे। इसलिये रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई चैलेन्ज करता है तो बता दें। मैं गवर्नमेन्ट से कहता हूं कि 29–11 को हाउस प्रोरोग हो गया। फिर आप किस लिए रख रहे हैं ? पहला एतराज तो मेरा यह है।

फिर पंचायत एक्ट का जो सैक्शन 79 (2) है वह मैं लेकर आया हूं। उसमें लिखा है ज्यों ही आप नियम पास कर दो 15 दिन के अन्दर इस सदन के अन्दर रखो और नहीं रख सकते हैं तो सदन की प्रथम बैठक में रखो। इस पाइन्ट पर आपकी रूलिंग हो चुकी है। इन्होंने 15 दिन के अन्दर क्यों नहीं रखी जब कि 29–11 को हाउस एडजोर्न हो चुका। मैं नहीं समझता कि बार बार आपके ताड़ना देने पर भी यह क्यों नहीं मानते हैं। सैक्शन 79(2) है। पहले आपकी रूलिंग हो चुकी है। दो दफा आपकी ओर से ताड़ना हो चुकी है वह तुरन्त रखी जानी चाहिए लेकिन नहीं रखी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की आपत्ति को मैं निरस्त करता हूं 169(2) के अन्तर्गत मंत्री महोदय ने रखी है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री हरिसिंह (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 1 (34) गृह/ग्रुप–7/76, दिनांक 31 जनवरी, 1978

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (2) गृह-7/78, दिनांक 10 फरवरी, 1978

(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह-7/77, दिनांक 19 अगस्त, 1978

(4) अधिसूचना संख्या प. 5 (29) गृह/ग्रुप–7/78, दिनांक 26 सितम्बर, 1978

(5) अधिसूचना संख्या प. 5 (30) गृह-7/78, दिनांक 27 सितम्बर, 1978

(6) अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 27 सितम्बर, 1978

(7) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (41) परि/72, दिनांक 29 सितम्बर, 1978

(8) अधिसूचना संख्या प. 5 (23) गृह/ग्रुप–7/78, दिनांक 29 सितम्बर, 1978

(9) अधिसूचना संख्या प. 5 (42) गृह /ग्रुप–7/78, दिनांक 5 अक्टूबर, 1978

(श्री हरिसिंह)

(10) अधिसूचना संख्या प. 5 (46) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 12 अक्टूबर, 1978

(उल्लिखित अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखवाई गई थीं परन्तु संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम 169(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायेगा।

(11) अधिसूचना संख्या प. 5(52) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 18 अक्टूबर, 1978

(12) अधिसूचना संख्या प. 5(32) गृह-7/78, दिनांक 3 नवम्बर, 1978

(13) अधिसूचना संख्या प. 5(51) गृह-7/7, दिनांक 17 अक्टूबर, 1978

(14) अधिसूचना संख्या प. 5(47) गृह-7/7, दिनांक 16 अक्टूबर, 1978

(15) अधिसूचना संख्या प. 5(48) गृह-7/7, दिनांक 17 अक्टूबर, 1978

(16) अधिसूचना संख्या प. 5 (65) गृह-7/7, दिनांक 23 अक्टूबर, 1978

(17) अधिसूचना संख्या प. 5 (75) गृह-7/7, दिनांक 4 नवम्बर, 1978

(18) अधिसूचना संख्या प. 5 (41) गृह-7/7, दिनांक 17 नवम्बर, 1978

(19) अधिसूचना संख्या प. 5(35) गृह-7/7, दिनांक 3 नवम्बर, 1978

(20) अधिसूचना संख्या प. 5(61) गृह-7/78, दिनांक 27 अक्टूबर, 1978

(21) अधिसूचना संख्या प. 5(36) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक -निल

(22) अधिसूचना संख्या प. 5(53) गृह/ग्रुप-7/78, दि. 17 अक्टूबर, 1978

(23) अधिसूचना संख्या प. 5(57) गृह-7/78, दिनांक 18 अक्टूबर, 1978

(24) अधिसूचना संख्या प. 5(66) गृह-7/78, दिनांक 27 अक्टूबर, 1978

(25) अधिसूचना संख्या प. 5 (51) गृह/ग्रुप-7/78, दि. 19 अक्टूबर, 1978

(26) अधिसूचना संख्या प. 5 (44) गृह-7/7, दिनांक 12 अक्टूबर, 1978

(27) अधिसूचना संख्या प. 5(63) गृह-7/7, दिनांक 4 नवम्बर, 1978

(28) अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7/78, दिनांक 17 अक्टूबर, 1978

(29) अधिसूचना संख्या प. 5(37) गृह-7/78, दिनांक 12 अक्टूबर, 1978

(30) अधिसूचना संख्या प. 5(55) गृह-7/78, दिनांक 19 अक्टूबर, 1978

(31) अधिसूचना संख्या प. 5(62) गृह-7/7, दिनांक 4 नवम्बर, 1978

(32) अधिसूचना संख्या प. 5 (54) गृह-7/78, दिनांक 17 अक्टूबर, 1978

(33) अधिसूचना संख्या प. 5 (77) गृह-7/78, दिनांक 10 नवम्बर, 1978

(34) अधिसूचना संख्या प. 1 (33), गृह-7/77, दिनांक 24 अगस्त, 1978

(श्री हरिसिंह)

(35) अधिसूचना संख्या प. 10(1) (2) गृह–ख/ग्रुप–1/67/भाग 1, दिनांक 15 जुलाई, 1978

(36) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) गृह–7/77, दिनांक 9 जनवरी, 1979

(37) अधिसूचना संख्या प. 5(72) गृह/ग्रुप–7/78, दिनांक 8 नवम्बर, 1978

(38) अधिसूचना संख्या प. 1 (2) गृह–7/78, दिनांक 3 फरवरी, 1979

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न की क्या रूलिंग दी ? 15 दिन जरूरी नहीं हैं क्या ?

कुछ माननीय सदस्य : निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री महोदय।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे आब्जेक्शन पर क्या जजमेन्ट दिया ?

श्री अध्यक्ष : आपके आब्जेक्शन को मैंने निरस्त कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : किस आधार पर, कोई कानून तो होगा ?

श्री अध्यक्ष : 169 (2) में।

श्री मूलचन्द डागा : 169 का रूल (1) देखा जाये।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचनायें पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

अधिनियम का परिशोधित हिन्दी पाठ

श्री बिरदमल सिंघवी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत राजस्थान खनन बस्ती अधिनियम, 1956 का परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1977–78 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री माणक लाल ठाकौर : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम समिति, 1978–79 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम समिति के प्रतिवेदन, जो माणक लाल ठाकौर ने प्रस्तुत किया है, पर विचार किया जाय।

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पत्रिका के दिनांक 2 अक्टूबर, 1978 के अंक में गांधी के नाम पर प्रकाशित अग्रलेख से सम्बन्धित

(श्री भंवर लाल ऐरन)

राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रबन्ध सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र तक बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे किस प्रकार बढ़ा दिया जाय, कोई रीजन तो हो···

(व्यवधान)

अगर कोई बीच में सबमिशन करता है तो...

श्री भंवरलाल ऐरन : मैं पहले दोनों को पढ़ देता हूं। दोनों के लिये एक हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं हो सकता है।

अगर कोई भी माननीय चेयरमैन समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय बढ़ाना चाहता है तो he must give reasons कि ये कारण हैं, तब समय बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र तक बढ़ाया गया

(व्यवधान)

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (अवधि 1 अप्रेल, 1975 से 31 मार्च, 1976) ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : ये क्या पढ़ रहे हैं? सदन की मेज पर क्या रख रहे हैं? नाम नहीं लिया कौन-सा रख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर· ·

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, श्री सूर्यनारायणजी चौधरी ने क्या रखा है? समझ में कुछ आया ही नहीं क्या रख दिया।

(व्यवधान)

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति को दैनिक राजस्थान पत्रिका के दिनांक 20 सितम्बर, 1978 के अंक में "महारावल और मास्टरजी" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रबन्ध सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र तक बढ़ा दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, सूर्यनारायण जी चौधरी ने बीच में क्या रख दिया, यह तो बता दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : यह असेम्बली है, क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आपका कोई नियम की तरफ ध्यान दिलाना चाहता है तो कोई उसको सुनेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं तीन दिन तक लगातार आपकी बात को सुन रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा कहना है सूर्य नारायण जी चौधरी ने क्या पढ़ दिया वह तो बता दें।

(व्यवधान)

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 प्रवर समिति के प्रतिवेदन का विमति पत्र सहित उपस्थापन करता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो अजेन्डा कल वितरित हुआ है उसके हिसाब से ही आज का अजेन्डा लिया जा रहा है। डागा जी पढ़ते तो हैं नहीं, 27 तारीख का अजेन्डा उठा लाये हैं और उसे पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवरलाल ऐरन ने विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को आगामी सत्र तक रखने के लिये समय मांगा है।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र तक बढ़ाया गया।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सूर्यनारायण चौधरी जी ने कौन सा पेपर सदन की मेज पर रखा ? आपने कब आवाज दी ?

(व्यवधान)

यह क्या हो रहा है ? श्रीमान्, सूर्यनारायण जी चौधरी ने जो पेपर सदन की मेज पर रखे, आपके बिना कहे हुए ही रख दिये क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने अनुमति ली है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप फिर सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (अवधि 1 अप्रेल, 1975 से 31 मार्च, 1976) ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं आब्जेक्शन कर रहा हूं, मैं आपत्ति कर रहा हूं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है···

(व्यवधान)

पी.एस.सी. की रिपोर्ट 75–76 की तीन साल के बाद रख रहे ह। श्रीमन्, 76–77

(श्री मूलचन्द डागा)

की रिपोर्ट 77–78 तक आ जानी चाहिये थी। दो दो साल तक यह रिपोर्ट क्यों नहीं आती है ?

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) अधिनियम, 1974 प्रवर समिति के प्रतिवेदन का विमति पत्र सहित उपस्थापन करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, पी. एस. सी. की रिपोर्ट दो साल के बाद, तीन साल के बाद रखते हैं, यह क्या तरीका है ? यह पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुरुषोतम मंत्री जी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण

श्री पुरुषोतम मंत्री (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है 63 रूल (2) में।

श्री अध्यक्ष : मैं पाइन्ट आफ आर्डर सुनने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप इर्रेलेवेन्ट पाइन्ट आफ आर्डर रेज करते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे कनविन्स कर दें। एक भी नियम ऐसा बता दें। 69 के अन्दर आप रखे रहे हैं यह...

श्री अध्यक्ष : आपका आचरण सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के विपरीत है।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पुरुषोतम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : कैसे करेंगे, हुकुम जब तक...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पुरुषोतम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिये पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 17 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : कहां हैं कारण ? रखे ही नहीं हैं। There are no reasons on the Table of the House.

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या कर रहे हैं ये लोग।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। श्री किशन सिंह भाटी।

व्यवस्था का प्रश्न

धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थक का नाम परिवर्तन

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें भी आब्जेक्शन है।

(व्यवधान)

पहले आप सुन लीजिए फिर रूल आउट कर दें। आपके पास, सचिवालय के पास पहले जो प्रस्ताव था उसके सैकिंडर थे कौशल। उसके बाद में मेरे ख्याल से जो दूसरा प्रस्ताव आया, अमेंडेड प्रस्ताव ...

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनेंगे या नहीं ...

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, इनको रोका जावे।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा प्रस्ताव है कि अनुशासनहीनता के आरोप में डागाजी को दो घण्टे के लिए सदन से निलम्बित किया जावे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, आपके सामने लिखा हुआ नहीं है, सचिवालय के सामने नहीं है। अरे नहीं आया।

श्री टीकमचन्द कान्त : क्यों समय की हत्या कर रहे हो ?

श्री मदनसिंह दांता : जब तक आप प्रजातन्त्र की हत्या करोगे हम समय की हत्या करेंगे।

श्री टीकम चन्द कान्त : बारां का गोली-काण्ड इमर्जेंसी में काले कारनामे करने वाले हरिदेवजी को आगे ले आया। क्या यह समय की हत्या नहीं है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ये आपके काले कारनामे आगे ला रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अगर मेज पर यह प्रस्ताव हो, प्रपोजर और सैकिन्डर के दस्तखत हों, वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने दे दिया हो और सचिवालय में आ गया हो तो मैं बैठ जाता हूं। अगर वह नहीं आया है तो यह प्रैक्टिस है अकार्डिंग टू एस्टेब्लिशड प्रैक्टिस।

श्री अध्यक्ष : आया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं देखना चाहता हूं I want to see that original document. Where is that document ?

अगर आ गया है तो कब आया, बताइये ? मुझे बताइये, कब आया।

श्री अध्यक्ष : आ गया और माननीय सदस्य इस पर मैंने अनुमति दी है। अनुमति नहीं दी होती तो उनका नाम एंटर नहीं होता।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आ गया है तो मैं चाहता हूं कि पढ़ कर बतायें। I want to see that proposal कहां है, पढ़ कर सुनाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, डागाजी आज भी कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं · ·

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मुझे आप बताइये ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप समय बरबाद कर रहे हैं, आप बैठिये ।

श्री मूलचन्द डागा : Sir, I want to see the document.

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य को बिठाइये ।

श्री रामनारायण चौधरी : Mr. Daga is very correct.

श्री मूलचन्द डागा : I want to see that proposal.

श्री रामनारायण चौधरी : Mr. Daga is very correct.

श्री मूलचन्द डागा : न प्रपोजर है, न सैकिंडर हैं, यह सब कैसे चलेगा ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या दे दी ?

श्री अध्यक्ष : समर्थक महोदय के लिए अनुमति हाउस से ले लेता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह नहीं होता है, आप सुनिये । This is against the rules Can anything be done in the House without rules?

श्री रामनारायण चौधरी : No.

श्री मूलचन्द डागा : जो भी कार्यवाही होगी गलत होगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी आपत्ति स्वीकार करने में असमर्थ हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक का नाम माननीय सदस्य श्री किशनसिंह हैं ।

क्या सदन की अनुमति है कि समर्थक माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्र हों ?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य श्री ईश्वरचन्द्र प्रस्ताव के समर्थक होंगे ।

माननीय किशनसिंह ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : न तो प्रपोजर का नाम है और न सैकिंडर का नाम है ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागाजी को शान्त करो । ये व्यवधान कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं ···

श्री मूलचन्द डागा : है ही नहीं प्रस्ताव।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रस्ताव है ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सारी गलत कार्यवाही हुई है।

श्री मदनसिंह दांता : हाउस के सामने कोई मोशन ही नहीं है। फिर कैसे मोशन ग्राफ थैंक रखा जा रहा है? आपके सामने टेबल पर कोई मोशन ही नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मोशन है साहब।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तक जितने भी प्रस्ताव मूव किये सब पर मेरा एतराज है...

(व्यवधान)

आपने यह किताब हमें क्यों दे रखी है? सारे नियमों की अवहेलना की जा रही है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सरकार निकम्मी है। आप कब तक इनकी रक्षा करेंगे?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बिना समर्थक के आपने प्रस्ताव पेश करवा दिया। आप कब तक इनकी रक्षा करेंगे?

श्री सूरजपालसिंह : ये तो डूबने वाले हैं। आप कब तक रक्षा करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : यह सरकार नहीं चल सकेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपके प्रति आदर रखते हुए मैं कहता हूं कि यह सारा गलत हो रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये आपसे गलत काम करवा रहे हैं। ये बहुमत के आधार पर गलत काम करवा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : नियमों को खाक कर दिया। सचिवालय इस प्रकार की राय देता है। यह गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह गलत है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल हमें जो डाक मिली है, बिजनेस की जो सूचना मिली है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय श्री किशनसिंह भाटी धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे और श्री ईश्वरचन्द्र (विभाजन संख्या-11) प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में रखने की प्रक्रिया

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। Rules of procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, are framed under Article 208 (1) of the Constitution of India, इन रूल्स के अन्दर, नियमों के अन्दर इस प्रकार का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। अगर रिजोल्यूशन नहीं है अध्यक्ष महोदय के सामने, तो बिना स्पीकर के नोटिस के,

(श्री परसराम मदेरणा)

जो रिजोल्यूशन का फार्म है, उस पर प्रपोजर और सैकिण्डर का नाम नहीं है तो उसके बिना और उसको पब्लिश किए बिना थैंक्स का मोशन नहीं हो सकता। इसका मूवर कोई नहीं है तो हाउस के इन रूल्स के अन्तर्गत यह नहीं आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था देना चाहते हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स को बलाए ताक रख कर सदन को चलाना अच्छी बात नहीं होगी। आपकी भी यह मंशा नहीं होगी। अगर ऐसा किया जाता है तो अध्यक्ष महोदय हमारे सामने भी मजबूरी है और हम सहयोग देने में असमर्थ हैं। इस सदन के अन्दर नियमों के अन्तर्गत, मर्यादाओं के अन्दर काम नहीं करेंगे तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। नियम इसलिये बनाये गये हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। ऐसा लगता है कि इन नियमों को अलग रख कर एक नई परम्परा डाली जा रही है। यह गवर्नमेंट के बिहाफ पर हिमालयन बलन्डर है। इमेजिनेशन के आधार पर इसको रैक्टीफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिये कोई भी मोशन मूव नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें ताकि कार्यवाही आगे चले।

श्री अध्यक्ष : सदन की जो परम्पराएं और व्यवस्थाएं हैं उनका पालन मैं उचित समझता हूं। विरोधी दल के माननीय नेता ने जो आपत्ति उठायी है, उस सम्बन्ध में विचार करके अगर आवश्यकता हुई तो रूलिंग दूंगा। अब जो आज कार्यवाही है, वह चलेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मोशन नहीं आ सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हम इस कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकते। हम लोग वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह पढ़ना चाहता हूं······

"According to established practice, the mover and seconder of the motion are selected by the Prime Minister."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह निवेदन करना चाहता हूं।

"and invariably belong to the ruling party. The notice of the motion, given by a member and seconded by another, is received through the Minister of Parliamentary Affairs"

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो एस्टेब्लिशड कन्वेन्शन हैं उनके आधार पर आपको निर्णय देना है। इसलिए मेरी आपसे यह गुजारिश है और मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप रूल्स को वेव कर दीजिए और सदन का समय बरबाद होने से बचाइये। यह गलत परम्परा आप मत डालिए। आप रूल्स को वेव कर दीजिए। गलत परम्परा को आप मत डालिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : रूल्स परमिट करते हैं। हाउस को मिसलीड करने की कृपा न करें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको निवेदन कर दूं बारां में फायरिंग हुआ, समर्थक महोदय, चूंकि उसी निर्वाचन क्षेत्र के थे या निकटतम निर्वाचन क्षेत्र के थे इसलिए वहां गये हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए संविधान को नहीं बदला जा सकता। रूल्स को नहीं बदला जा सकता। भगवान से प्रार्थना है कि आप अनहेल्थी in her orginal when कन्वेन्शन न डालें। कार्यवाही को नियमों के अनुसार ही चलाइये। वर्ना फिर मनमानी चलेगी·····

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची में छपा उसके बाद यह सूचना मिली कि सरकार की ओर से उनको वहां भेजा है। यह परिस्थिति पैदा हुई कि समर्थक महोदय यहां पर उपस्थित नहीं हैं। दूसरे समर्थक महोदय ईश्वरचन्द्र भटनागर का नाम आया, उस पर इस सदन की स्वीकृति मैंने प्राप्त कर ली है। इसलिए मेरे डिस्क्रिशन, अक्ले तमीजी के अनुसार यह व्यवस्था देता हूं कि समर्थक महोदय, विधायक माननीय ईश्वरचन्द्र जी होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह मोशन पहले कब पब्लिश हुआ ? मोशन तब ही पब्लिश होता है···

श्री अध्यक्ष : मनुष्यकृत है। ह्यूमन बिइंग फेल्योर के बारे में आप प्रकृति से पूछिए और आपकी अन्तरात्मा से पूछिए··

(व्यवधान)

ह्यूमन फेलिग्स है उसको अकोमोडेट करके श्री किशनसिंह भाटी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान उन काले पृष्ठों की ओर दिलाना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव को पढ़ना है या जो कुछ कहना है वह कह डालिए दृढ़ता के साथ।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नांकित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए : "इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इतिहास के काले पृष्ठों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, हिन्दुस्तान को बहुत से त्याग बड़े दुःख बड़े बलिदान के बाद मिली आजादी पर 1975 में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करके और उसके बाद नागरिक अधिकारों के हनन कर, न्यायालयों का गला घोंट कर, प्रेस का राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा गला घोंटकर आघात किया गया तो देश ने एक नये ज्वार भाटा, एक नई कल्पना, एक नया सपना संजो कर आक्रोशपूर्वक एक नई करवट ली और उस जन हुंकार के द्वारा जनता ने केन्द्रीय सरकार को बदल डाला। उसी परिप्रेक्ष में, उसी इतिहास की कड़ी में 22 जून, 77 को राजस्थान में भी जनता सरकार का निर्माण हुआ।

(श्री किशनसिंह भाटी)

जनता सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं, उनकी भावनाओं, उनके स्वप्नों के अनुकूल मान-मर्यादा, न्यायालयों की आजादी, प्रेस की आजादी केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राजस्थान में भी पुनर्स्थापित की। 1977 के मार्च में जो दिल्ली में किया गया, लोगों की सामाजिक आजादी को पुनर्स्थापित करके लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये कुछ कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिये। उस दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता सरकार ने नये कीतिमान स्थापित किये हैं। राजस्थान में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिये सरकार ने नई प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इस दृष्टिकोण से हम कुछ बिन्दुओं पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि राजस्थान का विकास विकेन्द्रीकरण के आधार पर, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकरण के आधार पर किया गया है। ये नये कीर्तिमान राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल स्थापित हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को चलाने के ये नये कीर्तिमान हैं। हमारा विकास ग्रामोन्मुखी है, गरीबोन्मुखी है। हमारे विकास के केन्द्र-बिन्दु आज गरीब लोग हैं, दरिद्र-नारायण हैं, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक और पिछड़े हुए तबके के लोग हैं। इतना ही नहीं राजस्थान सरकार के गये साल के कार्यक्रमों और क्रिया-कलापों को देखें तो यह उन लोगों के लिये एक चुनौती है। गरीबों के उत्थान के लिये राजस्थान में किये गये कार्यक्रमों से आज संसार के दूसरे देशों ने भी प्रेरणा ली है। राजस्थान की सरकार ने विरोधी दल का सहयोग लेते हुए, जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को देखते हुए, प्रेस की आशाओं को देखते हुए, गरीबों की धमनी को समझते हुए उनको एक आकर्षण का बिन्दु दिया है। इस दृष्टिकोण से, श्रीमान्, मैं कुछ आंकड़े विकास के रखूंगा। मैं केवल धन्यवाद की परिपाटी के लिये ही कुछ न कह कर मैं चाहूंगा कि इन आंकड़ों की ओर दृष्टिपात करते हुए राजस्थान की नई सरकार और पिछली सरकार के आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कई मामलों में पीछे था। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय स्तर जहां 935 हो रहा था...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ...

श्री किशनसिंह भाटी : What is the point of order now ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा बहुत गम्भीर मामला है कि सदन में जो हमारे कार्य संचालन के नियम हैं इन नियमों के अनुसार हम यहां पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं लेकिन हमारी आवाज और हमारे अधिकारों को यह सरकार मेजोरिटी के आधार पर कुचल देना, दबा देना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा दुःख है जब हम व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे तो पाली से आने वाले माननीय सदस्य, विरोधी सदस्य के लिये आब्जर्वेशन किया कि हम जो बात उठा रहे हैं वह इर्रेलेवेन्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

है, अप्रासांगिक है। यहां पर आज जो कार्यवाही हुई उससे महसूस होता है कि राज्य सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी जो भारी बहुमत में यहां पर आई हुई है, विरोधी पक्ष का न तो सहयोग लेना चाहती है और न डेमोक्रेसी में विरोधी पक्ष की आवश्यकता समझती है। इसलिये विरोध स्वरूप जब तक मोशन ऑफ थैंक इस सदन में चलता रहेगा तब तक इस सदन का बायकाट करते हैं। इसके विरोध में हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मेरी पार्टी की तरफ से मेरा भी एक प्रश्न है....

(व्यवधान)

मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

(व्यवधान)

ये बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, साथ-साथ ही बोलेंगे। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(3.35 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डागा साहब को बोलने दें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैंने सबसे पहले...

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले पाइंट ऑफ आर्डर निरस्त हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव मूव हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार रख रहा हूं तो फिर पाइन्ट आफ आर्डर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी संक्षेप में कह दें।

श्री मूलचन्द डागा : बस आधे मिनट में, श्रीमान्।

जब मैंने पहले पहल कहा और नियम बताये कि कोई भी मोशन, प्रपोजर सैकिण्डर के नाम के साथ मंत्री, संसदीय मामलात के द्वारा स्वीकर महोदय के पास आता है तो उस पर डिस्कशन होता है। इन्होंने पब्लिश कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, इस पर अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : तो जितने भी सारे दस्तावेज, कागजात सदन की मेज पर रखे वे गलत रखे, नियमों के विरुद्ध रखे....

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट आफ आर्डर रद्द कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, इस पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी।

(श्री मूलचन्द डागा द्वारा बहिर्गमन)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों की तुलना में पिछले वर्षों में राजस्थान का जो आर्थिक स्तर था उसको अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनके

(श्री किशनसिंह भाटी)

आधार पर यह सिद्ध होगा कि जनता सरकार के आने के पहले राजस्थान का सामाजिक स्तर क्या था। प्रति व्यक्ति क्या आय कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़ी गई, प्रति व्यक्ति आय 853 राष्ट्रीय स्तर पर थी, वहां राजस्थान स्तर पर 695, 77-78 में थी और 78-79 में 180 रुपये और भी कम हो गई थी। एक वित्तीय संस्था से ऋण राष्ट्रीय स्तर पर जहां 129 रुपये मिलता था वहां राजस्थान में केवल 101 रुपये मिलते थे। विद्युत् की खपत का राष्ट्रीय स्तर पर 121 के. वी. सारे राज्यों में थी वहां राजस्थान में केवल मात्र 30 के. वी. ही थी। ग्रामीण विद्युतीकरण राष्ट्रीय स्तर पर 210 प्रतिशत था उसके स्थान पर राजस्थान में केवल 30 प्रतिशत था। सड़कें राष्ट्रीय स्तर पर 31 प्र.श. थी और राजस्थान में मात्र 19 प्र.श. थीं। सिचाई क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर 27 प्रतिशत था वहां राजस्थान में 17 प्रतिशत था। इस दृष्टिकोण से, इस ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि से राजस्थान सरकार के डेढ़ साल के क्रिया-कलापों को देखें हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की तुलना में तो पता चलेगा कि कहां दूसरे जितने दक्षिण और उत्तर के राज्य हैं उनकी तुलना में पिछले 30 वर्षों में राजस्थान बड़ा पिछड़ा हुआ था वहां डेढ़ वर्ष के इतने कम समय में अनुकूल स्थिति न होते हुए कितना क्या हो गया है उसके तुलनात्मक आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा तो मालूम होगा कि यह महान् परिवर्तन, आशावादी परिवर्तन था। इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। मैं मात्र उपलब्धियों की ओर जाऊंगा और वह उपलब्धियां आंकड़ों में क्या हैं, रिकार्ड में क्या हैं, हमारे सामने क्या हैं, विद्वानों की राय में क्या हैं, अखबारों की राय में क्या हैं और राजस्थान की जनता की राय में क्या हैं, उनकी भावनाओं में क्या हैं, उनकी बुद्धि में क्या हैं उनके मन्तव्यों में क्या हैं, सदन के माननीय सदस्यों के निष्पक्ष रूप से सोचने की दृष्टि में क्या हैं, केवल मात्र उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस दृष्टिकोण से तुलना करें तो 13 वर्षों में 267 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और राजस्थान ने जो प्रगति की थी 13 वर्षों में वह राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे थी वह 10-15 पर्सेन्ट राष्ट्रीय स्तर से ऊंची आ गई है। पिछले आंकड़ों में वह राष्ट्रीय स्तर से नीचे थी।

इसके अलावा अगर देखा जाय तो प्रथम चार पंचवर्षीय योजना में जहां 680 करोड़ सारे राजस्थान के लिये था वहां केवल मात्र छठी योजना में, एक योजना में 700 करोड़ का प्रावधान है। इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो राजस्थान में पहली चार योजनाओं के अन्दर जहां 678 करोड़ का प्रावधान था वहां प्रथम तीन वर्षों में ही वह 700 करोड़ है। इसके अलावा जहां विकास की परिवर्तित राशि 30 वर्षों में 102 करोड़ रुपये थी वहां केवल अब 232 करोड़ रुपये है।

इसी तरह से सिचाई, विद्युत् योजनाओं में पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी राशि नहीं थी, जितने प्रतिशत सिचाई नहीं थी, जितना विद्युतीकरण नहीं था, जितने परिवहन नहीं थे, जितना पानी का काम नहीं हुआ था, जितने प्रतिशत औद्योगीकरण नहीं हुआ था वह करके इस राजस्थान सरकार ने कीतिमान स्थापित किया

(76)

(श्री किशनसिंह भाटी)

है। श्रौद्योगीकरण में 260 प्रतिशत आगे बढ़ गये हैं। आंकड़े देखकर प्रतीत होता है कि श्रौद्योगीकरण में पिछले 30 वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे था वहां अब महाराष्ट्र जो श्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रगतिशील राज्य है, के बाद दूसरे स्थान पर है। 1½ वर्ष में राजस्थान सरकार ने इतिहास में एक कीर्तिमान प्रस्तुत किया है।

दूसरे क्षेत्रों में भी देखा जाय तो जहां लघु श्रौर गरीब कृषकों को अंशदान देने के लिये 73-78 तक केवल 6 जिले थे व 6 करोड़ रुपया था वहां अब सारे जिलों में वह अंशदान दिया गया है वह 26 से 32 प्रतिशत बढ़ गया है। जहां केवल 6 जिले थे वहां आज 26 जिले हैं, जो केवल 6 करोड़ रुपये थे वह आज 14 करोड़ हैं। एक साल के अन्दर 25 प्रतिशत बढ़ गया है। दूसरे प्रान्तों की तुलना का जहां तक सवाल है राजस्थान ने पिछले 13 वर्षों में जितनी उपलब्धियां की हैं उनसे तिगुनी उपलब्धियां इस डेढ़ साल में की हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है।

शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में जहां पाठशालाएं नहीं थीं, माध्यमिक शालाएं नहीं थीं, वहां 50 उच्च प्राथमिक शालाएं केवल 77-78 में खोल दी गईं श्रौर 1978-79 में 78 प्राथमिक शालाएं, 332 उच्च प्राथमिक शालाएं श्रौर 608 माध्यमिक शालाएं खोली गई है। एक ही वर्ष में पिछले 3 वर्षों से तिगुना काम करके दिखाया है इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं।

मरुस्थल के विकास का जहां तक सवाल है, पश्चिमी राजस्थान के सूखा-सम्भाव्य क्षेत्र का जहां तक सवाल है पिछले 30 वर्षों में जब से मरुस्थल विकास योजना लागू की गई है तबसे जितने पेयजल, डेयरी आदि के कार्यक्रम सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र के अन्तर्गत, मरुस्थल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं किये गये हैं उतने मात्र पिछले ढाई वर्ष में किये गये हैं। उनके विकास के आंकड़ों को दृष्टिगत करें तो मैं निवेदन करूंगा कि तीन वर्षों में राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने, विकास का दम्भ भरने वाली सरकार ने 13 करोड़ रुपया रखा था वहां डेढ़ वर्ष में 18 करोड़ का तो यह प्रावधान है श्रौर आगे प्रावधान 26 करोड़ का है। कहां 13 करोड़ श्रौर कहां 26 करोड़।

पशुपालन के क्षेत्र में जहां विकास किया गया है वहां केवल मात्र चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया था। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत ने 30 वर्षों में जो कीर्तिमान स्थापित किया था वह प्रति पशु 5 हजार रुपया, ऊंट 200 रुपया श्रौर भेड़ 100 रुपया था। जो यह कीर्तिमान था उसमें 9 पैसा प्रति पशु चिकित्सा पर खर्च होता था श्रौर केवल 88 पशु चिकित्सालय थे, पिछले वर्ष में 80 श्रौर इस वर्ष में 130 पशु-चिकित्सालय खोले हैं यानी 4-5 गुणे पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं।

भेड़ व ऊन के क्षेत्र को यदि हम देखें तो भेड़ पालन में जहां राजस्थान में 40% ऊन का राजस्थान में उत्पादन होता है। भारत में 40 प्रतिशत ऊन का उत्पादन कांग्रेस के समय में भी होता था, जनता सरकार के समय में भी होता है श्रौर आगे भी वह होता

(श्री किशन सिंह भाटी)

रहेगा। जो स्ट्रक्चर था वह भी सामने था, जो भेड़ थी वह भी सामने थी, उसकी ऊन भी सामने थी और पशुपालक भी सामने था। उसके विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 30 वर्षों में प्रयास नहीं किया। पहली दफा इस राजस्थान सरकार ने 77–78 में और 78–79 में केन्द्रीय सरकार से, विकास आयोग, केन्द्रीय योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रियों से मांग करके कोटा बढ़ाया है।

इसके साथ-साथ राजस्थान में ऊन पर आधारित उद्योगों को भी लगाया है। जहां पिछले 30 वर्षों में हमारे यहां 11 हजार तकुए ही लगे थे वहां इस राजस्थान सरकार ने इन तकुओं की संख्या बढ़ाकर 16,380 कर दी है। इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में भी देखा जाय तो यह आंकड़े अपने आप में राजस्थान सरकार की इस क्षेत्र में डेढ़ वर्ष के अन्दर की तरक्की को बतलाते हैं।

जहां तक पेय जल का सवाल है, मैं यह कहता हूं कि पेय जल के क्षेत्र में पिछले वर्षों में जो प्राथमिकताएं स्थापित की गई थीं वह अवैज्ञानिक थीं, दोषपूर्ण थीं और जनता को विश्वास में लेकर स्थापित नहीं की गई थीं, उनका कोई आधार नहीं था, कोई मानवीय आधार नहीं था, कोई प्यास का आधार नहीं था, मानवीय परिश्रम का आधार नहीं था। केवल मात्र 1972 का मास्टर प्लान था जिसमें गंगानगर, जो पानी में डूबने वाला इलाका है, हरी लहलहाती खेती का इलाका है, को प्राथमिकता दी गई थी। पहली बार इस राजस्थान की सरकार ने जनसंख्या को आधार बनाते हुए, लोगों के जीवन को आधार बनाते हुए 1972 का जो मास्टर प्लान था उसको रिवाइज करके, उसको परिशोधित करके, उसमें संशोधन करके बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर और जोधपुर का जो प्यासा इलाका है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए प्यासे नागौर को पहले नम्बर पर रखा, बाड़मेर है, जैसलमेर है और चूरू है ऐसे प्यासे इलाकों को प्राथमिकता दी। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, पिछले वर्षों में जहां लाखों रुपया खर्च हुआ है वहां इस सरकार ने 1973 के मास्टर प्लान को परिवर्तित करके 77-78 में 16.5 करोड़ रुपया था उसको 19.1 करोड़ तक बढ़ाया है। इसको विस्तृत करके 160 करोड़ रुपये की योजना राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को दी है। उस योजना की पूर्ति के साथ-साथ कम से कम राजस्थान के 5,175 गांवों को जल पिलाने का प्रबन्ध किया गया है। जो क्षेत्र 30 वर्षों से प्यासा था उसके स्वप्नों को 3–4 वर्षों में ही पूरा करने का विचार है। जो स्वप्न संजोया था जिसकी चर्चा इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने की है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

इसके अलावा मेरा सुझाव यह है कि 3 वर्ष में केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार फ्लोराइड वाले, चूने वाले या दूसरे विष वाले पानी के क्षेत्रों के लोगों को अच्छा पानी पिलाना चाहती है तो उसके लिए एक महती योजना की आशा करता हूं। इसका कार्यक्रम बनाना हम अपने घोषणापत्र के अनुकूल, लोगों की भावनाओं के अनुकूल मानते हैं। उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

इस अभिभाषण में भूल से यह रह गया है लेकिन अपना सुझाव इसके साथ

(78)

(श्री किशनसिंह भाटी)

में यह देता हूं तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सरकार ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके आधार पर केन्द्र की नजरों में, विश्व की नजरों में, विश्व बैंक और मैकनमारा की नजरों में. जापान की नजरों में, नाइजेरिया की नजरों में, यू. के. और यू. एस. ए. की नजरों में, पड़ौसी राज्यों की नजरों में, प्लानिंग कमीशन की नजरों में, बुद्धिजीवियों की नजरों में उठी है, गरीबों के कण्ठों से जिसका एप्रीसियेशन निकला है, एप्रिसियेशन की भागीदार और प्रशंसा की पात्र क्यों बनी है? राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। इससे वह प्रसन्न हैं।

राजस्थान में विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यास कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने कुछ सुझाव दिये। 30% प्रधान और सरपंच को बिठाकर जनतन्त्र की हत्या करते थे, उसके बारे में निर्णय लिया। 13 वर्ष से जो पंचायतों में बैठे हुए थे, इस अवधि में तीन चार चुनाव हो सकते थे। इस काले अध्याय को इस काले पृष्ठ को बन्द करके नवयुग की नव चेतना में पंचायतों के चुनाव कराये गये। राजस्थान की पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार जहां 4 आना प्रति व्यक्ति अनुदान दिया करती थी वहां राजस्थान की जनता सरकार ने ढाई रुपया किया है। इसके साथ ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। जनता पार्टी के घोषणा पत्र को देखते हुए, लोगों की आशाओं को देखते हुए भारत के सारे दल चाहते हैं, विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं वह भी यही चाहते हैं। विकेन्द्रीकरण में पंचों, सरपंचों और हर नागरिक को भागीदार करने के लिए, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक उन्नति के लिए पंचायतों में काम के बदले अनाज की योजना लागू की गई है। इन कामों का नियन्त्रण दिल्ली से नहीं होगा, जनपथ से नहीं होगा गांवों में गांवों की पंचायतों के द्वारा होगा। नीचे तबके से योजना बनानी चाहिए। नीचे तबके के विरोधी दलों को यहां के राजनैतिक दलों को लाभ पहुंचाया है। इस निर्णय से निर्विवाद रूप से लोग जनतन्त्र में भागीदार होंगे। पहले सरपंच के हाथ में कुछ नहीं था। कलेक्टर के हाथों में कठपुतली बनकर रह गया था। चाहे सफाई का काम हो, चाहे कोई काम हो, कैसी भी योजना हो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आज वह जनतन्त्र में भागीदार है। 5 हजार की योजना बनाकर ग्राम नवीनीकरण के कार्यक्रम को कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 25 करोड़ का अनुदान लेकर अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। केन्द्रीय सरकार अगर सभी राज्य सरकारों को देखें तो सभी तरक्की करना चाहती हैं। सभी लोग विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। सभी स्कूल, औषधालय चाहते हैं। राजस्थान ने एक करोड़ टन अनाज से सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा काम किया है। मैं अगर और हवाला दूं तो कई कुवें, कई सड़कें बनी हैं। मैं अधिक हवाला नहीं दूंगा। अब तो हालत यह हो गई है कि हिन्दुस्तान के कई राज्य इस बारे में राजस्थान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। विकेन्द्रीकरण लाने के लिए हम राजस्थान सरकार को बधाई देते हैं। राजस्थान सरकार इसलिये बधाई की पात्र है कि पंचायतों को अधिकार दे दिये गये हैं।

(श्री किशनसिंह भाटी)

राजस्थान के तीन करोड़ मालिक हैं। दुनियां में राजस्थान ने अपना नाम ऊंचा किया है। स्वनामधन्य महात्मा की नीतियों के अनुसार सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। 1977 के बाद राजस्थान को जो स्थिति प्राप्त हुई है, देश के महान सन्त जय प्रकाश नारायण, जिन्होंने कहा कि सम्पूर्ण क्रांति की पूर्ति नहीं हुई है, को राजस्थान की योजनाओं को देखकर कहना पड़ा, उस सन्त को कहना पड़ा कि यह सम्पूर्ण क्रान्ति का पहला चरण है। उन्होंने स्वयं कहा है, सोशल क्रान्ति और आर्थिक क्रान्ति को आगे लाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने इस योजना की सराहना की है।

अन्त्योदय योजना की सारे देश में सराहना की गई है। विदेशों में सराहना की गई है। ये जो अन्धे, लूले, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं यह अभी नहीं हुए हैं। यह डेढ़ वर्ष से ही नहीं हुए हैं। समाजवाद, गान्धीजी का राम राज्य 24 वर्षों के बाद अब पूरा किया जा रहा है। 42 हजार लोगों को, हरिजनों, अल्पसंख्यकों को और छोटी जाति के लोगों को भू-आवण्टित हुई है। 6 रोजगार 7 हजार ऐसे लोगों को दिये गये हैं। सरकार ने 13 करोड़ की महती योजना बनाई है। इतना ही नहीं साढ़े 10% जो ब्याज था, वह 4% किया गया है। इसके साथ ही पहले से गरीब होने के कारण समाज का जो वर्ग गुलाम था, गरीब था, जो अन्त्योदय योजना का लाभ नहीं उठा सकता था, इसे भी लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, 500 से हजार तक का जितना कर्ज था उससे उनको मुक्त कर दिया गया है। जो कहानी है, वह इतनी ही नहीं है। 40 हजार व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण की जो बात थी।

एक माननीय सदस्य : 40 हजार नहीं, 500 हैं।

श्री किशन सिंह भाटी : श्रीमन्, चालीस हजार व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। लोगों को सबसे ज्यादा सामाजिक शिक्षा दी गई। लोगों का हजारों रुपयों का खर्चा दवाइयों में लगता है उससे बचाने के लिये चालीस हजार व्यक्तियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, पट्टे के क्षेत्र में, नमक के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में इन लोगों और मुख्यतः, श्रीमन्, अनुसूचित जाति और जन जातियों के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान की इस कहानी का यानि अन्त्योदय योजना का उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा ने अनुसरण किया। इतना ही नहीं कर्नाटक और केरल, जो दूसरे राज्य विभिन्न विचारधाराओं के हैं, आज भी होड़ कर रहे हैं और यह मान रहे हैं कि अन्त्योदय योजना गरीब लोगों के लिए सबसे बढ़िया कार्यक्रम है, इसको काम में लाया जाय। इसी का परिणाम है कि यह योजना राज्यों में ही नहीं दिल्ली में पहुंच गई। मोरारजी भाई को भी कहना पड़ा कि हर राज्य को इस कार्यक्रम की नकल करनी चाहिए। जे. पी. ने भी लिखा कि इसको अपनाइये।

गत वर्ष जहां राजस्थान के लोगों में, सरकारी लोगों में, बुद्धिजीवियों में, प्रेस के लोगों में और योजना आयोग में कुछ शंकाएं उभर कर आईं उन पर विचार किया गया। गम्भीरता से उन पर विचार कर लिया गया है। इसलिए, श्रीमन्, सारी राजस्थान की

(श्री किशनसिंह भाटी)

जनता और राजस्थान की सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, जहां दूसरे राज्यों ने इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई और इसमें योगदान प्रारम्भ किया, राजस्थान का जहां हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों ने अनुसरण प्रारम्भ किया वहां यह कार्यक्रम दूसरे देशों में भी पहुंच गया इस देश की सीमा पार कर। नाइजेरिया ने भी यह कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। इससे राजस्थान की तीन करोड़ जनता का मस्तक ऊंचा उठे बिना नहीं रह सकता, यह हकीकत है जो सारे संसार ने मानी है और इसके लिए राजस्थान हमेशा अपना मस्तक ऊंचा करता रहेगा।

इतना ही नहीं, अखबारों की टिप्पणी के सवाल पर मैं बाद में कहूंगा, विश्व बैंक ने टिप्पणी की है। योजना आयोग ने इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम माना है। राजस्थान के विकास के लिये जहां सहायता देनी चाहिए उसके लिये राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। जहां पर आर्थिक ढांचा चरमरा रहा था, जो इलाके बिजली, पशुपालन, सड़क, शफाखानों और अन्य विकास कार्यों से दूर थे उनके लिए समग्र विकास योजना प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण के रूप में 100 विकास केन्द्रों का चयन किया गया। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत समिति में 2500 की जनसंख्या से बड़े सभी ग्रामों व जहां 2500 की आबादी के कम से कम चार गांव न हों वहां जनसंख्या के क्रम से 1500 की आबादी से बड़े चार गांवों का विकास केन्द्रों के रूप में विकास किया जावे। इस प्रकार की एक समन्वित योजना बनाई गई है जिससे किसानों को, गरीबों को, गांधीवादी व्यक्तियों को जीवन के विकास में उपलब्धि हो सके उनका आर्थिक विकास हो सके। जिला हैडक्वार्टरों से जोड़ने के लिये यह योजना 112 विकास खण्डों में लागू की जायेगी। यह भी राजस्थान की जनता के लिए एक बधाई का सूत्र है।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, लगान माफ करने का सवाल है। इसमें भी पिछले तीस वर्षों के कीर्तिमान को पार किया गया है। इससे हजारों लोगों को पहली बार राहत मिली है, इस बात से किसी को विरोध नहीं है। लाखों रुपयों का घाटा व कम साधन होते हुए भी गरीब लोगों को लाभ दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को अपनाया गया है। इस कार्यक्रम को सबसे पहले सराहा है किसानों ने, यही नहीं इस कार्यक्रम की देश और विदेश में भी प्रसंशा हुई है। जहां तक किसानों के अंशदान का सवाल है, पहले यह छोटा सा था उसको बढ़ाकर राजस्थान की सरकार ने और आगे तरक्की की है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसमें योजना का आकार बढ़ाया गया है। पिछले तीस वर्षों में योजना का आकार छोटा था। राजस्थान सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खान के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में बीस वर्षों का कीर्तिमान तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कारण है कि राजस्थान में रेगिस्तान विकास के क्षेत्र में ही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी, केवल चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं श्वेत क्रान्ति के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्वेत क्रान्ति में भी आज राजस्थान

(श्री किशनसिंह भाटी)

गुजरात के बाद दूसरे नम्बर पर है। राजस्थान में भी एक विस्तृत योजना को हाथ में लिया गया है। इसमें 11 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है और एक लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है। इस प्रकार से पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान इस महती योजना की आधारशिला रखी गई है जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। जो लोग पशुपालन के क्षेत्र में हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है और जो लोग दूध से दूर हैं उन्हें इस योजना से भारी लाभ पहुंचेगा।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, राजस्व अभियान अपने आप में चाहे एक छोटी सी चीज नजर आई हो लेकिन रेगिस्तानी और दूर-दराज के इलाकों में जहां लोगों के मन में था कि सस्ता न्याय मिले, निःशुल्क न्याय मिले, लोगों को विक्रमादित्य की याद आती थी जिसके राज में लोग यह कहा करते थे कि हमारे बीच में बैठकर न्याय दो, यह बात हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन क्षेत्रों से हम लोग आते हैं, जहां सभ्यता से दूर इन्सान रहते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक लोग हैं, गरीब तबके के हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग हैं वहां के गरीब लोग आज यह कहते हैं कि जहां राज को मां-बाप कहना पड़ता था वहां राज सेवक होकर हमारे सामने आया और नामान्तरकरण के कितने हो मामलों को मौके पर ही निपटाया गया। स्कूलों और शिक्षा के क्षेत्र में, भूमि के आवंटन के क्षेत्र में और सीलिंग में दी गई भूमि के आवंटन के क्षेत्र में कई मामले निपटाये गये। यह सब चौपाल में होता है और गांव के लोग करते हैं। यह भी एक नया कीर्तिमान है। इस क्षेत्र में जहां 14 लाख मुकदमे थे उनमें से 9 लाख मुकदमों को राजस्थान सरकार ने मिलकर प्रत्येक स्थान पर लोगों के सहयोग से निपटाये। इससे कोर्ट की फीस में लोगों के धन और समय का जो नुकसान होता था वह नहीं हुआ और लोगों को राहत मिली। आवागमन में समय और धन बरबाद करने से किसानों को मुक्ति मिली। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं, कानून में अब भी कुछ पेचीदगियां हैं जो हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से नजर आई हैं। मैं आशा करता हूं कि सैटिलमेंट के मामलों को, सीलिंग के मामलों को, नियमन के मामलों को और जोड़ा जाए। कुछ अधिकार अधिकारियों को और दिए जायं। यदि सरकार ग्राम सेवकों और ग्राम प्रतिनिधियों से मिलकर ऐसा करेगी तो यह अभियान राजस्थान की काया पलट देगा, सस्ता न्याय ही नहीं बल्कि निःशुल्क न्याय दिला सकेगा।

राजस्थान में केवल मात्र इतना ही नहीं हुआ। और भी मुख्य कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं। समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए भारत में केरल और पश्चिम बंगाल की कथित प्रगतिशील सरकारें हैं, जहां ब्रिटिश पीरियड से चुनाव 1937 से होते थे, जिनकी परम्परा ऐसी है उनकी तुलना में राजस्थान में 1½ वर्ष में अपनी योग्यता से जिस ढंग से श्रमिक नीति का कुशल सम्पादन किया है, वह बेजोड़ है। राजस्थान के लेबर मूवमेंट को गोली से भून करके कुचला नहीं गया। इसका महत्व इसमें है कि राजस्थान में बाइलेटरल टाक्स की गई। हमारी कहानी यह है कि बंगाल जैसे प्रगतिशील प्रांत, केरल जैसे प्रगतिशील प्रांत, महाराष्ट्र जैसे प्रगति

(श्री किशनसिंह भाटी)

शील प्रांत के मुकाबले यहां औद्योगिक शांति है। इसके अलावा, वेजेज भी बढ़ाए गए हैं। हमें आशा लगानी चाहिए कि राजस्थान इस दिशा में आगे अग्रसर होगा। राजस्थान सरकार इस दिशा में भी बधाई की पात्र है।

हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कुछ कदम उठाये हैं। लगान माफी ही नहीं की, विद्युत की फ्लेट रेट्स निर्धारित की है उसमें भी रीडिंग की जो छूट लेना चाहे ले ले, यह अच्छा कदम है। जहां कांग्रेस सरकार ने 30 हजार के नजदीक कुओं में पम्प बिजली दी थी वहां हमारी सरकार ने 46 हजार कुओं को बिजली दी है। इसमें 46 प्रतिशत वृद्धि की है। हमारी विद्युत की जो शक्ति है उसको गांवों तक पहुंचाया गया है, यह एक कीर्तिमान है। इस तरह से देश के अनाज की उपज में चार चांद लगे हैं। इतना ही नहीं व्यापारिक फसलों पर, ट्रैक्टर ट्राली पर और कई चीजों पर जो किसानों को लाभ दिया है, जरूरत की चीजों के उत्पादन में जो किसानों को राहत दी है उससे 82 प्रतिशत जनता को फायदा हुआ है।

इतना ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में···

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय और लेंगे ?

श्री किशन सिंह भाटी : जब तक मेरे वोकल कोर्ड्स थकेंगे नहीं।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, भरतपुर की घाना सेंक्चूअरी है, जैसलमेर यूरोप का रोम है लेकिन फिर भी महती योजनायें नहीं बनाई गई हैं। राजस्थान सरकार ने पहली बार इस मुख्य व्यवसाय को, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले व्यवसाय को और संसार के भौतिकवाद की दृष्टि से तंग आकर स्लीपिंग पिल्स लेने वाले अमेरीकन्स को जहां पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए एक नया स्थान दिया है, वहां पहली बार 30 वर्षों में पर्यटन निगम स्थापित किया गया है। यह आटोनोमस बॉडी होगी। इस निगम ने जयपुर में जनता होटल बनाने का निर्णय किया है। इतना ही नहीं पर्यटन के क्षेत्र में छोटे जिलों में जहां भी पर्यटक जाएं उनके लिए मिडवेज में जनता होटलों की व्यवस्था की जाएगी और की जानी चाहिए। इतना ही नहीं जैसलमेर में, मरु प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टीवल रखा गया जिसमें हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया। मैं मंत्रीजी कौशिक जी के साथ था। उनको खुश होकर अपने आप कहना पड़ा कि अगला वर्ष हम पर्यटन वर्ष मनायेंगे और राजस्थान का अनुकरण करेंगे। उन्होने यह भी घोषणा की कि राजस्थान की पर्यटन की गतिविधियों को देख कर मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि यहां पड़ी हुई संस्कृति को, संगीत को दिखाने के लिए संसार के सारे विदेश मंत्रियों और पत्रकारों को आमन्त्रित करूंगा कि अगली बार राजस्थान में आकर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें। विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम रखे जायेंगे और सारी राजधानियों में सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाएगा। यह घोषणा उन्हें राजस्थान के डेजर्ट फेस्टीवल को देख कर करनी पड़ी।

कुछ क्षेत्र और हैं जिनमें राजस्थान ने तरक्की की है। हमारा जो कार्यक्रम आज

(श्री किशनसिंह भाटी)

विस्तार का चल रहा है पहले से अधिक है।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से लगभग 5,600 शिक्षण संस्थायें, 1,500 पंचायत घरों, 623 चिकित्सालयों एवं 7,240 किलोमीटर लम्बी सड़कों, 4,000 पेयजल कूपों एवं 6,000 तालाबों के निर्माण कार्य तथा 20,000 अन्य प्रकार के कार्य हाथ में लिये गये हैं। इनमें से लगभग 16,753 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। हमारी कार्य क्षमता बढ़ी है। बेरोजगारी मिटाने व रोजगार देने के लिए हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज राजस्थान में बेरोजगारी नहीं है। बेकार इंजीनियर नहीं हैं, ओवरसियर बेरोजगार नहीं हैं, कोई अर्द्ध शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार नहीं हैं। 33 हजार गांवों में जो कार्य चल रहे हैं उनमें उनको लगाया गया है।

इतना ही नहीं, राजस्थान की विभिन्न गतिविधियों को प्रश्रय देने के लिए कुछ निगम, कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई है, लगभग 19 ऐसी संस्थायें हैं।

चिकित्सा के लिए मुख्य मंत्री ने एक विशेष कोष 3 करोड़ रुपये का स्थापित किया है, इसमें जनता की भागीदारी होगी और जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां किसी तरह की चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, वहां इस कोष से पैसा दिया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में हमें इस कोष से लाभ मिलेगा।

वन विकास के लिये पहली बार निगम स्थापित किया गया है। वनों की कटाई रोकने के लिये प्रयास किये गये हैं। सैंड ड्यून्स स्टैबीलाइजेशन के लिए छोटे छोटे रेगिस्तानी इलाकों और ट्राइबल एरियाज में कदम उठाये गए हैं। इतना ही नहीं बाल विकास के लिये बाल विकास कोष की पहली बार राजस्थान में स्थापना की गई है।

मंडी विकास के लिये भी कार्य किये गए। सड़कों और पुलों के न होने से जघन्य अपराध होते हैं यह पी. डब्ल्यू. डी. की कमजोरी से होते हैं, उनको रोकने के लिये सड़क और पुल निगम का पहली बार निर्माण किया गया है।

इतना ही नहीं, म्यूनिसिपैलिटीज की आय नहीं थी। आपकी कार, हमारे स्कूटर और साइकिलें दचके खाते थे, सड़कें ठीक नहीं थीं, वहां पी. डब्ल्यू. डी. को यह कार्य देने से आजकल जयपुर में सड़कों पर 1½ इंच का डामर चढ़ा रहता है, इससे लोगों को हृदय रोग या ब्लड प्रेशर नहीं होता। विधान सभा व सचिवालय आराम से पहुंचते हैं, यह उसका परिणाम है। इतना ही नहीं, श्रीमान्, निर्यात प्रोत्साहन राजस्थान की सरकार ने किया है, ग्रामीण विद्युतीकरण किया है, जोखम कोष की स्थापना की है और अल्पसंख्यकों के लिए, सिन्धी लोगों के लिए, फारसी लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने अकादमी स्थापित की है उसके लिए राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है। मैं यह चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा के लिए भी एक अकादमी की स्थापना की जाय।

यह कुछ राज्य सरकार के कार्य थे इनके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो प्रकाश डाला गया है और जो कुछ निर्णय लिये हैं इनके दूरगामी

(श्री किशनसिंह भाटी)

परिणाम होंगे। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो अन्त्योदय योजना के बारे में कुछ टिप्पणियां हैं उनकी दो चार लाइनें मैं यहां पर उद्धृत करूंगा। अपने तर्क को बल पहुंचाने के लिए मैं दूसरों को साइट करूंगा जिससे मेरे तर्क अतिश्योक्तिपूर्ण न लगें। लन्दन का एक अखबार इकानामिक टाइम्स है उसमें लिखा है :

"The poverty programme which Rajasthan has adopted is known as the Antyodaya Movement. It seeks to identify the five poorest families in each village and make themselves sufficient. Once they have been rehabilitated, the focus shifts to the next five poorest families; in this way the plan rolls on to help those most in need."

इसके अलावा भारत का जो योजना अखबार है जो कि किसी दल विशेष का अखबार नहीं है वह कहता है :

"The much talked of Antyodaya Scheme, launched in Rajasthan, is aimed at uplifting five poorest of the poor in every village. in the State. Antyodaya is said to be an attempt to reverse the erstwhile pattern of development which had benefited the rich and widened the gap between the poor and the rich. It has reached countrywide recognition as an imaginative attempt in raising living standards of the poor population in the villages योजना में यह कहा गया है। इसके अलावा 'आर्थिक जगत' में यह कहा गया है। स्टेट्समैन में कहा गया है The stress would appear not only to bring about economic but also social changes too इससे आगे मैं नहीं पढ़ूंगा।

इसके अलावा टाइम्स आफ इण्डिया ने कहा है। जयप्रकाशजी कह चुके हैं। दूसरे अखबारों ने कहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने कहा है और दिल्ली का इकानामिस्ट कहता है "The penetration of the dairy movement into the desert regions has served as a great incentive for the nomadic cattle breeders for improving their animals and inducing them to settle on milk collection routes.

The flow of money, the accumulation of savings, resulting from remunerative price received by farmers and producers will to a great extent creat new sources for the state to accelerate the pace of growth in different sectors of the economy."" मैकनमारा ने कहा है उसको उद्धृत करना नहीं चाहूंगा। श्रीमान्, इन कार्यक्रमों से, इस विकास से, इस तुलना से अभिभाषण को देखा जाये तो मैं माननीय सदस्यों, जो इसे देखने से महरूम रह गये हैं और राज्य की तरक्की को वह बाद में पढ़ेंगे, और आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि हाथ में झोला लिए हुए अन्त्योदयी, अभियान के अन्दर आने वाले लोग, नामान्तरकरण वाले, कारीगर, हरिजन, अन्त्योदय वाले और राजस्थान की समग्र क्रांति वाले ग्रामीण आशा रखते हैं कि ध्वनि मत से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करके राजस्थान की जनता को और जन प्रतिनिधियों की आशा को फलीभूत करते हुए इसको प्रतिपादित कीजिए।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वर चन्द्र !

श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री किशनसिंहजी भाटी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। उनकी सशक्त दलील और भाषण के बाद मैं यह महसूस करने लगा हूं कि जनता पार्टी और जनता सरकार ने जो कुछ भी विकास में नये आयाम स्थापित किये हैं इस अल्पकाल में और दो साल के शासन अवधि में जो चरण बढ़ाये हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। मुझे आज दुःख है कि जो लोग प्रजातंत्र की, नियमों की और आदर्शों की बात करते हैं वह आज इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। शायद वह नहीं चाहते कि राजस्थान में काम के बदले अनाज की योजना में कोई काम हो। वह नहीं चाहते कि पंचायती राज मजबूत हो। वह नहीं चाहते कि हम लोग देश का शासन बहस के द्वारा चलायें न कि ताकत के द्वारा। इसलिए विरोधी दल के अधिकांश माननीय सदस्य जनता सरकार की उपलब्धियों से चकाचौंध होकर अपनी असलियत पर आ गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सम्पूर्ण क्रांति का दस्तावेज चाहे न हो लेकिन सम्पूर्ण क्रांति की ओर अग्रसर अवश्य है। सम्पूर्ण क्रांति का जो इतिहास लिखा जायेगा उसके प्राक्कथन के रूप में, भूमिका के रूप में यह अभिभाषण निश्चित रूप से होगा। इसमें जो प्राथमिकतायें तय की गयी हैं, चाहे वह पीने के पानी का सवाल हो, चाहे राजस्व अभियान का सवाल हो या अन्त्योदय का मामला हो। एक तरफ जनता सरकार निरन्तर विकास के काम, ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के काम करने को अग्रसर है दूसरी ओर हमारी कांग्रेस के मित्र आन्दोलन कर रहे हैं। आन्दोलन किस बात का ? किसी जन समस्या को लेकर नहीं इसलिए नहीं कि काश्तकार को ऊंचे मूल्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं कि विकास नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कि सीमेन्ट का दाम बढ़ रहा है लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जेल भरने का अभियान चलाते हैं एक व्यक्ति मैडम डिक्टेटर को लेकर। वापस फासिस्ट ताकतों को और फासिस्टवादी शक्तियों को उठाकर देश पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जहां बहस-मुबाहसा, निर्णय और वाद-विवाद के आधार पर सरकार चलाई जाती है वहां आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसमें उनका भाग नहीं लेना निश्चित रूप से फासिस्टवाद का परिचायक है। मुझे बहुत खुशी होती यदि वह मौजूद होते। लेकिन यह उनमें अन्तर्निहित प्रवृत्ति है। आज कानून और व्यवस्था की बात की जा रही है, मैं मानता हूं कि पिछले दिनों बारां का घटना काण्ड हुआ उससे हमें बहुत दुःख हुआ है। इससे जनता सरकार की इज्जत निश्चित रूप से धूमिल हुई है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की इसमें कहीं न कहीं भूल है लेकिन आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज सामान्य नागरिकों में यह चर्चा है कि यह सरकार ढिलाई कर रही है, यह सरकार सख्ती नहीं कर रही है, डंडा नहीं चला रही है, यह सरकार अति लोकतांत्रिक है। यह आरोप हमारी सरकार पर निश्चित रूप से लगाये जाते हैं। इन आरोपों पर मुझे गर्व है। हम लोग बहस से, वाद-विवाद से और आपसी सम्मति स लोगों को साथ लेकर राज चलाना चाहते हैं न कि

(श्री ईश्वर चन्द्र)

पुलिस के डंडों के बल पर, न कि आपातकाल के बल पर....

श्री श्योपतसिंह मकासर : डंडे नहीं गोली....

श्री ईश्वर चंद्र : डंडे और गोली की बात को आप ज्यादा समझते हैं। यह आपकी भाषा है। आप हिंसा भी उकसाते हैं। मुझे आप मत उकसाओ नहीं तो मेरे पास अनेक तथ्य हैं कि आप कैसे हिंसा उकसाते हैं। यह सरकार पुलिस और फौज के बल पर नहीं आई है, न आयेगी और न आना चाहती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : What happened in Baran ?

श्री ईश्वर चंद्र : बारां में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच न्यायाधीश करेगा। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है, जैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जो भी दोषी होंगे चाहे वह कलेक्टर हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो वह नहीं बच सकेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह तो इनकी चाल है आपको भटकाने की। आप तो बोलिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी के आदर्श संजय गांधी और इन्दिरा गांधी जैसी सत्तालोलुप महिला हो, जिसने सारे प्रजातांत्रिक विश्वासों की, जुडिशियरी की हत्या कर दी है। आज उनके कारनामे सामने आ रहे हैं वह आज जेल के सींखचों में जा रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार को धन्यवाद तो जनता ने चार बार दिया है चारों उप चुनावों में भारी जीत हुई, यह जनता के विकास का एक उदाहरण है। किसी भी सरकार की जीत जनता के सामने जाकर आंकें न कि दो-चार व्यक्तियों के कहने मात्र से या किसी माइनोरिटी के कहने से। चाहे बनेड़ा का चुनाव ले लीजिये, चाहे माननीय दांताराम जी जहां से चुनकर आये हैं वहां देख लीजिये, चाहे छबड़ा का चुनाव देख लीजिये, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र रहा हो, जनता सरकार की भारी बहुमत से जीत हुई है क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में रोटी और आजादी का सवाल उठाया है। आजादी हमने पूरी दी है और रोटी भी हमने अन्त्योदय योजना द्वारा, काम के बदले अनाज के द्वारा दी है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं द्वारा निश्चित रूप से आर्थिक विषमताओं का और समस्याओं का पूर्ण निराकरण किया है और कर रहे हैं।

यह जो काम के बदले अनाज की योजना चली, इस पर तो मेरे पूर्व वक्ता काफी बोल चुके हैं। काम के बदले अनाज योजना में आज लाखों रुपयों के विकास का काम सरपंचों को दिया जा रहा है। जहां एक ओर हमारे ग्रामीण विकास की बात है वहां दूसरी तरफ जनतान्त्रिक किरणें भी हमें दिखाई दे रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब जो नेतृत्व आयेगा वह पूर्ण सशक्त आयेगा। आज गांव-गांव में प्रशासनिक

(श्री ईश्वर चन्द्र)

चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरह गांव का पूर्ण विकास किया जाय, किस तरह रकम लगाई जाय जिससे गांवों में पूर्ण रूप से उत्थान हो, किस तरह पटवारियों से काम लिया जाय, किस तरह कलेक्टर्स से काम लिया जाय और गांवों का समुन्नत विकास किया जाय। जो कल्पना गान्धी जी और जय प्रकाश जी ने की थी उसको एक रूप देने के लिये काम के बदले अनाज की योजना चालू की है। उस योजना से निश्चित रूप से गांवों का सर्वांगीण विकास होगा और हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इस नये जनतन्त्र में अवश्य ही कोई शक्तिशाली नेतृत्व उभरेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने एक निर्वाचन क्षेत्र में गया। मैंने देखा कि हमारे कांग्रेसी भाई इस योजना को मान गये। वे कहते हैं कि इस स्टाक को हमने रखा था, आपने क्या किया? यह इनके सोचने की विकृति है। आपने स्टाक रखा था तो क्यों किसानों के डण्डे मारे, क्यों अन्याय किया गया? हमारी सरकार उस अनाज को दूरदर्शिता के साथ गांवों के विकास के लिये लगा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पंचायत मंत्री महोदय को कि राजस्थान की पंचायतों का सर्वे कराया जाय। जहां जहां विकास कार्य हो रहा है वहां जन प्रतिनिधियों को पद्मश्री का पदक मिला है। जो अच्छे सरपंच हैं जिन्होंने गांव की काया पलट कर दी है उनको 26 जनवरी को अलंकृत किया गया है। गांवों के निर्माण में कई पूरे के पूरे गांव के लोग सड़क बनाने में लगे हुए हैं। पूरा गांव निर्माण में जुट जाता है तो मैं जानता हूं कांग्रेस बन्धु भी हमारी प्रशंसा और सराहना किये बिना नहीं रहेंगे। आज सारे गांवों में अनाज मिल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति विकास के काम में आगे से आगे आ रहा है।

भारी रूप से श्रमदान हो रहा है। चाहे वह पार्क के निर्माण का कार्य हो, चाहे सड़क बनाने का कार्य हो, चाहे पंचायत भवन बनाने का काम हो और चाहे अस्पताल निर्माण करने का कार्य हो और चाहे अन्य कोई कार्य हो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मैं समझता हूं ऐसा काम न तो पिछले 30 सालों में हुआ है और न ही ऐसा काम करने की उनकी क्षमता थी। आगे भी हमारी जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इसको लागू करके काम के बदले अनाज देकर योजना को पूर्ण सफल बनायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायत राज में मैं चाहूंगा जो ढाई रुपया रखा गया है उसको बढ़ा कर 5) रुपये किये जायें। मेरा मत तो यह है कि इसको बढ़ा कर 10) रुपये कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी मत है कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें क्योंकि जब तक ये फासिस्टवादी रहेंगे, तब तक निश्चित रूप से सरकार को खतरा रहेगा। अगर इन खतरों से राजनीति को मुक्त करना है तो गांवों को निश्चित रूप से अधिकार देने होंगे और कलेक्टर को कमजोर करना होगा। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर अवश्य ही सोचना चाहिये।

अन्त्योदय के बाबत बहुत कुछ कहा गया है। अन्त्योदय बहुत बड़ा कनसेप्ट है।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

यह अन्त्योदय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि गांवों को दो-दो हजार का अनुदान दे सकता है बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन दरिद्रनारायणों के हाथ, शोषितों के हाथ, पीड़ितों के हाथ इससे मजबूत हो सकेंगे जिन्होंने आशाओं और आकांक्षाओं से जनता सरकार को वोट दिये हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आज भी समाज का पीड़ित और शोषित वर्ग इस बात को महसूस करता है और यही नहीं हमारी सरकार, हमारे आफिसर, हमारे कर्मचारी सभी यह महसूस करते हैं कि यह योजना बहुत बड़े वरदान के रूप में आई है। इसलिए प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने भी इसको स्वीकार किया है। यह कोई स्टन्ट या प्रोपेगेन्डा नहीं है। इसकी उपयोगिता को और बढ़ाया जा सकता है। मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में जो कमेटियां बनाई हैं उन पर भी पूरी नजर रखिये। उन कमेटियों में गांवों के सरपंचों को रखिये, गांवों के जन प्रतिनिधियों को रखिये, उसमें किसी डिप्टी सैक्रेटरी को या चीफ सैक्रेटरी को मत रखिये। न तो वे गांवों का विकास करेंगे और न होने देंगे। अगर गांवों के विकास कार्य में इन्वाल्वमेंट वहां के स्थानीय लोगों का होगा तो विकास की किरण को प्रति दिन बढ़ते हुए देखेंगे। यदि आप सशक्त नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं, सशक्त क्रांति करना चाहते हैं तो कोई लम्बा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है केवल ग्रामीण विकास के कार्यों का जन प्रतिनिधियों को, सरपंचों को, विधायकों को तथा संसद सदस्यों के हाथ में नियंत्रण दे दीजिए तो उसमें जो भी अन्य दूसरी खामियां होंगी, वे भी दूर हो जायेंगी और उससे अन्त्योदय योजना का स्वरूप काफी निखरेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव और देना चाहता हूं। जो विधायकों का पेंशन, संसद सदस्यों की पेंशन का सवाल है अगर जनता सरकार त्याग और तपस्या से चलना चाहती है और ऐश्वर्य को दूर करना चाहती है तो निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे जो अभी तक पिछली सरकार द्वारा कभी उठाये ही नहीं गये हैं। हो सकता है हम से कुछ को इसमें कठिनाई का अनुभव हो। महात्मा गांधी और जय प्रकाश का नाम लेने वाले जनता पार्टी की स्थापना कर चुके हैं। यहां जनता पार्टी की सरकार है तो जो ऐश्वर्य बना रखा है, उसको खतम करना होगा। मैं चाहूंगा हमारी सरकार जल्दी से जल्दी कोई इस प्रकार का विधेयक लाकर राजनैतिक भ्रष्टों को और उनको प्रश्रय देने वालों को खतम करें ताकि उससे लाखों लोगों को लाभ मिल सकता है। सलेक्टेड लोगों को वंचित करके लाखों लोगों को लाभ दीजिए और उनको किसी भी प्रकार राज्य का खजाना मत दीजिए।

दूसरे, बेरी आयोग की स्थापना की गई है, मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कानूनी दांव पेच में ज्यादा न उलझें कब कमीशन की रिपोर्ट आयेगी और कब आप गरीबों को कब्जा देंगे, इसमें बहुत बड़ी कठिनाई है। अतः मेरा निवेदन है सारे पूंजीवादी तत्व को, सारे सामन्तवादी तत्व को, सारे जागीरदारों को चाहे वे कांग्रेस में हों और चाहे वे जनता पार्टी में हों....

श्री रघुनन्दन व्यास : जनता पार्टी में जागीरदार नहीं हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र : जनता पार्टी में भी जागीरदार हैं मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि वितरण का मामला है इस पर बुनियादी चिन्तन होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इस सदन में जनता पार्टी का बहुमत है इसमें जो अधिकांश लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं वे भूमि का पुनः वितरण चाहते हैं। हमारे इस हौसले में कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूं बेरी कमीशन अपना काम करे। इसके अलावा आप एक भूमि वितरण आयोग बैठाइये, ऐसे आदमी, जो समता और शक्ति के प्रतीक हों, को भूमि वितरण आयोग का अध्यक्ष बनाइये और जो टाटा, बिड़ला या अन्य पूंजीपति लोग हैं, चाहे हरिदेव जोशीजी हों या अन्य कोई बड़े बड़े सामन्तवादी लोग हों, चाहे पाली में हों, चाहे नागौर में हों, चाहे जोधपुर में या अन्य कहीं हों जो बड़े बड़े सामन्त हैं, बड़े-बड़े जागीरदार हैं, जिन्होंने सीलिंग कानून हो, या और कोई कानून हो कानून को चकमा देकर रेवेन्यू बोर्ड में साजिश करके, अदालतों के माध्यम से बेईमानी करके अपनी बेईमानी का सरकारीकरण कर दिया है, उसको तोड़ने के लिए आपको भूमि वितरण आयोग बिठाना चाहिए। उसकी रिपोर्ट के लिए टाइम निश्चित कीजिए। साल-दो साल का समय दीजिये और सीलिंग के कानून में जो 18 एकड़ का प्रावधान है उसको घटा कर दस एकड़ कर दीजिए। बड़े-बड़े भूमिपतियों, लखपतियों और सामन्तों से जमीन छीनिये और लाखों करोड़ों जो भूमिहीन हैं उनमें वितरण कीजिए।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे राजस्व मंत्री इस मामले में बहुत प्रगतिशील हैं। उनका नारा भी है कि जमीन उसकी जो उसको जोते। यह नहीं हो सकता कि कलकत्ता के एक सेठ, जो शेयर मार्केट में बैठ कर धन्धा करे, का जयपुर में सौ एकड़ का फार्म हो। जमीन उसी की होगी जो उसको जोते, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। उनका अगर इस तरह का चिन्तन है तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा, आप घण्टी थोड़े ही बजा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं चश्मा लगा रहा हूँ।

श्री ईश्वरचन्द्र : तो मैं चाहूंगा कि जमीन उसकी जो जोते, इस सिद्धान्त को अमली जामा पहनायें और जमीन का पुनर्वितरण करायें। साथ ही चाहे सीलिंग से जमीन ली हो या अलाटमेंट से ली हो, इन सबके बारे में आपको नवीन चिन्तन करना पड़ेगा। अब पुराना कांग्रेसवादी यह चिंतन नहीं चलेगा कि किसी बात को लेकर एक आयोग बिठा दिया। नोटिस निकल रहे हैं, नोटिस तामील नहीं हो रहे हैं, सम्मन तामील नहीं हो रहे हैं। मैं अपनी जनता पार्टी की सरकार को भी कहता हूं कि समय आपका इन्तजार नहीं करेगा, कभी इन्तजार नहीं करेगा अगर इस मूलभूत परिवर्तन को आपने नहीं किया। मुझे मालूम है कि जनता पार्टी सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, आर्थिक मूल्यों के बुनियादी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, तो जनता पार्टी की सरकार को यह परिवर्तन करने होंगे और सख्ती से परिवर्तन करेंगे तभी जाकर नया सूरज उगेगा, तभी जाकर हिन्दुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता, गांव-गांव की आम जनता मुस्करा सकेगी।

एक बात और निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में यह बताया गया था कि हमारे यहां 26 जिलों में से 24

(श्री ईश्वर चन्द्र)

जिलों में अकाल है, अभाव है। अकाल और अभाव की परिस्थिति में भी आज दमन करके वसूलियां की जा रही हैं। सहकारी वसूलियां की जा रही हैं। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन पैसा काट देगा। वहां से मदद नहीं मिलेगी। मैं आपसे कहना हूं कि यह तर्क नहीं है बल्कि कुतर्क है। मैं इसको कुतर्क मानता हूं। आपको निश्चित रूप से दरिद्रनारायण की सेवा करनी है, छोटे किसानों को राहत देनी है। एक तरफ आप 33 प्रतिशत अनुदान देने की बात कहते हैं, आप यह घोषणा करते हैं कि हमने 13-14 करोड़ रुपया छोटे काश्तकारों को अनुदान दिया है जो कि पिछले छः वर्ष में नहीं दिया गया। जो अंशदान पिछले 15 साल में नहीं दिया गया वह 14 करोड़ का अंशदान और अनुदान छोटे काश्तकारों को दे दिया। बहुत कृपा की लेकिन एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीनना कहां तक उचित है। इस बारे में, मैं चाहूंगा, हमारी सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। कम से कम मैं इतना तो जरूर चाहूंगा कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, छोटे काश्तकार हैं, गरीब काश्तकार हैं, दस बीघा से कम के काश्तकार हैं, उनके पशु नीलाम नहीं किये जायं, उनके बैल कुर्क नहीं किये जायें और उनकी जो वसूलियां हैं, उनको रोका जावे।

आरक्षण के मामले में हमारी सरकार को क्रांतिकारी होना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आगे आने वाला दशक, आगे आने वाली राजनीति सवर्ण और अवर्ण के संघर्ष की राजनीति होगी। जो दल और सरकार इन अवर्णों को, इन दबे हुए, पिछड़े हुए लोगों को नहीं अपनायेगी वह सरकार नहीं टिकेगी। केवल इस विवाद में पड़ें कि यह आर्थिक मुद्दा है, यह राजनैतिक मुद्दा है तो वे हमारे पीछे नहीं आयेंगे। इस तरह का चिंतन छोड़ कर दूरदर्शी राजनीति अपना कर अपनी आरक्षण की नीति को बदलिए। अगर आपने साठ पर्सेन्ट तक आरक्षण नहीं बढ़ाया तो इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। हरिजनों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को आगे लाना पड़ेगा। हमारी सरकार पर बड़े आरोप लगाये जाते हैं कि हमारी सरकार साम्प्रदायिक है, लेकिन मुझे गर्व है कि अभी तक हमारे यहां कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। साम्प्रदायिक सद्‌भाव का एक ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान है, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। जब तक इन पुरानी आर्थिक नीतियों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये घिसे पिटे सिद्धान्त नहीं छोड़ेंगे तब तक किसी न किसी प्रकार का असन्तोष का वातावरण रहेगा। असंतोष के वातावरण को इन्दिरा गांधी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए समय रहते हुए नेताओं को चेतना चाहिए और इस बारे में समग्र रूप से निर्णय लेकर चाहे वह अल्पसंख्यकों का प्रश्न हो, चाहे उर्दू का प्रश्न हो, चाहे उर्दू टीचर्स का प्रश्न हो, चाहे वह विशेष संरक्षण देने का सवाल हो, कुछ लोगों की नाराजगी झेल कर भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी दो तीन सजेशन और देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां गेस्ट कण्ट्रोल आर्डर चालू है। मैं चाहूंगा कि अब इसकी जरूरत ही क्या है। आपके पास काफी अनाज है, काफी शक्कर है, खूब खाद्य सामग्री है तो लोगों

(श्री ईश्वर चन्द्र)
को खाने पीने दीजिए। यह क्या अड़ंगा लगा रखा है···

श्री **टीकमचन्द कान्त** : पीने से आपका क्या मतलब है ?

श्री **ईश्वरचन्द्र** : मनोहरसिंहजी साहब यहां बैठे हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। पीने से मेरा मतलब शराब से नहीं है। मैं तो खुद शराबबन्दी का समर्थक हूं।

श्री **टीकमचन्द कान्त** : तो आपका मतलब दूध से है ?

श्री **ईश्वरचन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर, मृत्यु-भोज निरोधक कानून बनाए हुए हैं इनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग राजस्थान में अगर कहीं होता है तो गांवों में होता है। गांव के किसी भी आदमी, जिसने 20 किलो नुक्ती बनाई या दस किलो लड्डू बनाए हैं और अपने संस्कारवश कुछ लोगों को खिलाता है, के घर पर आपका सिपाही जाकर सामान जब्त करके ले जाता है। इस तरह के बनाए हुए कानूनों को हटाइये। ये कानून स्क्रेप होने चाहिए।

एक बात और है। सचिवालय का पुनर्गठन होना जरूरी है। अगर आप नौकरशाही पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, अगर आप विकास की गंगा सचिवालय से निकाल कर गांव गांव में पहुंचाना चाहते हैं, तो इस ब्यूरोक्रेसी पर काबू करना होगा। कहीं फाइलों की आड़ में विकास दब कर ही नहीं रह जाय। आज तक अनाज नहीं पहुंचा। अनाज तो सैंक्शन्ड है लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंच रहा है। उधर काम करवा लिए, सरपंच छुपा छुपा फिर रहा है क्योंकि अनाज नहीं है। यह जो सचिवालय का ढांचा खड़ा कर रखा है, 11 बजे से चाय पीना शुरू करते हैं तो पांच बजे तक चाय ही पीते रहते हैं। एक बाबू भी आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा सीट पर। उसका आउट पुट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है? मैं आपको कहता हूं कि एक बाबू दिन भर में एक कागज से ज्यादा नहीं निकालता। आप जांच करवायें। जो हजारों की फौज खड़ी कर रखी है उसका क्या उपयोग है। आप सचिवालय का पुनर्गठन करें। सचिवालय के कर्मचारियों की अकाउन्टेबिलिटी फिक्स करिये, उनको कोई समयबद्ध कार्यक्रम दीजिए कि इतना काम करेंगे, इतना काम निश्चित रूप से करेंगे यह निश्चित कीजिए।

खेल मंत्रालय की स्थापना की मांग है, पत्रकारों को सुविधा का प्रश्न है. मध्यम और छोटे पत्रकार हैं उनको सुविधा देने का सवाल है। आपके विकास के काम चल रहे हैं, फूड फोर वर्क के काम चल रहे हैं। गांव का आदमी टाइम्स आफ इन्डिया नहीं पढ़ता बल्कि वह छोटे अखबार ही हैं जो उन लोगों को सारे विकास के समाचार देते हैं। माननीय महबूब अली साहब, आपने अपनी पुस्तिका के माध्यम से मध्यम और लघु श्रेणी के पत्रकारों के प्रश्रय की बात तो कर दी लेकिन जब तक आप वास्तव में इन मध्यम और लघु श्रेणी के पत्रकारों के लिए कुछ न कुछ नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि आपका काम काफी हद तक पूरा नहीं होगा।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज कृषि उपज के दाम लगातार गिर

(श्री ईश्वर चन्द्र)

रहे हैं। काश्तकार को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। चाहे ज्वार हो, गेहूं हो, कपास हो या दूसरी कोई उपज हो, किसी किस्म का अनाज हो निश्चित रूप से सरकार को खुद अनाज खरीदना चाहिए और सपोर्ट प्राइस तय करनी चाहिए तभी जाकर काश्तकारों की मदद की जा सकेगी तभी आगे बढ़ पायेंगे और अपना विकास कर, पायेंगे।

जिला आयोजना समितियां हैं, मैं चाहूंगा, इनमें कलेक्टर की जगह विधायकों को, संसद सदस्यों को नियुक्त करें तभी गांवों के विकास में मदद मिल सकेगी। मुझे उम्मीद है कि माणकचन्द जी सुराणा इस बारे में सोच रहे होंगे और बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। इसमें कुर्सी पर बैठने का सवाल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बिहार में रामानन्द तिवारी ने कहा कि मैं कुछ कहता हूं वह ठीक है या कलेक्टर कहता है वह ठीक है, जो एम. पी. कहते हैं वह ठीक है। इस बात को मनवाने के लिए एक प्रतीक के रूप में उन्होंने अनशन किया। वही स्थिति राजस्थान में नहीं आए इसलिए यह जिला आयोजना समितियां जो बनी हैं उनमें विधायकों को प्रतिष्ठित किया जाय, जन प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठित किया जाय ताकि हर क्षेत्र का विकास हो सके, विकास का काम आगे बढ़ सके। गांव की जो भी योजना है वह गांव से निकले। मैं आपको बताऊं कि आज इन जिला आयोजना समितियों की क्या स्थिति है। कलेक्टर को मालूम नहीं है कि पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव हैं, उनकी क्या समस्या है।

उनका जो सिस्टम है सूचना एकत्रित करने का, वह केवल आफिसरों और छोटे कर्मचारियों पर निर्भर है। मैं चाहूंगा कि जिला आयोजना समिति सारे जिले के विकास के लिए बने। समग्र विकास की योजना आप चाहते हैं तो कोई आधार भूत योजना बने। यदि आप सफल योजना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस तरह का इन्तजाम करना चाहिए। जिला आयोजना समितियों में विधायक रखें ताकि उसमें वे अपनी आवाज बुलन्द कर सकें और अपने जिले का विकास कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

तो निश्चित रूप से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय श्री किशनसिंहजी ने काफी आंकड़े यहां पर प्रस्तुत कर दिए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि पिछले दो साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, वह हमारे गौरव के आधार हैं परन्तु अब जो आगे आने वाली समस्या है सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता को मिटाने की, गांधीवाद के आधार पर, समग्र क्रांति के आधार पर उस को हल करना होगा। निश्चित रूप से जनता पार्टी की सरकार इस पर अमल करेगी इसमें मुझे कोई शंका नहीं है

हवाएं ही करेंगी रोशनी का विस्तार··

जिस दिए में जान होगी वही दिया जलता रहेगा।

(श्री ईश्वर चन्द्र)
हमारी जनता पार्टी में जान है, एक ताकत है। जनता सरकार ने जो कुछ किया है वह गौरव की बात है। इन बुनियादी सिद्धान्तों पर, गांधीवादी सिद्धान्तों पर हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे।

धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की सदन की बैठक का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठक का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री माधोसिंह कछवाह।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वे ज्यादा समय न लें और संक्षेप में ही अपने विचार प्रकट करें।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है··

श्री रामकरणसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो संशोधन प्रस्ताव हमने दिए हैं, उसके सम्बन्ध में आपका क्या आदेश है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो समर्थन में बोल रहे हैं उनके बाद संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने का अवसर दूंगा।

श्री रामकरण सिंह : इस तरह की व्यवस्था रही है जो संशोधन रखे गये हैं, उनको आप जिस समय चाहें उस समय लेंगे या कार्य सूची में है उसके अनुसार लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण जी, आपका संशोधन प्रस्ताव है। यह आवश्यक नहीं है कि जो समर्थन में बोलना चाहते हैं उनके पहले ही आपको अवसर दिया जाए। फिर भी मैं आपको अवसर दूंगा माननीय सदस्य के बोलने के तत्काल बाद।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो आपकी रूलिंग चाहता था। जो संशोधन प्रस्ताव कार्य सूची में है उसी क्रम में आप नहीं लेंगे ऐसी आपकी मंशा है। आपका जो भी आदेश हुआ है उसका मैं आदर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही निवेदन कर दिया है कि जो वक्ता महोदय बोल रहे हैं उनके तत्काल बाद मैं आपको संशोधन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दूंगा।

श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय श्री ईश्वरचन्द्र जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, गांधी जी ने कहा था इस प्रजातन्त्र में भूमि और राजसत्ता का अधिकार नहीं बांटा गया है। जनता सरकार का राज आने के बाद तीस साल के इतिहास में पहली दफा राजस्थान की जनता को यह

(श्री माधोसिंह कछवाह)

महसूस हुआ कि वास्तव में राजस्थान के अन्दर जनता का राज है, प्रजा का राज है, गरीब का राज है, किसान का राज है और ऐसे गरीब का राज है जो चल भी नहीं सकता है। गांवों में रहने वाला प्रत्येक आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का राजस्थान में राज्य है। वह जो कार्यक्रम डेढ़ साल चला, अभिभाषण में जिस कार्यक्रम का जिक्र किया गया था, उसकी क्रियान्विति करके जो आंकड़े रखे गये हैं, जो बात अभिभाषण में कही गई है, वह यह सिद्ध करती है कि गांधी जी का सपना साकार करके जनता सरकार इतिहास को बदलने जा रही है और वह इस इतिहास को बदल करके रहेगी।

मान्यवर, मैं आपको नेहरूजी की एक बात कहना चाहता हूं। वे कहते थे, जो विचार कार्य रूप में परिणित नहीं हों उनकी गत वर्ष से तुलना की जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व कांग्रेस के सदस्य हैं और जो आज विपक्ष में हैं, वे आज भी उसी विचारधारा को पकड़े हुए हैं जो कार्य रूप में नहीं परिणित की जा सकती, जो राहत नहीं पहुंचा सकती है, जो प्रान्त को आगे नहीं ले जा सकती है। यह ऐसी विचारधारा थी जिसके अन्दर उन्होंने गरीबों की दुहाई दी, महात्मा गांधी का नाम लिया, बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार किया और अनपढ़ ग्रामीण जनता के प्रचार के द्वारा वोट बटोरने के लिए झोलियां फैलाई। वोट बटोर कर तीस साल तक राज्य किया। जब ग्रामीण जनता को ज्यादा नहीं लुभा सके और यह देखा कि ज्यादा पांव टिकने वाले नहीं है, तब इन्होंने इमर्जेन्सी लगाई, नये तरीके से छल कपट किया, नई विचारधारा दी जो कार्य रूप में परिणित नहीं हुई और उसका गर्भपात हो गया। इससे वे राजसत्ता से गये। वे आज भी उसी विचारधारा को पकड़े हुए हैं। आज वे इस सदन से बाहर चले गये हैं क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद के दौरान, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान जो कुछ कहा जाएगा उसको वे नहीं सुन सकेंगे। जो तीस साल में वे नहीं कर पाये, वह इस सरकार ने कर दिखाया। इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी कि यह जनता सरकार डेढ़ साल में कर लेगी। जो दस साल में वे नहीं कर सके, वह इस सरकार ने डेढ़ साल में कर दिखाया। इनके जो विचार हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनका और गर्भपात होकर रहेगा।

मान्यवर, राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है और कुशल राजनेता आगामी पीढ़ी के बारे में सोचता है। जिन लोगों ने तीस साल तक राज किया, उन्होंने केवल अगले चुनाव के बारे में सोचा, हिन्दुस्तान और राजस्थान की पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा, गरीब के बारे में नहीं सोचा, सर्दी गर्मी में जूझते हुए किसान के बारे में नहीं सोचा। और सोचा तो सोचा नाममात्र को जिससे प्रचार हो सके, उसके नाम से वोट का व्यापार हो सके और कथनी और करनी का अन्तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट नहीं तो 90 पर्सेन्ट रह सके। इन्होंने यह सोचा, इससे आगे इन्होंने नहीं सोचा। आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार और हमारे नेता भैरोंसिंह जी, हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जनता पार्टी के अन्य नेता सही दिशा में सोचते हैं। वे

(श्री माधोसिंह कछवाहू)

हिन्दुस्तान की अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो बीस, पच्चीस, सौ साल तक राज करने वाली है, के बारे में सोचते हैं। बात करें, उससे ज्यादा काम करें, काम करके नतीजा सामने लाएं, गरीबी को मिटावें, किसानों को ऊंचा उठावें, शिड्यूल्ड कास्ट्स, आदिवासियों को ऊंचा उठावें। जहां बिजली का खम्भा नहीं लगा, स्कूल नहीं खुला, किसी प्रकार का बस रूट नहीं बना, जहां किसी प्रकार की उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की झलक नहीं देखी, उस क्षेत्र में हमारा काम हो, वहां ग्राम सुविधायें लोगों को उपलब्ध हों इस दिशा की ओर बढ़े हैं। वह जो दुनिया भर की बहस कर रहे थे वह सिर्फ अगले चुनावों के प्रचार की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई बोलने का मसाला नहीं रहा है। जनता सरकार ने जो काम किये हैं वह 25-30 साल तक ये नहीं कर पाये। 25-30 साल में जो यह तरक्की नहीं कर पाये उसे जनता सरकार ने डेढ़ साल में ही कर दिखाया। जब चुनाव का समय आयेगा उस वक्त ये कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो जैसे बरसात के छींटों से बचने के लिये छाता लगाते हैं उसी तरह राजस्थान की भोली-भाली जनता, जो किसी के भी विश्वास में आ जाती है, को भ्रम में डालने के लिये, अपना झूठा प्रचार करने के लिये यह तरीका अपना रहे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, नेहरू के स्वप्नों के गर्भपात के समान इनके विचारों का गर्भपात होगा। आगामी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं ये इसको नोट कर लें। अभी यहां हैं नहीं, और चले गये तो भी मुझे दुःख नहीं है। मान्यवर, जो आंकड़े श्री भाटी जी ने रखे, वे चौंकाने वाले आंकड़े हैं आप किसी देश, चाहे वह कम्युनिस्ट देश, रूस, चाइना हो या चाहे अफ्रीका हो, या चाहे इंग्लैण्ड या अमेरिका हो, के किसी नागरिक को बुला लें, ये लोग कहें उसको बुला लीजिये, डेढ़ साल में राजस्थान की जनता सरकार ने जो काम किया है उसके सारे लेखा जोखा का बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी लाग-लपेट के अवलोकन करें तो मैं समझता हूं कि 99.9 प्रतिशत ये कहेंगे कि इस प्रगति से अगर राजस्थान की जनता सरकार बढ़ती रही तो कांग्रेस का 30 साल का इतिहास बिल्कुल छिप जायेगा। यही भय है इनको आज। इसी भय के कारण राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस का बहिष्कार करके वे बाहर चले गये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनसे पूछा जाय कि राष्ट्रीय विकास के लिये, राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये दलीलें देनी पड़ती हैं, तथ्य रखने पड़ते हैं, निवेदन करना पड़ता है कि विकास योजनाओं के लिये सहायता कीजिये। यह क्यों हो रहा है? यह प्रजा के लिये, गरीबों के लिये हो रहा है। भविष्य में क्या होना चाहिये, ये यह नहीं सोचते, न सोचा, न कभी सोचेंगे और न आज ही सोच रहे हैं राजस्थान का पिछड़ापन है इसके बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कहने की आवश्यकता नहीं। ये लोग आज भी हिन्दुस्तान में राजस्थान का पिछड़ापन दूर करने में, सहयोग देने के लिये अपने हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं।

मान्यवर, आपने घंटी बजाई, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। अगर आप समय दें ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो मिनट में बोल सकें तो · · · ·

श्री माधोसिंह कछवाह : दो मिनट से कुछ ज्यादा समय लूंगा, मान्यवर। एक-दो बात ऐसी हैं जिनके लिये निवेदन करूंगा।

हमारे भारत की संस्कृति रही है मैं इस सदन के अन्दर उस के बारे में विचार प्रकट करूंगा। मान्यवर, दुनियां का कोई भी नागरिक भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह भारतीय संस्कृति की धारा में खुद बह जायेगा। हमारी संस्कृति गरीबों के दर्द को समझने की रही है। उस संस्कृति के अनुसार अगर राजस्थान की सरकार आगे बढ़ती है तो इनको इस प्रकार का भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिये लेकिन बहुत से कांग्रेसी ऐसा प्रचार करते हैं। मान्यवर, जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 8.24 लाख राजस्व मामलों का निपटारा हुआ। ऐसी मिसाल पिछले 50 साल के रिकार्ड में भी नहीं मिलेगी। अगर किसान वकील को भी फीस देते, प्रत्येक मामले में 5 रुपये भी खर्च करते तो 41 करोड़ के करीब किसानों की जेब से जाता। इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा काम हुआ है। जैसा कि पंचायती राज में होता है सारे प्रशासन ने गांव-गांव में जाकर, पंचायत घर में या गांव के स्कूल में बैठ कर सारे मामले निपटाये। यह अपने आप में ऐसी उपलब्धि है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा राष्ट्रीय श्रम बचा। पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, वकील की परेशानी मिटी, किसानों की रुपये गिरवी लेने की आफत मिटी। कितना सुखी है आज राजस्थान का किसान। इस बात को समझते हुए भी कांग्रेसी उठ कर चले गये ? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व अभियान और अन्त्योदय परिवारों को चयन करना हमारी भारतीय संस्कृति का आत्म-दर्शन है। मैं समझता हूं, सम्राट अशोक के बाद एक-दो शासकों को छोड़ शायद ही कोई हुआ होगा जिसने इतने विशाल पैमाने पर गरीबों की भलाई की बात सोची हो। आज कोई अपने पड़ोसी को संकट में एक रुपया देने को तैयार नहीं होता। अन्त्योदय के अन्दर 13 करोड़ के ऋण की स्वीकृति हुई है और 35 करोड़ का लक्ष्य रखा है। 35 करोड़ का लक्ष्य रख कर उनको सहायता दी जायेगी। जो गांधी जी के आत्म-दर्शन के अनुसार ग्रामोन्मुखी विकास की बात है उससे गरीब ऊंचे आयेंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति में आत्म-दर्शन की बात है अगर यह सरकार उसको सोचती है तो किसी चीज को नजरअन्दाज नहीं कर सकती। इस तरह से सरकार गरीब से लेकर अमीर तक सजग है। जितनी भी विकास की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह उद्योग की व्यवस्था हो, चाहे वनों की व्यवस्था हो, चाहे आदिवासियों के लिए चमड़े के व्यवसाय की व्यवस्था हो, मछली पालन की व्यवस्था हो हर चीज की तरफ सरकार सजग है। सरकार ने 183 करोड़ की परियोजना बनाने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया है। अगर 183 करोड़ की योजना बन जाती है और स्वीकृत हो जाती है और हर साल चयन करके अन्त्योदय करते रहे और 5 साल में गरीबी मिटाने की बात हो जाती है तो यह जो कहते हैं कि 500 साल का इतिहास नहीं बदल सकते हैं तो 5 वर्ष के बाद 500 साल के इतिहास को बदलने की बात सामने आयेगी। मान्यवर, यह अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। गरीबों का साथ नहीं देकर और भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा, आत्मा

(श्री माधोसिंह कछवाह)

समान है उसको न मानकर अन्त्योदय को फर्जी बताया जाता है, अन्त्योदय योजना की आलोचना की जाती है तो कई जन्मों का पाप करेंगे और कई जन्मों तक पतन की ओर गिरेंगे। समझ में नहीं आता कि इतने अनुभवी लोग हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, इतने समय कांग्रेस पार्टी के अन्दर रहे हुए हैं फिर भी भारतीय संस्कृति का अध्ययन नहीं किया और अध्ययन किया भी तो एक अक्षर भी उनके गले नहीं उतरा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, अन्त्योदय वालों को खनन के पट्टे दिये जाने की बात सरकार ने कही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह गरीब लोगों को उठाने वाली बात है, कृष्ण और सुदामा वाली बात है। आज यह सरकार गरीबों के पांव धो रही है जैसे कृष्ण ने सुदामा के पांव धोये थे। अगर इस योजना की आलोचना करें, इसमें सहयोग न दें, यदि कुछ होता है तो लोगों को बहकाये तो वह क्या हो सकते हैं? राजस्थान के शत्रु, देश के शत्रु। मैं उनको शत्रु नहीं कहता लेकिन उनके मन में यह बात जरूर आयेगी, यह बात उनको नींद के अन्दर भी चौंकायेगी। वह दरवाजे खोलेंगे, गरीबों को गले लगायेंगे और कहेंगे कि हम से गलती हुई। इस गलती का पश्चाताप उन्हें कई जन्मों तक करना पड़ेगा। वह चले गये लेकिन आने वाला जमाना उन्हें बतलायेगा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार उनमें कितना अन्तर है। एक सेन्टेन्स में मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो विचार मनुष्य के जीवन में रहते हैं वह अन्तिम समय में भी आते हैं। अन्तिम समय में जो विचार आते हैं वह आगामी जीवन का निर्माण करते हैं। अगर विरोध की ही भावना इस तरह से चलती रही तो वह विचार अन्तिम समय में भी आयेगा। फिर वह सोचेंगे कि गलती की थी और उसका कई जन्मों तक वह सुधार नहीं कर पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, आपकी बहुत बड़ी कृपा रही। मैं दो एक मिनट और बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो।

श्रीमन हितोपदेश के अन्दर यह बात कही गई है, हितोपदेश की बात दुबारा इसलिए रख रहा हूं कि किसी तरह की गलतफहमी न हो। उसमें इस तरफ इशारा किया गया है कि भूखी स्त्री अपने पुत्र को भी छोड़ देती है, भूखी नागिन अपने अण्डों को भी खा जाती है, और भूखा व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता है, क्योंकि भूखा मनुष्य करुणाहीन हो जाता है। मुझे दुःख इस बात का है कि यदि भूखा व्यक्ति अत्याचार करे और विवशता की परिस्थिति में कुछ कर बैठे तो कुछ समझ में आता है, लेकिन सामने जो है वह है जिन्होंने राज कर लिया है, जिन्होंने राज मद में आकर अत्याचार करने के साथ साथ कई तरह से धनार्जन भी कर लिया है फिर भी उनके दिमाग में, उनकी भावना में आज एक भूखी स्त्री के द्वारा पुत्र को छोड़ने जैसी भावना है। आज वह विधान सभा को कैसे छोड़ रहे हैं, मुझे इस बात का दुःख है। आखिर किस प्रकार के प्रजातन्त्र के अन्दर आप अपने आपको रखना चाहते हैं? प्रजातन्त्र के अन्दर, लोक-

(श्री माधोसिंह कछवाह)

तन्त्र के अन्दर लोकहित की बात नहीं हो समाजवाद की बात नहीं हो, कोई व्यवस्था की बात नहीं हो, विधान की बात नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो किस प्रकार का लोकतन्त्र वह चाहते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमन्। लेकिन इसका हमें अफसोस नहीं है। इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि मनुष्य अपने विचार भाग्य के अनुसार बदल सकता है। विचार आज नहीं तो कल बदल सकते हैं और राजस्थान की उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं और रचनात्मक तरीके अपना सकते हैं।

मान्यवर, एकाध बात और कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माधोसिंहजी, आप कई बार कह चुके हैं इस तरह से। आपकी मंजिल न जाने कितनी दूर है। जो एक घन्टे का समय बढ़ाया गया है वह शायद आप ही ले लें।

श्री माधोसिंह कछवाह : मान्यवर, जो भाटीजी ने आंकड़े पेश किये हैं, जो स्थिति बताई है और कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसका समर्थन किया है उसका अनुमोदन करते हुए आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा, श्री रामनारायण चौधरी और श्री रामकरणसिंह तीनों माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भाटी जी ने जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही अच्छे ढंग से और आंकड़े बताते हुए रखा है। जो जनता पार्टी ने अब तक चमत्कार किया है, अच्छे काम किये हैं उन सबको बताया है, उन्होंने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया है कि उन्होंने जनता पार्टी के कामों को यहां पर बताया है। मैं भी उनको वाजिब मानता हूं लेकिन साथ में जनता पार्टी में बैठने वाले साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि 30 साल के दौरान में किन किन लोगों ने किस किस तरह से बहुमत के आधार पर किन किन बातों की ओर तवज्जह नहीं दी। इस बारे में आज आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप किसी बात में भावुक न हो जायं आपका बहुमत आ गया है तो बहुमत तो आता रहेगा और जाता रहेगा और अल्प मत में भी आदमी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जीत और हार होती रहती है। यदि आप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं और अपने कार्यों से जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो जी चाहे जिस तरह से सदन में आचार करें, जी चाहे जिस तरह से भाव में बह जायं, इसको आप छोड़िये। यदि पार्टी के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पार्टी जो योजनाएं और नीतियां बना कर चल रही है वह असली रूप में जनता तक पहुंच भी

(श्री रामकरणसिंह)

जाती हैं या नहीं इसको प्रेक्टिकल वे में देखिए राजस्व अभियान चलाया है यह उत्तम चीज चलाई, यह बहुत ही अच्छी चीज है। इसी प्रकार से अन्त्योदय है। यह जो अन्त्योदय योजना के द्वारा गरीब को उठा रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन अपन लोग यह भूल जाते हैं कि जितना खर्च होता है उसमें से गरीब व्यक्ति के पास कितना पहुंचता है। केवल यह कह देने से कि यह अच्छी योजना है किसी को लाभ नहीं पहुंचता है। मिठाई का नाम लेने से ही पेट नहीं भरता है। आपने योजना बनाई है, यह बहुत उत्तम है। इसकी जब प्रशंसा करते हैं तो हमें यह भी सोचना है कि जिस व्यक्ति के लिए यह योजना बनाई गई है, उसको कितना फायदा मिल सकता है। मैं मानता हूं कि जनता पार्टी ने जो योजनाएं बनाई हैं, वह सभी शहरी योजनाएं हैं। गरीब किसानों के लिए, गांवों और देहातों के लिए नहीं बनाई हैं। लेकिन यह योजना है इसमें यह देखें कि जितना खर्च होता है उसका कितना हिस्सा गरीब के पास पहुंचता है। आप शहर वालों को फायदा देते हैं, यह तो ठीक है। आपने अच्छी योजनाएं बनाई हैं लेकिन जिन लोगों को आप इन योजनाओं के द्वारा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके दिलों को टटोलें। किसी आदमी को आप दक्षिणा देकर भेजते हैं फिर पीछे से धक्का मार देते हैं तो उसको जिमाना और बैठाना सब बेकार हो जाता है। मेरा निवेदन है यह बहुत अच्छी योजना है। कांग्रेस वालों ने कई योजनाएं चलाई होंगी। कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी। उसको हवा बहा ले गई। आपने योजनाएं बनाई वह अच्छी हैं लेकिन आप अच्छी तरह क्रियान्वित करके बतायें। बहुमत के बल पर आप शासन में आये हैं तो आप योजनाएं क्रियान्वित करें।

मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, वह दो मुद्दों पर है। उस पर विशेष ध्यान दिलाने की बात कही गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी के बारे में मन्त्रिमण्डल के सदस्य, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो राज चलाते हैं, कहते हैं कि शराबबन्दी होनी चाहिए लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बारे में एक अक्षर नहीं कहा है। इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि यह एक कमी इसमें है। जो व्यक्ति आज जनता पार्टी के अन्दर है, चाहे वह किसी भी घटक के हों उनको निवेदन करता हूं कि हमारी एक संस्कृति है। हिन्दू संस्कृति को लोग बहुत पहले से मानते हैं। जो शराब पीने वाले हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि वह शराब नहीं पीते हैं अपने बच्चों का खून पीते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को खतम करते हैं। हजारों लाखों किसान और मजदूर इस बात को समझते नहीं हैं, वह प्यालों में बच्चों का खून पी रहे हैं। शराब के लिये बीवी और बच्चों को बेच रहे हैं। फिर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शराबबन्दी का कोई जिक्र नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कमी है। अभिभाषण में राजस्व अभियान और बहुत कुछ बातें होते हुए भी यह कमी रह गई है, शराबबन्दी वाली बात रह गई है। मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा, जैसा कि माननीय त्रिलोकचन्द जी और मास्टर आदित्येन्द्र ने कहा है, उसी प्रकार से सभी वास्तव में कटिबद्ध हो जायें ताकि आने वाले टाइम में 1 अप्रेल से शराब

(100)

(श्री रामकरणसिंह)

बिल्कुल बन्द कर दी जाये। जिस प्रकार से आपने अन्त्योदय योजना में पहल की है उससे आपका 25% नाम हुआ है। इसी प्रकार से काम के बदले अनाज के बारे में पहल दिखाई है। उससे आपका नाम हुआ है। अगर शराबबन्दी भी कर दें तो हिन्दुस्तान में आपका प्रथम नाम होगा। हिन्दुस्तान की सरकार सोचेगी कि यह राजस्थान की एक सरकार है जिसने देश को राक्षस बनने से बचा लिया है।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि जो देहात के विकास की बात करते हैं, देहात में अधिक पैसा खर्च करने की बात करते हैं। यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि 60% देहात में खर्च करे और 40% शहरों में खर्च करें। मेरी मान्यता है कि आप देहात के व्यक्ति को शहरी व्यक्ति के मुकाबले में 8 आना देते हैं और शहरी आदमी को एक रुपया देते हैं। शहरी व्यक्ति को 5 रुपया देते हैं तो देहात को ढाई रुपया देते हैं। इस बारे में आप कहने के लिए तैयार हो जायेंगे कि कांग्रेस सरकार तो इतना भी नहीं देती थी। कांग्रेस सरकार की बात छोड़िये। कांग्रेस ने वह भी किया है जो न राम राज्य में हुआ है और न रावण राज्य में हुआ है। आप कहते हैं कि 30 साल में क्या हुआ है। ये आपके अधिकारी बैठे हुए हैं। ये जानते हैं कि 30 साल में क्या हुआ है। इस प्रकार से कह कर आप अपने आपको बचाना चाहते हैं। आपकी बीवी है। वह चाहे कानी, लूली लंगड़ी है लेकिन वह आपकी बीवी है। आपसे कोई बात करता है तो आप बहाना बनाते हैं अधिकारियों का। क्यों रखा है, आपने पहले उसको? आपने राज्य को अपने हाथ में लिया है और अधिकारियों की आप बात करते हैं। आप कहते हैं अधिकारी ठीक नहीं हैं। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आई उसमें आपने कह दिया जितने व्यक्ति लगाये हैं वह कांग्रेस सरकार ने लगाये हैं। कितने आई. ए. एस. हैं? आपने कितने लगाये हैं? अगर कोई कमजोरी है तो आपकी है। उनकी कमजोरी की बात नहीं कहनी चाहिए। अधिकारी यह समझते हैं कि आप उनको ऐसा समझते हैं। आप उनकी कद्र नहीं करते हैं। आप अपनी कमजोरी अपने आप बताते हैं। आप भस्मासुर की तरह से कहते हैं कि हमको ऐसे मारो। आप हवा में नहीं उड़ें। प्रेक्टिकल में आयें।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक प्रश्न पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्तियों का है, उसकी एक प्रक्रिया है। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के चैयरमेन और सदस्यों की नियुक्ति सरकार अपने विवेक से करती है। इसलिए यह कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या यह पब्लिक सर्विस कमीशन आपको दहेज में दिया गया था? अगर खराब है तो उसको बदलें।

श्री माणकचन्द सुराणा : जो खराब है, उसको बदलने की भी प्रक्रिया है। आप और हम जो इस विधान सभा में आये हैं वह भी एक प्रक्रिया से आये हैं। उनको भी प्रक्रिया से बदला जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप उनको बदलें।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह आपकी समझ की बात है।

श्री रामकरणसिंह : माननीय सुराणा सहाब ने मुझे समझाने की कोशिश की उसके लिए मैं उनका आभारी हूं लेकिन, सुराणाजी, अगर मैं कम बोलता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं जानता नहीं हूं। अब भी मैं कह सकता हूं कि आपकी जो दलील है वह थोथी है। आप जिस राज के मालिक हैं उसके लिए यह कहें कि फलां चीज फलां ने बिठाई है और उसका सामंजस्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आप करें, तो इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यह मैं आपके भले की बात कहता हूं, आपको बुरा लगे तो खुदा हाफिज।

साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय भटनागर साहब ने एक बात कही। अगर जनता पार्टी यह चाहती है कि दुनिया में कोई नया नमूना रखें तो जैसे मैसूर में अभी एक प्रयोग किया गया कि सेक्रेटेरियट के बगैर भी काम चल सकता है या नहीं, उसका सर्वे किया गया और यह पाया गया कि 95 पर्सेन्ट रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, योजना, कार्यक्रम जो भी हैं उनके कागज बनाकर नीचे से डिपार्टमेन्ट से आते हैं उनमें सेक्रेटेरियट केवल देर करता है, उनमें हेर फेर नहीं, अड़ंगे लगाता है और जो बजट आपके पास है, अगले मार्च में जो सैशन आएगा उस समय उस पैसे को खर्च करते हैं। डाइरेक्टर मेडिकल, ईरिगेशन का चीफ इन्जिनियर, पी. डब्ल्यू. डी. के जो लोग योजना बना देते हैं उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। उनकी बनाई हुई स्कीम एक एम. डी. सी. और यू. डी. सी. के हाथों में जाती है और वे लोग उसको बदलते हैं और भटनागर साहब ने कहा कि बाहर जाकर लोगों से चाय पीते हैं। ऐसी बात है तो फिर कहां से शराब बन्दी के लिए पैसा आएगा? मैं कहता हूं कि आपने ये आवारा पाल रखे हैं। मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि सेक्रेटरी रहें, अगर यही चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि एक मीटिंग हो जाय, कल हो जाय, परसों हो जाय और सचाई से देखें। आई. ए. एस. आफिसर होना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो ऐसा मत सोचिये कि मीटिंग में क्या होता है, केवल डिले की जाती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आपकी मर्जी है लेकिन मैंने संशोधन रखा है। विरोधी पक्ष में भी कोई नहीं है और कल का टाइम भी है इसलिये थोड़ा और समय दें। वैसे आपके हुकम की तामील होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरणजी, आपने बीस मिनट ले लिये हैं।

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारा अधिकार है लेकिन आपकी मर्जी हो तो हम बैठ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा मैग्जिमम है, आपका अमेण्डमेन्ट है इस आधार पर अधिकार के साथ समय लें, यह उचित नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विरोधी पक्ष का सारा समय हमारा है।

श्री रामकरण सिंह : अगर सेक्रेटरी रखना है तो मेरा सुझाव है कि एक सेक्रेटरी हो, एक स्टैनो, एक पी.ए. और एक चपरासी हो। पांच आदमियों का स्टाफ डिपार्टमेंट वाइज दे दीजिये। अगर मन्त्री महोदय चाहते हैं कि एक सेक्रेटरी होना चाहिए और बाकी सब बेकार हैं तो जनता पार्टी को एक नया आदर्श रखना चाहिए। यह बहुत अच्छी स्कीम है शराबबन्दी के लिए। इससे पैसा बचेगा और आपको विकास के लिये पैसा भी मिल जायगा। अगर आप यह चाहते हैं कि एम. एल. ए. जनप्रतिनिधि उनके चक्कर लगायें और जिला स्तर के अधिकारी उनके पास हाजिरी लगावें और इससे कोई आपके चार चांद लगते हों तो आप इनको बनाये रखिये। ये आपको ही खायेंगे, यह मैं आपको बता सकता हूं। जब ये लोग खाली समय में बैठते हैं तो आपकी बुराई करते हैं, आपकी भलाई नहीं सोचते हैं।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आरक्षण के बारे में, मैं किसी पर्टीक्यूलर क्लास के लिये नहीं कह रहा, आप इसके लिये कोई दूसरा रास्ता निकालिये। यदि आपने इसी तरह का सिस्टम रखा तो आपकी एफिशिएन्सी बिल्कुल दरगुजर होती जा रही है। एक तरफ आपका एक आई. ए. एस. 85 पर्सेन्ट मार्क्स वाला आता है और दूसरी तरफ 40 पर्सेन्ट वाला आता है, दोनों एक ही जगह बैठ कर काम करते हैं, यह कैसे हो सकता है। आप उनको बराबर का पद देते हैं। जो कम मार्क्स लाता है उसको एस.पी. और कलेक्टर का पद देते हैं। उसमें कितनी एफिशिएन्सी रहेगी, इस बारे में आपको विचार करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्षमता बनी रहे तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक काम के लिये सैक्शन आफिसर ने नोट बनाया, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ने डिटो कर दिया, डिप्टी सेक्रेटरी ने उसको डिटो कर दिया और सेक्रेटरी ने भी डिटो कर दिया उसके बाद में एक किसान मिनिस्टर साहब थे, मंत्री महोदय के पास वह नोट गया। उन्होंने लिखा कि यह कैसा ××× हैं। जब यह चीज...

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी भाषा है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय है,

श्री रामकरण सिंह : जब बांसवाड़ा है, हरमाड़ा है तो इसमें क्या है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कृपया निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी, आपने जो उदाहरण दिया, वह असंसदीय है, इसलिए इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय।

श्री रामकरण सिंह : जब उन्होंने यह लिखा तो वापस फाइल असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के पास गई। उन्होंने दुबारा लिखा, यह शब्द आप बुरा मानते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, जब बांसवाड़ा है, भोटवाड़ा है लेकिन आप यह शब्द नहीं सुनना चाहते।

यह चीज लिखी और फिर फाइल वापस मंत्री के पास गई, यह तथ्य है। उसके बाद ×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राम करण सिंह)
मंत्री महोदय ने सबको बुला लिया, सैक्शन आफिसर से लेकर सेक्रेटरी तक को बुलाया। सैक्शन आफिसर ने समझा कि मंत्री नाराज होंगे। उन्होंने कहा मैंने अच्छी तरह से नहीं सुना। बोले, इससे ज्यादा क्या सुनोगे। जो बात थी, मैंने लिख दी। हमारे बीच की मशीनरी क्या करती है ?

श्री कौशलकिशोर जैन : उस महापुरुष का नाम बताओ।

श्री रामकरण सिंह : श्री कुम्भा राम।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : जनता पार्टी के नेता है।

श्री रामकरणसिंह : मुझे माफ करेंगे। जनता पार्टी की सरकार का एक सबसे बड़ा लेकूना मिला है वह है आपका जन सम्पर्क विभाग। आप सोचिए 5 सूत्री व 20 सूत्री कार्यक्रम गांव-गांव तक बच्चों के पास पोस्टर्स के जरिए चला गया और उसका प्रचार हुआ। जनता पार्टी ने शिक्षा विभाग में जो कुछ किया, शिक्षा विभाग का एक ही काम पूरे हिन्दुस्तान व राजस्थान को चौंका देने वाला और आकर्षित करने वाला है लेकिन उसका प्रचार नहीं हो रहा है। आपका जन सम्पर्क विभाग एक ऐसे आदमी के पास है जिसको मैं प्यार करता हूं लेकिन पार्टी को इसके लिए डूब जाना चाहिए कि वह विभाग कतई एडजस्ट करके नहीं चलता और आपको यह नहीं मालूम होने देता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए उस विभाग को आगाह किया जाए ताकि आपकी इमेज बने। आप इमेज खो रहे हैं। आपने शिक्षा, पशुपालन या कृषि विभाग में जो कुछ किया है अगर वह सही रूप से लोगों के सामने आ जाए तो आपकी सरकार की इमेज बन जाए। इतने बड़े काम हुए हैं और लोगों को मालूम नहीं। जैसे बावला आदमी होता है वह अपने को नहीं गिनता है, इसी तरह से आप अपने को नहीं गिनते। इस बारे में आपको सोचना चाहिए। यह गनीमत समझो कि राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत व नव ज्योति इन तीनों अखबारों ने आपकी इमेज बनाई हुई है और उसकी वजह से जी रहे हो···

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर बोल चुके। फिर भी कुछ शब्द कहकर संतोष कर लो।

श्री रामकरणसिंह : आज गांव की बात कह कर गांव वालों को आगे लेना चाहते हो। गांव जब समझ बैठा कि कांग्रेस के लोग कुकर्मी हैं तो उसका राज कायम नहीं होने दिया। गांवों में जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी गिरी हुई हालत है, गांव के बच्चे आवारा होते जा रहे हैं। गांवों में 60 लड़कों पर एक अध्यापक। दो-दो मिनट के लिए भी एक एक लड़के को मास्टर पेशाब के लिए छुट्टी दे तो उसको पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा।

इसी तरह खेलों के लिए शहरों में तो आपने स्टेडियम्स बना दिए लेकिन गांवों में खेलों के बारे में क्या सोचा है ? आप हवा में चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी अवसर आयेंगे बोलने के, बजट प्रस्तावों के समय बोल लेना। आपके दिमाग में कई

(श्री उपाध्यक्ष)

समस्याएं हैं लेकिन अभी तो काफी कह चुके हैं।

श्री रामकरण सिंह : मैं इसलिए खड़ा हुआ कि अब मुझे ज्यादा समय मिलेगा। वैसे आपकी मर्जी है, जो व्यवस्था देंगे मानूंगा लेकिन मैंने दल का समय नहीं लिया, मैंने संशोधन देकर समय लिया है। आपकी यही मर्जी है तो मैं नहीं बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतार सिंह।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य, हमारे साथी जो राज्यपाल महोदय ने 1½ वर्ष में जनता पार्टी की उपलब्धियों का अपने अभिभाषण में जिक्र किया और जो भावी योजनायें हैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूं उनके पास ऐसे कोई तर्क नहीं है जिनके आधार पर उन्होंने वाकआउट किया है। खैर उनकी इच्छा है।

अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तृत रूप से जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसमें दो राय नहीं कि जनता सरकार ने इस 1½ साल की अल्पावधि में जो विकास कार्य किये हैं निस्संदेह वे अद्वितीय हैं। इस अवसर पर जो सरकार ने योजनायें हाथ में ली हैं उनका जो मुझे प्रेक्टिकल रूप से अनुभव हुआ है, वह मैं सदन के सामने रखता हूं।

पिछले वर्ष जनता सरकार ने अन्त्योदय योजना जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रखी। इस वर्ष काम के बदले अनाज जैसी योजना रख कर गांवों में आशा का संचार किया। राजस्व अभियान से किसानों में नई आशा आई। इन सब योजनाओं को रखने में मंत्रिमण्डल के सदस्यों के दिल में राज्य के विकास के लिए निस्संदेह जगह है। परंतु उसके साथ ही जो योजनायें चालू की हैं, अन्त्योदय, राजस्व अभियान और काम के बदले अनाज की इनमें जो प्रैक्टिकल बाधायें हैं, वह मैं विस्तार से बताऊंगा।

मेरा सौभाग्य है कि राजस्व मंत्री सदन में बैठे हैं। यह बताया गया है कि गत वर्ष राजस्व अभियान में लगभग 2 लाख मामले निपटाये गए। मेरे किशनगढ़ क्षेत्र में इस अभियान के दौरान जितने भी काम किए गए हालांकि राज्य सरकार का लक्ष्य था, पावन उद्देश्य था और इसी से प्रेरित होकर कि किसानों को कम से कम परेशानी हो और सस्ता व सुलभ न्याय मिले राजस्व अभियान चलाया गया। प्रेक्टिकली मैंने इस अभियान को देखा है। इस वर्ष 37 जगह राजस्व अभियान के कैम्प लगाए गए थे उनमें से 22 स्थान मैंने देखे। मैंने देखा कि इस अभियान से जो फायदा होना चाहिए था या खुशी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मैंने कारण जानने की कोशिश की। जो राजस्व अधिकारी गए थे उनके सामने नामांकन खोलने का मामला आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन्होंने कोई ऐसा मामला नहीं छोड़ा होगा जिसमें उन्होंने रिश्वत नहीं ली हो। हालांकि हमारी सरकार ने यह अभियान पावन उद्देश्य से चलाया लेकिन जो अधिकारी इम्पलीमेंट करते हैं, वे नाजायज फायदा उठा कर किसानों को परेशान करने की बात करते हैं।

(श्री करतार सिंह)
खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवली गांव में राजस्व अभियान चला था मैं वहां हाजिर था। मैंने तहसीलदार से निवेदन किया था, उसने नामांकन के लिए हां भरी लेकिन नहीं हुआ और दूसरी जगह जहां पैसे मिल गये वहां पर नामांकन खोल दिये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नामांकन जितने भी तस्दीक किये गये उनको तत्काल तहसीलदार ने तस्दीक नहीं किया। मेरा निवेदन है कि जो भी नामांकन खोले जायें वे स्पाट पर तहसीलदार द्वारा तस्दीक होने चाहिए तभी जाकर इसका फायदा हो सकता है। जिन-जिन लोगों ने पैसा दिया उनके यहां तो नामांकन खुल गया और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके यहां नामांकन नहीं खुला ··

श्री श्योपत सिंह मकासर : रिश्वत अपने घर में ही मिलती है वहां थोड़े ही मिलती है।

श्री करतार सिंह : आप बिराज जाइये, मेरी बात सुनें।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिन जिन काश्तकारों ने रिश्वत दी थी, रिश्वत के सौ-सौ और दो-दो सो रुपये बंधे हुए हैं, उनके यहां नामांकन का काम खोल दिया इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले की अलग-अलग राजस्व सम्बन्धी समस्यायें होती हैं। उन समस्याओं का राजस्व मंत्री को सर्वेक्षण कराना चाहिए। जिस जिले में जिस प्रकार की ज्यादा समस्यायें हैं उनको ही उस अभियान के अन्दर शामिल करना चाहिए। जैसे अजमेर जिले में खाते खोलने का काम है। इस अभियान के दौरान काफी अधिकारियों को कहा लेकिन उन्होंने कहा कि नाम ही नहीं है तो हम कैसे काम करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले आप जन प्रतिनिधियों से पूछें, राजस्व अधिकारियों से पूछें कि जिले की क्या-क्या राजस्व सम्बन्धी समस्यायें हैं फिर उन समस्याओं को राजस्व अभियान में शामिल करें और इसके अलावा एक इवेलुएशन कमेटी जन प्रतिनिधियों की बनायें जो कि मूल्यांकन करे कि जो राजस्व की समस्यायें थीं उनको हल करने में कहां तक सफल हुए हैं। निश्चित रूप से माननीय राजस्व मंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि आने वाले राजस्व अभियान में किसी प्रकार की कमी न रहे और काश्तकारों को परेशानी नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे किशनगढ़ क्षेत्र में जब राजस्व अभियान शुरू हुआ था उस समय सैक्शन 91 के केसेज 3093 पेन्डिंग थे उनमें से एक भी केस को नहीं निपटाया बल्कि किसानों को बुला कर तारीखें दे दीं। मैं खुद उस समय वहां था। किसानों को परेशान किया गया उसमें पटवारी दोषी था लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अधिकारी जान बूझकर किसानों को परेशान करने की बात करें और जो भी कर्मचारी राजस्व अभियान की योजना को असफल करने की कोशिश करें ऐसे कर्मचारियों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए।

इसके साथ ही अजमेर जिले के जो भू-संशोधन के मामले हैं पिछली बार विधान सभा में भी मैंने यह मामला उठाया था कि अजमेर जिले में सन् 1969 और 1971 में जो भू-संशोधन अभियान चला था उसका क्या किया। तो बताया गया कि वापस बन्दोबस्त करवा रहे हैं। इस बात से किसान

(श्री करतार सिंह)
में बड़ा भारी असन्तोष फैल रहा है। आज 7 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब राज्य सरकार की नीति है कि उसी रिकार्ड को मानते हुए आप किसानों के ऊपर लगान बढ़ा देंगे। यह उनके साथ अन्याय है। एक कमेटी बैठाई गयी थी उसने रिपोर्ट दे दी कि भू-संशोधन के मामले हैं उनका निपटारा कर लिया जाये सुन कर लेकिन वह नहीं करके पूरा बन्दोबस्त करवा रहे हैं। मेरा कहना है कि यह बन्दोबस्त तीन साल तक भी नहीं होगा और किसानों को परेशानी होगी और वे मुकदमेबाजी में फंसेंगे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले के किसानों को राहत देने के लिए जो भू-संशोधन सन् 1969 और 1971 में हुआ था उसको मान्यता दें और खतम करें। उसके बाद सैटलमेन्ट करना हो तो करायें हमें एतराज नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दस मिनट ही हुए हैं ....

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय सदस्य का भाषण समाप्त नहीं हो जाये तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त ही कर रहे हैं। समय के अन्दर।

श्री करतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैक्शन 42 (अ) और धारा 53 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप अजमेर जिले के आंकड़े देख लें, आज हजारों नामांकन के केसेस पेन्डिग पड़े हैं जब कि पैट्रोल पम्प और मकान बनाने को वह धारा लागू नहीं होती है। इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जितने भी राजस्व अभियान आप चलायें वह अभियान जन प्रतिनिधि और गांव के प्रतिष्ठित आदमी की एक कन्सल्टेटिव कमेटी बना कर चलायें...

श्री श्योपत सिंह मकासर : What do you mean by Pratisthit ?

श्री करतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि पिछले कांग्रेसी शासन में स्कूल खोलने के जो नार्म्स थे उनको आपने तोड़ दिया। इस बात की तो खुशी है कि आपने सुदूर गांवों में स्कूल खोले हैं लेकिन साथ ही साथ और आपको ग्रामों का विकास करना है, छात्रों को आगे लाना है तो निश्चित रूप से हर स्कूल के अन्दर और कॉलेज के साथ छात्रावास खोलने पड़ेंगे। जब तक आपके छात्रावास नहीं होंगे, ग्राम के बालकों और विद्यार्थियों को सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी तब तक वह कैसे आगे आयेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आज का समय समाप्त हुआ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 1979 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 48 की तालिका)

दिनांक 1-4-78 को केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेषों एवं उन पर वर्ष 1978-79 में देय ब्याज की मदवार तालिका :—

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-78)	रुपये लाखों में देय ब्याज (78-79)
1	2	3
क. आयोजना भिन्न ऋण		
(1) अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	2645.00	
(2) अल्पकालीन कृषि ऋण	200.00	
(3) शिक्षा, कला एवं संस्कृति	59.60	
(4) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण	11.43	
(5) पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण	87.82	
(6) कारागारों का आधुनिकीकरण	11.25	
(7) ग्रे एरियाज में उपयोग के लिये ऋण	50.00	
योग क—	3065.10	183.74
ख. राज्य आयोजना समूह ऋण योग ख—	15927.02	836.17
ग. केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं		
(1) पुलिस के लिये आवास योजनाएं	66.43	
(2) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम	27.40	
(3) विस्थापितों के लिये पुनर्वास योजनाएं	93.68	
(4) शिक्षा, कला एवं संस्कृति	12.58	
(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास	65.00	
(6) लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र का विकास	71.67	
(7) पशुपालन	5.44	
(8) सहकारिता	108.02	

(108)

1	2	3
(9) मत्स्य उद्योग	1.80	
(10) सड़क परिवहन	19.50	
(11) कृषि	40.12	
(12) ग्राम्य व लघु उद्योग	20.00	
योग ग–	531.64	32.10
घ. केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं		
(1) ट्रान्समिशन एवं वितरण योजनाएं	252.35	
(2) सड़कें एवं पुल	160.64	
(3) लघु सिचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र का विकास क्षेत्र	80.96	
(4) पशुपालन	18.09	
(5) ग्राम्य एवं लघु उद्योग	94.61	
(6) सहकारिता	37.01	
योग घ–	634.66	33.96
ङ. 1974 से पूर्व के ऋण		
(1) विस्थापितों का पुनर्वास (2) स्वर्णकारों का पुनर्वास (3) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	254.06	
(4) अन्य एकीकृत ऋण	65372.64	
(5) अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	2025.70	
(6) भाखड़ा नांगल परियोजना	309.62	
योग ङ–	67962.02	3231.30
योग केन्द्रीय ऋण–	88129.44	4317.27

"सूची"

भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य संस्थाओं के ऋण की सूची:–

		रुपये करोड़ में (1-4-78)
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	12.502
2.	राष्ट्रीय भण्डार व्यवस्था निगम	0.002
3.	खादी व ग्रामोद्योग आयोग	0.014
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	4.770
5.	भारतीय रिजर्व बैंक	11.157
6.	भारतीय दुग्ध निगम	1.802
7.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	0.200
8.	जागीर बोन्ड्स	0.890
9.	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम (समायोजित ओवर-ड्राफ्ट 11.86 करोड़ शामिल नहीं है)	3.030
10.	बाजार ऋण	159.120
	योग ..	193.487

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

भरतपुर बाढ़ नियंत्रण खण्डों द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन हेतु दी गई राशि

55. **श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर सिंचाई वृत्त के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण खण्ड प्रथम, बाढ़ नियंत्रण खण्ड द्वितीय, बाढ़ नियन्त्रण खण्ड, डीग एवं सिंचाई खण्ड, भरतपुर द्वारा पृथक्-पृथक् अक्टूबर, 1977 से जनवरी, 1979 तक की अवधि में भरतपुर जिले के किन-किन समाचार-पत्रों को कितनी-कितनी राशि विज्ञापन के रूप में दी गई ?

(2) क्या उक्त विज्ञापनों के वितरण में राज्य सरकार के जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा निर्धारित क्रम (रोटेशन) का पालन किया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो विज्ञापनों के वितरण में इतनी भारी असमानता एवं पक्षपात क्यों बरता गया जब कि भरतपुर से प्रकाशित लगभग सभी साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रायः एक दो दिन के अन्तर से प्रकाशित होते हैं ?

(3) क्या उपर्युक्त सिंचाई खण्डों के विज्ञापनों को वितरित करते समय उन्हें मुद्रित करने के न्यूनतम स्थान का निर्धारण किया गया ? यदि नहीं, तो क्या राज्य के जनसम्पर्क निदेशालय से इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर कभी भी स्थान निर्धारण सम्बन्धी परामर्श या उसके मापदंड की जानकारी प्राप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या उपर्युक्त सिंचाई खंडों का एक ही विज्ञापन भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों में भिन्न-भिन्न आकार में छपा है ? यदि हां, तो न्यूनतम स्थान में मुद्रित विज्ञापन के आधार पर ही भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(5) राज्य सरकार सिंचाई विभाग के विज्ञापनों के वितरण में हो रही धांधली को रोकने का क्या विचार कर रही है जिससे अधिकारीगण विज्ञापनों के वितरण और भुगतान में मनमानी एवं पक्षपात न बरतें तथा विज्ञापनों के नाम पर सार्वजनिक धन का भारी अपव्यय न हो ?

(6) विज्ञापनों के वितरण एवं भुगतान में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सूची "क" संलग्न है।

(2) जनसम्पर्क विभाग के नियम ये हैं कि सरकारी विज्ञापन मान्यता प्राप्त समाचार-पत्रों को यथा संभव समान रूप से दिये जावें जिनका पालन किया जाता है।

(3) विज्ञापन प्रकाशन के आदेश में आम तौर पर न्यूनतम स्थान में छापने को ही लिखा जाता है।

(4) ऐसा संभव है।

(5) विज्ञापनों के वितरण एवं भुगतान में धांधली नहीं हो रही है।

(6) इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची "क"

बाढ़ नियन्त्रण खण्ड प्रथम (अक्टूबर, 1977 से जनवरी, 1979)

1.	दैनिक उदयभानु	रु. 599.80
2.	लाल निशान साप्ताहिक	रु. 2548.32
3.	साप्ताहिक नवयुग सन्देश	रु. 1172.08
4.	साप्ताहिक क्रांतिगढ़	रु. 51.48
5.	साप्ताहिक आवाज	रु. 3272.50
6.	साप्ताहिक चौरासी खम्भा	रु. 99.84
		रु. 7744.02

बाढ़ नियन्त्रण खण्ड द्वितीय

1.	लाल निशान	रु. 1604.64
2.	कूक दैनिक	रु. 251.00
3.	दैनिक उदयभानु	रु. 413.80
4.	आवाज साप्ताहिक	रु. 584.00
5.	नवयुग संदेश	रु. 376.00
6.	वीर सैनिक	रु. 187.00
7.	वीर जनता	रु. 99.84
8.	क्रान्तिगढ़	रु. 274.58
9.	चौरासी खम्भा	रु. 218.40
		रु. 4009.26

बाढ़ नियन्त्रण खण्ड, डीग

1.	आवाज साप्ताहिक	रु. 670.80
2.	नवयुग संदेश	रु. 202.80
3.	लाल निशान	रु. 2113.36
4.	क्रांतिगढ़	रु. 706.68
5.	चौरासी खम्भा	रु. 1479.99
6.	वीर सैनिक	रु. 2934.36
7.	वीर जनता	रु. 320.58
8.	राजस्थान लीडर	रु. 51.48
		रु. 8480.05

(112)

<u>सिंचाई खण्ड, भरतपुर</u>

1. नवयुग संदेश	रु. 2271.94
2. लाल निशान	रु. 2477.64
3. क्रान्तिगद	रु. 642.71
4. चौरासी खम्भा	रु. 492.80
5. साप्ताहिक धौलपुर गजट	रु. 187.20
6. दैनिक उदयभानु धौलपुर	रु. 813.20
7. वीर सैनिक	रु. 748.80
8. बारह खम्भा	रु. 197.08
9. वीर जनता	रु. 173.16
10. साप्ताहिक आवाज	रु. 4085.60
	12050.13

राज्य के पिछड़े जिलों के लिए कृषि विकास योजनायें

56. श्री नूरा (मसूदा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य के पिछड़े जिलों में कृषि के विकास के लिए कोई योजनायें बनाई हैं ? यदि हां, तो यह योजनायें किन-किन जिलों के लिए बनाई गई हैं ?

(2) इन विकास योजनाओं के अन्तर्गत मुख्य-मुख्य क्या-क्या कार्यक्रम रखे गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजनाओं में वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी से कोई समझौता किया है ? यदि हां, तो यह समझौता कब किया गया ? इस समझौते की शर्तें क्या हैं ? कृपया समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) कृषि विशिष्ठ योजनायें संगठन ने कृषि विकास के लिए लघु सिंचाई एवं फल विकास की योजनायें कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय सहायता से बनायी हैं। यह योजनायें जिला जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुन्झुनूं (चिड़ावा और झुन्झुनूं) एवं सीकर के लिए बनायी हैं। इसके अतिरिक्त संगठन में सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना तथा मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कृषि विकास की योजनायें जैसे भू-संरक्षण, लघु सिंचाई, भू-जल विकास आदि कार्यक्रम लिये गये। इनमें यह योजनायें जिला जोधपुर, बांसवाड़ा, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुन्झुनूं, सीकर, डूंगरपुर, अजमेर की ब्यावर तहसीलें एवं उदयपुर की देवगढ़, भीम व खेरवाड़ा तहसीलों के लिए बनाई गई है। साथ ही कृषि विस्तार योजना राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा,

(कृषि मंत्री)

चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, सिरोही, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टौंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं गंगानगर जिलों के लिए बनाई गई हैं।

(2) इन विकास योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप निर्माण, नलकूप व कुओं को गहरा करवाना, डीजल व विद्युत् पम्प सेट लगवाना, रहट लगाना, सिंचाई के पक्के धोरे तैयार करवाना, सड़क निर्माण तथा जिले की जलवायु की उपयुक्ततानुसार फल वृक्षारोपण करना सम्मिलित है। सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना में इसके अतिरिक्त जल गृह योजना नल कूप निर्माण कुओं को गहरा करवाना योजना में सम्मिलित है। कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत किसान को उनके उपलब्ध साधनों के अनुकूल तकनीकी ज्ञान के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही कृषि साधनों की व्यवस्था भी की जाती है।

(3) राज्य सरकार ने लघु सिंचाई एवं फल विकास योजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से समझौता किया है। सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत जोधपुर एवं नागौर जिले हेतु माह जनवरी, 1975 से जून, 1980 की अवधि के लिए विश्व बैंक से सहायता मिल रही है। यह सहायता राजस्थान सरकार को सीधे प्राप्त नहीं होती बल्कि भारत सरकार को प्राप्त होती है। जहां से यह सहायता के रूप में राजस्थान सरकार को 2:1 अनुपात के रूप में मिल रही है। इस परियोजना प्रतिवेदन में कुल 6.30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होनी है। सारी राशि भारत सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य सरकार ने विश्व बैंक से कृषि विस्तार योजना हेतु समझौता किया है। यह समझौता 1 नवम्बर, 1977 को किया गया था। समझौते के अनुसार 23.90 करोड़ रुपये की योजना है। विश्व बैंक से इस हेतु 11.70 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। समझौते/आश्वासन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

During negotiations, assurances were obtained on the following major points that :

(a) GOR would ensure that VEW would live in the area assigned for their operations and for this purpose would provide such low-cost housing as necessary.

(b) GOR would, by December 31, 1978 complete the necessary survey to locate sites for VEW and AEO housing.

(c) GOR would make available credit to staff on such terms and conditions as to create incentive for the purchase of motorcycles and bicycles.

(११४)

(कृषि मंत्री)

(d) All incremental Extension and Adaptive Research staff would be appointed in accordance with the schedule.

(e) GOR would, in consultation with ICAR, review by June, 30, 1979 UOU research facilities and programmes and in the event that these would prove inadequate, would take steps to remedy the situation to the satisfaction of the Association.

(f) Department of Agriculture would keep separate accounts of expenditure made under the project, to be audited by an independent auditor in a manner acceptable to the Association. Audited accounts would be submitted to the Association not later than nine months after the end of each fiscal year.

(g) A Project Coordination Committee would be set up and would meet at least twice a year.

(h) The State Level Research Coordination Committee would continue to meet at least once a year.

(i) GOR would carry out monitoring and evaluation of the Project in such form as shall be agreed with the Association by December 31, 1977 and that the result of such monitoring and evaluation would be sent to the Association at least once a year.

राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम में कार्यरत अधिकारी

57. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) श्री ईश्वर चन्द भटनागर (पिड़ावा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम (आर.आई.एम.डी.सी.) में कितने अफसर नियुक्त हैं ? पूरी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त निगम में 22 जून, 77 से 9-2-79 तक इन अफसरों की कितनी वेतन वृद्धि की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त निगम (आर.आई.एम.डी.सी.) में कार्यरत अफसरों व निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की उपयोगिता के अनुसार इतनी बड़ी अफसरों की फौज का कोई औचित्य है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निगम द्वारा हर अधिकारी को नियमानुसार जब जब भी उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, दी जाती है। निगम

(उद्योग मंत्री)
के निम्नलिखित दो अधिकारियों को कार्य समिति की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 1978 में उनके द्वारा किये गये अच्छे कार्य के लिए एक एक वेतन वृद्धि अग्रिम रूप से दी गई है।

1. श्री एम.एल. भार्गव, मैनेजर डवलपमेन्ट
2. श्री एस.पी. माथुर, सचिव

(3) निगम राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी एक स्वायत्त संस्था है जिसका उद्देश्य राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर कर आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना है। इस निगम के द्वारा औद्योगिक एवं खनिज विकास के लिए छोटे बड़े अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां प्रारम्भ की गई हैं तथा निजी क्षेत्र में ऐसी इकाइयां लगाने वाले औद्योगिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्य हेतु जितने अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के पदों की आवश्यकता निगम के संचालक मण्डल द्वारा अनुभव की जाती है, उतने ही पद समय-समय पर सृजित किये जाते हैं।

वर्तमान में निगम में कार्यरत अधिकारियों की तालिका

क्र. सं	नाम अधिकारी	पद अधिकारी	वेतनमान
1	2	3	4
1.	श्री टी.एन. चतुर्वेदी	अध्यक्ष	2750/–
2.	,, अनिल कुमार आई.ए.एस.	प्रबन्ध संचालक	2000–125/2-2250
3.	,, आर.सी. बाहरी	खनिज सलाहकार	2750 (फिक्सड)
4.	,, एस. एस. मित्तल	औद्योगिक विकास सलाहकार	2500/–(,,)
5.	,, एस.एल. अजमेरा	वित्तीय सलाहकार	2500/–(,,)
6.	,, डी. कुमार	चीफ एग्जीक्यूटिव (टी.वी.)	1700–2200
7.	,, ए.के. लहरी	सुपरिन्टेन्डिग जियोलोजिस्ट	,, ,,
8.	,, वी.पी. जौहरी	सीनियर माइनिंग इन्जिनियर	,, ,,
9.	,, आर.एल. गुप्ता	प्रबन्धक वित्त	1550–2000
10.	,, वी.वी. रमन	मैनेजर (इन्टरनल आडिट)	,, ,,
11.	,, एम.एल. भार्गव	मैनेजर डवलपमेंट	,, ,,
12.	,, आर.पी. उदावत	,, ,,	,, ,,
13.	,, मानसिंह जागावत	मैनेजर (इलैक्ट्रीकल)	,, ,,
14.	,, के.एन. माथुर	मैनेजर (इन्डस्ट्रियल प्रमोशन)	,, ,,
15.	,, सी.एल. हरपावत	डिप्टी सुपरिन्टेन्डिग जियोलोजिस्ट	,, ,,
16.	,, वी. एस. नरुला	मैनेजर (डेटा बैंक)	,, ,,
17.	,, पी. सी. सिंघी	वरिष्ठ प्रबन्धक (प्र. एवं कार्मिक)	,, ,,

1	2	3	4
18.	श्री के. एस. गलुन्डिया	व. प्र. (इन्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर)	1550-2000
19.	,, यू. सी. जैन	मैनेजर (औद्योगिक सम्बन्ध व कार्मिक)	,, ,,
20.	,, आर. पी. कश्यप	मैनेजर डवलपमेंट	,, ,,
21	,, एल. ए. नमरानी	विकास अभियन्ता (इलैक्ट्रोनिक्स)	,, ,,
22.	,, आर. के. मून्दरा	माइनिंग इन्जिनियर	,, ,,
23.	,, एस. सी. अग्रवाल	,, ,,	,, ,,
24.	,, वी. एस. चौहान	,, ,,	,, ,,
25.	,, जी. एस. मेहता	सीनियर इन्जिनियर प्रोडक्शन	1150–1650
26.	,, एस. पी. माथुर	सचिव	,, ,,
27.	,, बी. एस. सिंघल	डिप्टी मैनेजर (अकाउन्ट्स)	,, ,,
28.	,, हर्ष वर्धन	जन सम्पर्क अधिकारी	,, ,,
29.	,, एम. पी. जैन	डिप्टी माईनिंग इन्जिनियर	,, ,,
30.	,, एस. पी. व्यास	,, ,, ,,	,, ,,
31.	,, ए. के. अलुवालिया	,, ,, ,,	,, ,,
32.	,, के. के. गुप्ता	,, ,, ,,	,, ,,
33.	,, आर. एल. पुरोहित	आवासीय अभियन्ता	,, ,,
34.	,, एच. एल. चौहान	मैनेजर (पी. एच. ई.)	,, ,,
35.	,, के. एस. माथुर	आवासीय अभियन्ता	,, ,,
36.	,, आर. डी. व्यास	आवासीय अभियन्ता	,, ,,
37.	,, के. पी. माथुर	मैनेजर (इन्जिनियरिंग)	,, ,,
38.	,, बी. एल. जैन	डिप्टी डायरेक्टर (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	,, ,,
39	,, जी. एल. गोयल	,, ,,	,, ,,
40.	,, ताराचन्द तंवर	मैटेरियल आफिसर	,, ,,
41.	,, डी. पी. खण्डेलवाल	उप लेखा प्रबन्धक	,, ,,
42.	,, एस. के. पुरोहित	सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) ग्रुप 1	930–1520
43.	,, एल. एन. भट्टाचार्यजी	,, (प्रशासन)	,, ,,
44.	,, एस. के. शर्मा	,, (कार्मिक) ग्रुप 2	,, ,,
45.	,, पी. सी. पुरोहित	सहायक खनन अभियन्ता	,, ,,
46.	,, एस. पी. गोयल	,, ,,	,, ,,
47.	,, के. एल. मुखर्जी	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी	,, ,,
48.	,, आर. एस. मिश्रा	,, ,,	,, ,,
49.	,, ओ. पी. शर्मा	सहायक विपणन अधिकारी	,, ,,

1	2	3	4	
50.	श्री ए. के. शर्मा	सहायक प्रबन्धक (टूल रूम)	930–1520	
51.	मिस प्रमिला गुप्ता	तकनीकी अधिकारी	,,	,,
52.	श्री एस. एन. नाग	सहायक लेखा प्रबन्धक	,,	,,
53.	,, पी. एल. भार्गव	,, ,,	,,	,,
54.	,, के. के. गुप्ता	,, ,,	,,	,,
55.	,, एस.के. खन्ना	,, ,,	,,	,,
56.	,, एस. पी. जैन	,, ,,	,,	,,
57	,, आर.के. शर्मा	सहायक लेखा प्रबन्धक	,,	,,
58.	,, बी.एल. सेठी	उप लेखा प्रबन्धक	,,	,,
59.	,, आर.एन. विश्नोई	डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्शन)	,,	,,
60.	,, एस.सी. भार्गव	डिप्टी मैनेजर (मैटेरियल)	,,	,,
61.	,, वाई.के. शर्मा	डिप्टी डाइरेक्टर (इन्फास्ट्रक्चर)	,,	,,
62.	,, बी. एस. शर्मा	,, ,,	,,	,,
63.	,, एल. पी. बापना	,, ,,	,,	,,
64.	,, एस.एस. वर्मा	,, ,,	,,	,,
65	,, जे. एस. हरकावत	आवासीय अभियन्ता (ii)	,,	,,
66.	,, विनय कौल	डिप्टी डाइरेक्टर (इन्फास्ट्रक्चर)	750–1350	
67.	,, आर. के. व्यास	,, ,,	,,	,,
68.	,, जी. एस. शेखावत	,, ,,	,,	,,
69.	,, एस. जी. दास	सीनियर सर्वेयर	,,	,,
70.	,, ओ. पी. शर्मा	जूनियर मार्केटिंग एग्जिक्यूटिव	,,	,,
71.	,, टी.आर. जूनेजा	मैन्टिनेन्स इंजीनियर	,,	,,
72.	,, एल. एस. महेचा	जूनियर इंजीनियर	,,	,,
73.	,, जे. आर. सिंघवी	मेडिकल आफिसर	,,	,,
74.	,, ओ.पी. खुराना	असिस्टेन्ट रेजिडेन्ड इंजी. (इलेक्ट्रीकल)	,,	,,
75.	,, एल.आर.सिंघवी	सहायक आवासीय अभियन्ता	,,	,,
76.	,, सुखदेव सिंह	,, ,,	,,	,,
77.	,, जी.पी. गुप्ता	,, ,,	,,	,,
78.	,, गोविन्द शर्मा	,, ,,	,,	,,
79.	,, ओम प्रकाश शर्मा	,, ,,	,,	,,
80.	,, आर.के. जैन	,, ,,	,,	,,

(118)

1	2	3	4
81.	श्री राम सिंह	सहायक प्रावासीय प्रभियन्ता	750-1350
82.	,, ग्रार.के.भाटिया	,, ,,	,, ,,
83.	,, वी.पी. सिंह	माइन्स फोरमेन	,, ,,
84.	,, ग्रार. चौधरी	,,	,, ,,
85.	,, वी.जी. सक्सेना	,,	,, ,,
86.	,, ग्रार.के. दुबे	,,	,, ,,
87.	,, गजाधर प्रसाद	,,	,, ,,
88.	,, के. बी. गुप्ता	,,	,, ,,
89.	,, ग्रार. प्रजापति	,,	,, ,,
90.	,, बी.एल. घटियाला	,,	,, ,,
91.	,, एच.के. वर्मा	,,	,, ,,
92.	,, एस.डी. वैष्णव	,,	,, ,,
93.	,, पी.के. चतुर्वेदी	,,	,, ,,
94.	,, हरिहर मंडल	,,	,, ,,
95.	,, जी.एस. नैयर	,,	,, ,,
96.	,, ग्रार.एस. राणावत	,,	,, ,,
97.	,, बी. ग्रार. शर्मा	,,	,, ,,
98.	,, सैयद मक्बूल ग्रहमद	ग्रसिस्टेन्ट माइन्स फोरमेन	,, ,,
99.	,, बी.एल. कोठारी	,, ,,	,, ,,
100.	,, एल.एन.के. सिन्हा	माइन्स फोरमेन	,, ,,
101.	,, लूनेश्वर भारद्वाज	,, ,,	,, ,,
102.	,, जे.सी. पोरवाल	ग्रसिस्टेन्ट माइन्स फोरमेन	,, ,,
103.	,, ग्रक्षय माथुर	,, ,,	,, ,,
104.	,, एस.के. शुक्ला	सहायक ग्रभियन्ता (टी.वी.)	,, ,,
105.	,, ग्ररुण दशोरा	सहायक ग्रभियन्ता (टेस्टिंग)	,, ,,
106.	,, एन.एम. लोढा	जूनियर इंजीनियर (टूल रूम)	,, ,,
107.	,, ग्रार.सी. शर्मा	कैमिस्ट	,, ,,
108.	,, एन.एस. भटनागर	,,	,, ,,
109.	,, हर्षवर्धन	जूनियर जियोलोजिस्ट	,, ,,
110.	,, ग्रार. एल. टाक	,, ,,	,, ,,
111.	,, एस.एस. नाथावत	,, ,,	,, ,,
112.	,, ग्राई.एस. सान्याल	,, ,,	,, ,,
113.	,, बी.एस. भाला	,, ,,	,, ,,

1	2	3	4
114.	श्री वी.पी. गोस्वामी	रिसर्च आफिसर	725–1180
115.	„ आर.के. दीक्षित	श्रम कल्याण अधिकारी	620–1100
116.	„ जी.सी. जैन	„ „	„ „
117.	„ जे.एम. माथुर	„ „	„ „
118.	„ श्री.पी. अजमेरा	सहायक प्रबन्धक (भूमि)	„ „
119.	„ सी.एम. जैन	„ „	„ „

मध्यम व लघु उद्योगों को सब-सिडी

58. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने किन किन मध्यम व लघु उद्योगों को कर्ज व सबसिडी दी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ऐसे कितने उद्योग है जहां राज्य सरकार का धन लगा है या हिस्सा पूंजी है ?

(3) ऐसे उद्योग जिसमें राज्य सरकार का धन हिस्सा पूंजी के रूप में लगा है, उनमें कितना कितना घाटा लग रहा है ? और कितना लाभ रहा है ?

(4) कर्ज के रूप में ऐसी कितनी राशि है जो मियाद समाप्त होने पर भी वसूल नहीं हो पा रही है, और ऐसे उद्योगों से राशि वसूल करने में राज्य सरकार का क्या रुख है ? जिन जिन उद्योगों में यह राशि बाकी है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में लघु उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान एवं औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अनुदान की जिलेवार विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। गत 5 वर्षों में मध्यम श्रेणी के उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया। प्रश्न में जिस प्रकार की सूचना चाही गई है ऐसे 4500 यूनिट्स की सूचना इतने अल्प समय में संकलन करना संभव नहीं है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न 2 के उत्तर में दी गई सूची में हानि तथा लाभ की स्थिति अंकित कर दी गई है।

(4) कर्ज के रूप में 55–34 लाख रुपये की राशि मियाद समाप्त हो जाने के पश्चात् भी वसूल नहीं हो पा रही है। इस राशि में से 21-43 लाख रुपये राजस्थान जन मांग अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 5.76 लाख रुपये औद्योगिक सहकारी समितियों से सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत व शेष

(उद्योग मंत्री)

राशि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा वसूल किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अलग अलग औद्योगिक इकाइयों से बकाया राशि की सूचना इतने अल्प समय में तैयार करना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी, भवानी मण्डी के यार्ड का निर्माण कार्य

59. ईश्वर चन्द्र भटनागर (पिड़ावा)– क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी कृषि उपज मण्डी समिति के नवीन यार्ड में चल रहा निर्माण कार्य तत्कालीन कृषि मंत्री ने अपने मौखिक आदेश से व्यापारी वर्ग के दबाव में आने के कारण रुकवा दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नवीन यार्ड में लगभग 7 लाख रुपये का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ व्यापारियों द्वारा जिस जगह मौजूदा यार्ड चलाने की मांग है वहां नियमों के अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार नवीन यार्ड में मण्डी स्थानान्तरण करने में क्यों देरी कर रही है ?

(4) उक्त नवीन यार्ड में निर्माण कार्य कब से पुनः प्रारम्भ करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्माण कार्य जनता की मांग पर मौखिक आदेश से जाँच होने तक रोका गया था।

(2) जी हां, कुल 6 लाख 41 हजार रुपये का निर्माण हो चुका है।

(3) जी हाँ, मण्डी स्थानान्तरण मण्डी निर्माण कार्य पूरा सम्भव हो सकेगा।

(4) मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य-पुनः प्रारम्भ कराने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

राज्य में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आने वाले अधूरे पड़े तालाब एवं बांध

61. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य मे सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कितने तालाब एवं बांध अभी अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस अधूरे निर्माण कार्यों पर अभी तक कितना धन खर्च हो चुका है तथा इनकी पूर्णता के लिए कितने धन की आवश्यकता है ?

(3) इन अधूरे पड़े हुए बांधों में कितनी अतिरिक्त एकड़ जमीन सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) राज्य में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 110 बांध व तालाब अधूरे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) इन अधूरे निर्माण कार्यों पर वर्ष 1977-78 तक 1888.88 लाख रु. खर्च किये गये व वित्तीय वर्ष 1978-79 में 1606.24 लाख खर्च किये जावेंगे बाकी की 3645.31 लाख रु. की राशि इनकी

(सिंचाई मंत्री)

अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए छठी योजना में खर्च की जायेगी।

(3) इन अधूरे बांधों को पूर्ण होने पर 87,590 हैक्टर्स में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी।

अधूरे बांधों व तालाब की सूची :—

वृहद् परियोजनायें :

15. सम्भू सागर
16. जायकेला
17. मध्यम परियोजनायें :
2. भीमसागर
3. हरिश्चन्द्र सागर
4. पांचना
5. सोम कागदर
6. सोम कमला आम्बा
7. डाया
8. डाडोल
9. लसाडिया
10. मैजा फीडर
11. वायगन डाईवर्सन

लघु सिंचाई परियोजनायें :—

12. श्योदरा
13. शिवदानपुरा
14. अभयपुरा
15. शम्भुसागर
16. सरोला
17. खटका
18. भागदेब
19. नारायण खेड़ा
20. रामपुरा
21. केशरा
22. डोरिया
23. अनवासा
24. मांडल
25. कन्या खेड़ी
26. टिटोरा
27. दामती खोखरा
28. रेरिया
29. मोडिया महादेव
30. हुगोवा
31. भावरी
32. बनोकरा
33. भेस्ड़ा
34. मान्डवास
35. रेरिया
36. सिलिदेरी
37. हरसोड़ा
38. कारबन
39. राताकि वास
40. लाम्बा डायरा
41. विषान बन्ध
42. कनघर
43. बड़ा भानूजा
44. मूगला की फूट
45. पानोतिया
46. सुथार का नाका
47. बीठड़ी
28. सगांरामपुरा
49. भेरुखेड़ा
50. साहिजी का नाका
51. शिवराती
52. चोर बावड़ी
53. नया तालाब
54. नया गांव साज्य
55. वसुन्दनी
56. रंजीत सागर
57. रोडा वास
58. चान्डेलाव टेंक
59. अमलारी
60. मनदार नाला

(१२२)

(सिंचाई मंत्री)

61. अनगोर
62. बड़ेची बन्ध
63. डूबली
64. सुरेरा
65. डूगारी
66. बिसारी
67. बानसिया खाल तालाब
68. बासोली
69. सम का खाल
70. कलडाज
71. मादीपुरा
72. काशानी
73. बानकिया खुर्द
74. चन्द्रभागा
75. बेनाईगांव
76. राईगढ़
77. गुरजानी
78. आनन्दपुरा
79. सोहन खेड़ी
80. वमान खेड़ी
81. कासीर
82. अकोडिया
83. सिरोही
84. बोडडा
85. खानदीप
86. मान्डावाडा
87. खारा
88. लाखनपुरा
89. हनडोली
90. अनारगढ़
91. सिंध रोली
92. पान्डो
93. सनवार
94. वाडोती
95. संगरोली खेडा
96. करोडीवज
97. बिलार
98. राजगढ़
99. कालपा
100. पचकोई
101. इन्दरानी
102. सिरसीपुरा
103. मोर खंड खुर्द
104. इथवारी
105. डेलानपुरा
106. कालिया
107. चौका
108. चाहुन खेड़ी
109. धारड़ा
110. निपानिया

राज्य का अकालग्रस्त क्षेत्र

62. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कौन-कौन से जिलों में इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अकाल घोषित किया गया है और कितने जिले ऐसे हैं जिनमें अकाल घोषित नहीं किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रभावग्रस्त जिलों में अब तक राहत कार्य किन-किन गांवों में खोले गये हैं ? यदि खोले गये हैं, तो कितने मजदूर इनमें कार्य कर रहे हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त अकाल ग्रस्त इलाकों में राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी वसूलियां

(श्री नवरंगसिंह)
स्थगित की गई हैं ?

उत्तर

(1) इस वर्ष अब तक राज्य के किसी भाग में अकाल घोषित नहीं किया गया है।

(2) राज्य के किसी भी भाग में अब तक राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं क्योंकि 'अनाज के बदले काम' के अन्तर्गत व अन्य विभागीय कार्यों पर अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त रोजगार मिल रहा है।

(3) अभावग्रस्त क्षेत्रों में वसूलियां स्थगन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

राज्य की सिरेमिक प्रयोगशाला

63. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरेमिक प्रयोगशाला सभी प्रकार के उपकरणों और मशीनों से लैस है? यदि हां, तो इसके बावजूद भी वहां काम क्यों नहीं हो पा रहा है ?

(2) आज तक इस प्रयोगशाला पर कुल कितना धन व्यय किया गया और जो कार्य इस प्रयोगशाला में हुआ उसका रिटर्न इसके ऊपर किये गए व्यय का कितना प्रतिशत है ?

(3) खनिज प्रयोगशाला के गैस प्लांट पर कितना खर्चा किया गया तथा यह कितने वर्षों से खराब पड़ा है ?

(4) खनिजों के नमूनों को पीस कर बारीक बनाने की ग्राईंडिंग मशीन कितने वर्ष पूर्व मंगवाई गई ? क्या यह सही है कि तब से लेकर आज तक उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि पोलीरोग्राफ मशीन पिछले चार पांच वर्षों से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है तथा इसे अब तक चालू क्यों नहीं कराया गया है ?

उत्तर

(1) विभागीय सिरेमिक प्रयोगशाला में काफी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं और आवश्यकतानुसार इसमें नये और विकसित उपकरण जोड़े जा रहे हैं ताकि इसके कार्यक्षेत्र का और अधिक विस्तार हो सके। इस प्रयोगशाला में नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं।

(2) सन् 1956 से फरवरी 1979 तक की समाप्ति तक सिरेमिक प्रयोगशाला पर लगभग 2,35,000/- रुपये उपकरणों को खरीदने में खर्च किये गये। विभागीय प्रयोगशाला व्यापारिक संस्था नहीं है एवं इसके कार्य का दृष्टिकोण खनिजों एवं उन पर आधारित उद्योगों के विकास का है। इसकी उपलब्धियों को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं नापा जा सकता।

(3) खनिज प्रयोगशाला का गैस प्लान्ट सन् 1966 में 31,110/- रु. की लागत से क्रय किया गया था। सन् 1973 तक यह प्लान्ट बराबर काम में आता रहा। इसकी मरम्मत एवं नये भवन में गैस लाइनें बिछाने का एस्टीमेट इसकी मूल कीमत से

(खनिज मंत्री)

भी अधिक लगभग 37,000/- रु. था अतः अब इसको अनुपयोगी घोषित कर निलामी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) खनिजों के नमूनों को पीस कर बारीक बनाने की ग्राइन्डिंग मशीन 1966 में यानि लगभग 13 वर्ष पूर्व क्रय की गई। इसका उपयोग आवश्यकतानुसार एवं नमूनों की मात्रा के अनुसार बराबर किया जाता है।

(5) यह सही नहीं है। पोलीरोग्राफ मशीन सही स्थिति में है। जरूरत के अनुसार काम में ली जाती है।

सरिसका का टाइगर प्रोजेक्ट

64. श्री शिवनारायण (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार सरिसका में टाइगर प्रोजेक्ट चलाने के साथ साथ मानव जीवन एवं पशुधन की समुचित सुरक्षा के बारे में चिन्तित है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में राज्य सरकार क्या-क्या सुरक्षात्मक योजना बना रही है ?

उत्तर

जी हां। सरिसका प्रबन्धन आयोजना में मानव जीवन एवं पशुधन की सुरक्षा के लिये समुचित प्रावधान रखा गया है जिसमें कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों को अन्यत्र बसाने, मुआवजे व काश्त भूमि का प्रबंध करने, वन्य प्राणियों द्वारा क्षतिग्रस्त पशुओं के मुआवजे, एवं सीमावर्ती ग्रामों के रोगी मवेशियों की चिकित्सादि की व्यवस्था सम्मिलित है।

जिला पशुपालन अधिकारी, सवाई माधोपुर का मुख्यालय

65. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री कुन्जी लाल (बामनवास) :–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में जिला पशुपालन अधिकारी का मुख्यालय नहीं होने के कारण, जिले के पशुपालकों के सामने बड़ी समस्याएं आये दिन आती रहती हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही सवाई माधोपुर जिले में अलग से जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय खोल कर अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में जिला पशुपालन अधिकारी का मुख्यालय नहीं है।

(2) शीघ्र ही सवाई माधोपुर में जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बन्दोबस्त विभाग से प्रतिलिपियां प्राप्त करने संबंधी फीस

66. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार अधिकार अभिलेख एवं

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
नक्शे तथा रेकार्ड की प्रतिलिपियां प्राप्त करने की अलग-अलग फीस निर्धारित कर रखी है ?

(2) क्या सारे राज्य में समान रूप से इनकी वसूली की जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार अभिलेखों एवं नक्शे की प्रतिलिपियां दिये जाने हेतु प्रत्येक रेकार्ड की अलग अलग फीस की दरें भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा निर्धारित कर रखी हैं।

(2) जी हां, यह दरें पूरे राज्य में समान रूप से लागू हैं।

श्री गंगानगर जिले में कृषि भूमि में ईंट के भट्टे

67. श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री गंगानगर जिले की कृषि भूमियों में कितने ईंट भट्टे स्वीकृत हैं।

(2) क्या भट्टों की स्वीकृति लेने वाले कृषि मालिकों को ही स्वयं के नाम से खनिज पट्टे दिये गये है ? यदि नहीं, तो कितने अन्य लोगों को खनन पट्टे दिये गये हैं तथा उनके नाम क्या क्या हैं ?

(3) क्या ईंट भट्टों के लिए स्वीकृत समस्त भूमि का खनन पट्टा दिया गया है ? यदि कम दिया गया है तो किस आधार व कानून के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में कृषि भूमि में 166 खनन पट्टे ईंट मिट्टी के स्वीकृत हैं।

(2) हां, उन व्यक्तियों को या उनके द्वारा बनाई गई फर्म्स के नाम खनन पट्टे दिये गये हैं।

(3) पूर्व में खनन पट्टा आवेदकों के आवेदन अनुसार जिलाधीश द्वारा स्वीकृत भूमि से कम क्षेत्र के खनन पट्टे भी दिये जाते थे। वर्तमान में जिलाधीश द्वारा ईंट भट्टों के लिये स्वीकृत संपूर्ण भूमि के लिये खनन पट्टे दिये जाते हैं।

भवानी मंडी की राम नगर कालोनी

68. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भालावाड़ में भवानी मंडी नगर के पास राम नगर नाम की कोई कालोनी है ?

(2) क्या उक्त कालोनी की भूमि आबादी में कनवर्ट हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा राम नगर कालोनी वार्ड नं. 11 खसरा नं. 606 अराजी तीन बीघा 17 बिस्वा भूमि को कब तक और कितने समय में आबादी में कनवर्ट कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कालोनी की भूमि रेकार्ड के अनुसार अभी तक आबादी में कनवर्ट

(राजस्व मंत्री)
नहीं हुई है, पर मौके के आधार पर वहां आबादी है। खसरा नं. 606 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि श्री त्रिलोक चन्द बनारसी दास के खाते की कृषि भूमि थी। खातेदार ने इस भूमि में उद्योग लगाने हेतु भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने की स्वीकृति के अनुसार उद्योग न लगाकर इस कृषि भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को प्लाट काट-काट कर बेचान कर दिया। कृषि भूमि को भिन्न प्रयोजन में बिना स्वीकृति लिये जाने एवं खातेदार द्वारा अनियमित कार्यवाही करने से खातेदार के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से एम.जे.एम. भवानी मंडी न्यायालय में अन्तर्गत धारा 420 आई. पी. सी. का केस दर्ज रजिस्टर कराया जा चुका है। जो अभी जेर ट्रायल है। निर्णय हो जाने पर इस भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

तहसील कोटपूतली में रिश्वत लेने सम्बन्धी मामला

69. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में कार्यरत अमीन श्री जगदीश गुप्ता ने रिश्वत ली? यदि हां, तो इसकी जांच कब हुई तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त मामले में जांच के दौरान किस किस व्यक्ति के कब-कब क्या क्या बयान हुए? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिला सतर्कता समिति ने कितनी दफा भू-प्रबन्धक विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के लिए सतर्क किया? इतने पर भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?

(4) क्या राज्य सरकार मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। ग्राम कल्याणपुरा के कुछ व्यक्तियों का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जो बाद में जांच हेतु भ्रष्टाचार विभाग को भेज दिया गया है।

(2) बयान शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये।

(3) 24-7-78 एवं 19-8-78 को रिपोर्ट प्राप्त हुई किन्तु शिकायतकर्ताओं के शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मामला अस्पष्ट (vague) है।

(4) मामला जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

कोटा के पास निर्माणाधीन पुल

70. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा के पास निर्माणाधीन पुल कब तक तैयार हो जावेगा?

(2) अब तक उक्त निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(3) क्या राज्य सरकार कोटा बैराज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पुलिया की मरम्मत कर भारी यातायात के लिए खोलना चाहेगी ?

उत्तर

(1) कोटा के पास चम्बल नदी पर निर्माणाधीन पुल वर्ष 1980 तक बन जाने की संभावना है।

(2) बूंदी तरफ के अबटमेंट की खुदाई कर दी गई है। पीयर नं. 3 और 4 के कुए की नींव का कार्य प्रगति पर है। इसमें कुल 4 पीयर और 2 अबटमेंट हैं।

(3) पुराना पुल जो कि सबमर्सिबल है और कमजोर है भारी वाहनों के लिए मरम्मत लायक नहीं। अतः मरम्मत करवाना उचित नहीं समझा गया और नया हाईलेवल पुल स्वीकृत किया गया।